

ارکان الاسلام والایمان - هندی

# इस्लाम और ईमान के स्तम्भ

## कुरआन व सुन्नत से संकलित



شعبہ توعیۃ الجالیات بالزلفی

هاتف: ٤٢٣٤٤٦٦ - ٦، فاکس: ٤٢٣٤٤٧٧ - ٦، ص.ب: ١٨٢

# इस्लाम और ईमान के स्तम्भ कुरआन व सुन्नत से संकलित

लेखक  
मुहम्मद बिन जमील जैनू

अनुवाद  
रजाउर्रहमान अन्सारी

संशोधन एवं वृद्धि  
मुहम्मद ताहिर हनीफ

संघीय कार्यालय आमन्त्रण व प्रदर्शक  
हैता बनी तमीम

(ج) المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بعوطة بنى تميم ، ١٤٢٠ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

زينو ، محمد بن جميل

أركان الإسلام والآيات - حوطة بنى تميم

ص ١٤٦ ص ٢١ × ٢١ سم

ردمك : ٩٩٦٠ - ٩٢٣٨ - ٧

(النص باللغة الهندية)

١- العبادات فقه إسلامي

٢- الإعان (الإسلام)

٣- الإسلام - مبادئ عامة

أ- العنوان

دبيوي ٢٥٢

٢٠/١٧٤١

رقم الابداع ٢٠ / ١٧٤١  
ردمك : ٩٩٦٠ - ٩٢٣٨ - ٧

## संघीय कार्यालय आमन्त्रण व प्रदर्शक हैता बनी तमीम

पो. बक्स २६१, हैता बनी तमीम ११९४१  
दूरभाष : ०९१५५५०५३३  
फैक्स : ०९१५५५२७४५

अनुबन्धत  
मंत्रिमण्डल इस्लामिक विषय, औकाफ  
एवं आमन्त्रण व निर्देश

प्रिन्टिंग अधिकार कार्यालय के लिए सुरक्षित

# विषय सूची

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ
१.	इस्लाम के अरकान	३
२.	ईमान के अरकान	४
३.	इस्लाम, ईमान और एहसान का अर्थ	५
४.	लाइलाह इल्लल्लाह का अर्थ	७
५.	मुहम्मद रसूलुल्लाह का अर्थ	१२
६.	अल्लाह तआला कहाँ है ?	१५
७.	नमाजों की फ़जीलत और उन्हें छोड़ने पर पकड़	१८
८.	वजू का तरीका	२०
९.	नमाज का तरीका	२१
१०.	ज़मान की नमाज	२९
११.	बीमार की नमाज	३३
१२.	जनाजे की नमाज	४०
१३.	ईद की नमाज	४१
१४.	इस्तिसका की नमाज	४४
१५.	ख़सूफ और कुसूफ की नमाज	४५
१६.	इस्तिखारा की नमाज	४७
१७.	अल्लाह के रसूल कैसे नमाज पढ़ते थे	५२
१८.	जकात का व्यान	५७
१९.	रोजों का व्यान	७९
२०.	हज और उमरा के मसायेल	८७
२१.	उमरा अदा करने का तरीका	९१
२२.	हज के आमाल और उनका तरीका	९४
२३.	मस्जिदे नववी की ज़ियारत के आदाब	९९
२४.	मुजतहिद इमामों का हदीस पर अमल	१०१
२५.	अच्छे या बुरे भाग्य पर ईमान	१०६
२६.	इस्लाम और ईमान से बाहर कर देने वाले मामले	११४
२७.	इवादत में शिर्क करना	११८
२८.	कुफ्र वाले कुछ वातिल अकीदे	१३६

## इस्लाम के अरकान

जिस तरह किसी भी इमारत को कायम रखने के लिए बुनियादों और स्तंभों की आवश्यकता होती है ऐसे ही इस्लाम के कुछ स्तंभ और बुनियादें हैं जिस पर इस्लाम की इमारत कायम है। इन को इस्लाम के अरकान का नाम दिया जाता है।

अल्लाह के रसूल سल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया : इस्लाम की बुनियाद पाँच चीजों पर है।

१. गवाही देना कि : अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं जिनकी अल्लाह के दीन में पैरवी करना जरूरी है।

२. नमाज कायम करना : यानी उसे सभी अरकान और वाजिबात के साथ खुशूअ् व खुजूअ् (तन्मयता) से अदा करना।

३. ब्रकात देना : जो उस समय फर्ज होती है जब कोई दृष्ट ग्राम सोना या उसके मूल्य की किसी चीज का या नकदी का मालिंक हो जाये। इस में से जाल पूरा होने के बाद २.५ प्रतिशत निकालना जरूरी है। और नकदी के अलावा हर चीज में उसकी मात्रा तय है।

४. अल्लाह के घर का हज़ करना : उस व्यक्ति के लए जो सेहत और आर्थिक दृष्टि से वहाँ तक पहुँचने का सामर्थ्य रखता हो।

५. रमज़ान के रोज़े रखना : रोज़े की नीयत से खाने पीने और हर चीज से जो रोज़ा तोड़ने वाली हो फज्ज से लेकर सूर्योदय तक बचे रहना। (बुखारी, मुस्लिम)

## ईमान के अरकान

जिन चीजों पर प्रत्येक मुसलमान के लिए ईमान लाना फर्ज और जरूरी है। उन्हें ईमान के अरकान के नाम से जाना जाता है, जो निम्न हैं।

१. अल्लाह तबाला पर ईमान लाना : यानी अल्लाह के अस्तित्व, और विशेषतायें और इवादत में उसकी वहदानियत (अकेला) होने पर ईमान लाना।
२. फरिश्तों पर ईमान लाना : जो कि नूरी मखलूक हैं और अल्लाह के आदेशों को लागू करने के लिए पैदा किये गये हैं।
३. अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना : जिनमें तौरात, इंजील, जबूर और कुरआन करीम जो सबसे श्रेष्ठ हैं।
४. उसके रसूलों पर ईमान लाना : जिनमें सबसे पहले नूह और सबसे अन्तिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं।
५. आखिरत के दिन पर ईमान लाना : जो हिसाब का दिन है और उसी दिन लोगों के कर्मों की पूछ गछ होगी।
६. प्रत्येक अच्छे या बुरे भाग्य पर ईमान रखना : यानी जायज सोत से प्रत्येक व्यक्ति को अच्छे या बुरे भाग्य पर राजी रहना चाहिये। क्योंकि सभी अल्लाह की ओर से तय किये हुए हैं जैसाकि सही मुस्लिम की हदीस में इस बात को स्पष्ट किया गया है।

## इस्लाम, ईमान और एहसान का अर्थ

इस्लाम, ईमान और एहसान का स्पष्टीकरण अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से होता है।

हज़रत उमर रजिअल्लाहु अन्हु से उल्लिखित है, फरमाते हैं:

एक दिन जबकि हम अल्लाहे के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, तो उजले सफेद कपड़ों और काले सियाह बालों वाला एक व्यक्ति आया जिस पर यात्रा करने के चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे थे। और न ही हम में से कोई उसे जानता था। वह आगे बढ़ा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समाने इस तरह बैठा कि उसने अपने घुटने उनके घुटनों से मिला दिए और अपने हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रानों पर रख लिए, फिर कहा: ऐ मुहम्मद, मुझे बताइये, इस्लाम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: इस्लाम यह है कि तू गवाही दे कि अल्लाह तआला के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, और मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) अल्लाह के रसूल है। नमाज क्रायम कर, जकात अदा कर, रमजान के रोजे रख और यदि सामर्थ्य हो तो अल्लाह के घर (बैतुल्लाह) का हज कर। उसने कहा: आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने सही फरमाया।

(हज़रत उमर रजिअल्लाहु अन्हु फरमाते हैं) हम आश्चर्य चकित हैं कि यह कैसा आदमी है जो सवाल करके खुद ही उसका समर्थन कर रहा है।

फिर उसने कहा कि मुझे ईमान के बारे में बताइये। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: (ईमान का अर्थ) यह है कि तू अल्लाह, उसके फरिश्तों, उसकी किताबों, उसके रसूलों,

आखिरत के दिन (कियामत का दिन) और हर अच्छे या बुरे भाग्य पर ईमान लाये उसने कहा : आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने सही फरमाया । फिर उसने कहा : मुझे बताइये कि एहसान क्या है ? आपने फरमाया : एहसान यह है कि तू अल्लाह की इस तरह इबादत कर जैसे तू उसे देख रहा हो लेकिन यदि तू उसे देखने की कल्पना न पैदा कर सके तो फिर यह सोच कि अल्लाह तआला तुझे देख रहा है ।

उसने कहा : मुझे कियामत के बारे में बताइये कि कव आयेगी ?

आप ने फरमाया उसके बारे में जिससे पूछा जा रहा है वह पूछने वाले से अधिक नहीं जानता । (यानी उसके बारे में मुझे तुम से अधिक ज्ञान नहीं) उसने कहा : तो फिर मुझे उसकी अलामतें बताइये । आपने फरमाया : उसकी अलामत यह है कि लौड़ी अपने आका को जन्म दे और तुम देखोगे कि बकरियों के चरवाहे जो नंगे पांव, नंगा शरीर और मोहताज हैं (इतने धनवान हो जायेंगे) एक दूसर से बढ़कर बुलन्द इमारतें बनाने में मुकाबला करेंगे ।

फिर उसके चले जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया : ऐ उमर, जानते हो यह पूछने वाला कौन था ? तो मैंने कहा अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं । आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फरमाया, वह जिब्रील थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आये थे । (मुस्लिम)

## लाइलाह इल्लल्लाह का अर्थ

१. इसका अर्थ यह है कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा पूज्य नहीं। इसमें अल्लाह के अतिरिक्त की बन्दगी को नकारा गया है। और उसे केवल अल्लाह जो अकेला है और जिसका कोई साझी नहीं के लिए साबित किया गया है। अल्लाह तआला फरमाता है :

“अतः जान लो कि अल्लाह तआला के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं।” (सूरह मुहम्मद)

और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया :

जिस व्यक्ति ने खुलूस दिल से ला इलाह इल्लल्लाह कह दिया वह जन्नत में दाखिल होगा। (इस हदीस को बज़ार ने रिवायत किया और अलबानी ने उसे अलजामेअ में सही करार दिया है।

### मुख्लिस कौन है ?

२. “मुख्लिस” वह है जो इस कलिमा को समझ-बूझ कर उस पर अमल करे और इस तौहीद के कलमे से अपनी दावत की शुरूआत करे। क्योंकि यह कलिमा ऐसे तौहीद पर आधारित है जिसके लिए अल्लाह तआला ने जिनों और इंसानों को पैदा किया।

३. और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब का देहान्त हो रहा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया : चचाजान (आप ला इलाह इल्लल्लाह) कह दीजिए। इस कलिमा के आधार पर मैं आप के लिए अल्लाह तआला से सिफारिश करूँगा। लेकिन उन्होंने (ला इलाह इल्लल्लाह) कहने से इंकार कर दिया।

४. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में १३ वर्ष तक मुशिरकों को यही दावत देते रहे कि (ला इलाह इल्लल्लाह) कह दो, तो उनका जवाब जैसाकि कुरआन में आया है, यह था कि :

“और उन्हें आश्चर्य हुआ कि उन्हीं में से एक डराने वाला कैसे आ गया ? और काफिरों ने कहा यह तो झूठा जादूगर है । कैसे उसने सब माबूदों को छोड़कर एक ही माबूद बना लिया ? यह तो बहुत ही अजीब बात है । तो उनमें से जो प्रतिष्ठित लोग थे वे चल खड़े हुए, चलो अपने माबूदों की पूजा पर क्रायम रहो । निःसन्देह यह ऐसी बात है जिससे (तुम बाइज़जत और प्रतिष्ठित) हो । यह पिछले धर्म में हमने कभी नहीं सुनी ।” (सूरह स्वाद)

और अरबों में यह बात इसलिए कही कि वे इस कलिमा का अर्थ समझते थे और इसलिए उन्होंने यह कलिमा पढ़ने से इंकार किया कि यह कलिमा पढ़ने वाला गैर अल्लाह को नहीं पुकारा करता । जैसाकि अल्लाह तआला उनके बारे में कहता है ।

“इन (काफिरों) से जब ला इलाह इल्लल्लाह कहा जाता तो घमण्ड करते और कहते कि यह कैसे हो सकता है कि हम उस पागल शायर (कवि) की बात मानकर अपने माबूदों को छोड़ दें । (अल्लाह तआला ने जवाब दिया : ) बल्कि वह रसूल तो हक्क लेकर आये हैं और रसूलों का समर्थन करने वाले हैं ।” (सूरह साफ़कात)

आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमने फरमाया :

“जिसने ला इलाह इल्लल्लाह कह दिया और हर उस चीज़ का इंकार किया जिसकी अल्लाह के सिवा इबादत की जाती

है तो ऐसा करने से उसकी जान और माल हराम हो गई और उसका हिसाब अल्लाह के जिम्मे है ।" (मुस्लिम)

इस हदीस से मालूम हुआ कि शहादत का सूत्र पढ़ने का उद्देश्य यह है कि प्रत्येक गैर अल्लाह की इवादत से वचा और इंकार किया जाये जैसाकि मरे हुए लोगों से दुआ करने जैसे कर्म है ।

और अजीब बात यह है कि कुछ मुसलमान अपनी ज़ुबान से यह कलिमा पढ़ते हैं लेकिन उनके अमल गैर अल्लाह को पुकार कर उसके अर्थ की खिलाफ वर्जी करते हैं ।

५. 'ला इलाह इल्लल्लाह' वह कलिमा है जो तौहीद और इस्लाम की बुनियाद और सम्पूर्ण जीवन व्यवस्था है जिसे हर प्रकार की इबादत अल्लाह ही के लिए विशेष करने से अपनाया जा सकता है । और यह उस समय संभव है जब कोई मुसलमान अल्लाह के लिए फरमांबरदार हो जाये और केवल उसको ही पुकारे और उसकी शरीयत (कानून) की हाकमियत स्वीकार करे ।

६. अल्लामा इब्ने रजब 'इलाह' का अर्थ व्यान करते हुए फरमाते हैं : 'इलाह' (माबूद) वह है जिसकी पैरवी, उसका भय, उसकी प्रतिष्ठा, उससे प्रेम और उसी से आशा, उसी पर संतोष, उसी से सवाल और दुआ करते हुए की जाये, और अवज्ञा से वचा जाये । और ये सभी वे चीजें हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरे के लिए करना जायज नहीं । जिस किसी ने भी 'इलाह' के इन विशेषताओं में किसी सृष्टि को साझी बना लिया तो यह अमल इस बात की दलील है कि उसने 'ला इलाह इल्लल्लाह' मन से नहीं कहा । और जितनी उसमें शिर्क की ऐसी आदत होगी उतना ही वह मखलूक की इवादत में फँसा होगा ।

## ७. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया :

अपने मरने वालों को 'ला इलाह इल्लल्लाह' पढ़ने का आग्रह किया करो क्योंकि (दुनिया से विदा होते हुए) जिसकी अन्तिम बोली 'ला इलाह इल्लल्लाह' होगी, वह कभी न कभी जन्नत में अवश्य दाखिल होगा । चाहे उससे पहले जो लिखा अज्ञाव उसे भुगतना पड़े । (इसे इब्ने हिब्बान ने उल्लेख किया है और अलवानी ने इसे सही करार दिया है) और कलिमा शहादत की ताकीद करने से अभिप्राय केवल मरने वाले के पास कलिमा पढ़ना ही नहीं, जैसाकि कुछ लोगों का ख्याल है, उसे पढ़ने का आदेश देना है जिसकी दलील हजरत अनस विन मालिक की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी की अयादत (बीमारी का हाल-चाल पूछना) की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया : मामूजान, ला इलाह इल्लल्लाह कहो, उसने कहा, मामू या चचा ? आपने फरमाया : बल्कि तुम मेरे लिए मामू की हैसियत से हो । तो उसने कहा : मेरे लिए 'ला इलाह इल्लल्लाह' कहना बेहतर है, आप ने फरमाया : हाँ, बेहतर है ।

इसे इमाम अहमद ने मुस्लिम की शर्त पर १०२ या १०३ सही सनदों से उल्लेख किया है ।

और फिर यह भी कि मरने वाले को इसकी ताकीद उसकी मृत्यु से पहले होनी चाहिए न कि बाद में इसलिए कि मैयत (मुर्दा) व्यक्ति न तो 'ला इलाह इल्लल्लाह' कह सकता है और न उसमें सुनने का सामर्थ्य है । उपरोक्त हदीस के अन्त में है कि (जिसकी अन्तिम बोली 'ला इलाह इल्लल्लाह' हो वह जन्नत में दाखिल हो गया)

८. कलिमा 'ला इलाह इल्लल्लाह' उसी समय किसी व्यक्ति के लिए लाभदायक होता है जब वह उसके अर्थ को अपने लिए जीवन

व्यवस्था बनाता है। और मुदों या अनुपस्थित प्राणियों को पुकारने जैसे शिर्क वाले कर्म से इस कलिमा की खिलाफवर्जी नहीं करता और जिस किसी ने ऐसा किया उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे किसी ने वुजू करके तोड़ दिया हो। अतएव जैसे वुजू करके तोड़ देने वाले व्यक्ति को अपने उस वुजू का कोई लाभ नहीं होता, वैसे ही यदि किसी ने ईमान लाने के बाद कोई शिर्क का काम किया तो उसे उस ईमान का कोई लाभ नहीं होगा।

## मुहम्मद रसूलुल्लाह का अर्थ

मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं उसका मतलब यह है कि वह अल्लाह की ओर से भेजे हुए हैं। अतएव जो कुछ उन्होंने बताया हम उसकी तसदीक करें और उनके आदेशों की पैरवी करें और जिस चीज़ से रोका और मना किया है उसे त्याग दें और उनकी सुन्नत को अपनाते हुए अल्लाह की इबादत करें।

१. मौलाना अबुल हसन अली नदवी किताबुल ईमान में फरमाते हैं :

अंविया अलैहिमुस्सलाम की हर ज़माने और हर जगह पर सबसे पहली दावत और सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि अल्लाह के बारे में लोगों की आस्था सही किया जाये और बन्दे और उसके रब के बीच संबन्ध सही बुनियाद पर क्रायम हो कि केवल अल्लाह ही नफा नुकसान का मालिक, इबादत, दुआ, निवेदन और कुर्बानी का अधिकारी है। और उनका हमला उनके ज़माने में पायी जाने वाली बुतपरस्ती पर केन्द्रित था। जो बुतपरस्ती ज़िन्दा और मुर्दा बुर्जग हस्तियों की इबादत के साथ में पायी जाती थी।

और यह कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं - जिनसे उनका रब फरमा रहा है :

“ऐ पैगम्बर, कह दीजिए कि मैं तो अल्लाह की मर्जी के बिना अपने लिए भी किसी नफा, नुकसान का मालिक नहीं हूँ। और यदि मैं गैब का इलम जानता तो अपने लिए बहुत सी भलाईयाँ जमा कर लेता और मुझे कोई तकलीफ न पहुँचती। मैं तो केवल ईमानदारों को डराने और जन्नत की शुभसूचना देने वाला हूँ।”

और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया :

मेरी शान ऐसे न बढ़ाना जैसाकि ईसाईयों ने ईसा बिन मरियम की शान बढ़ा दी । मैं तो केवल अल्लाह का बन्दा और रसूल हूँ । इसलिए तुम भी मुझे अल्लाह का बन्दा और उसका रसूल ही कहना । (बुखारी)

और शान बढ़ाने का मतलब यह है कि उनकी तारीफ बढ़ा चढ़ा कर करना । इसलिए यह हमारे लए उचित नहीं कि हम उन्हें अल्लाह के सिवा पुकारें जैसे कि ईसाईयों ने ईसा बिन मरियम (अलैहिस्सलाम) के साथ किया तो शिर्क में घिर गये । बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आदेश दिया है कि हम यह कहें कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) अल्लाह के बन्दे और उसके रसूल हैं ।

३. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मुहब्बत यह है कि उनकी पैरवी करते हुए केवल अल्लाह से दुआ की जाये और उसके अलावा किसी व्यक्ति को न पुकारा जाये चाहे वह (व्यक्ति) कोई भी पहुंचा हुआ वली ही क्यों न हो ।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कथन है :

जब माँगो तो केवल अल्लाह से माँगो और जब मदद लो तो केवल अल्लाह से मदद लो । (तिरमिज्जी-हसन सही)

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई गम या मुसीबत आन पड़ती तो आप फरमाते :

“ऐ जिन्दा और कायम रहने वाली जान, मैं तेरी रहमत की बदौलत तुझसे मदद माँगता हूँ ।” (तिरमिज्जी,हसन)

और अल्लाह तआला उस कवि पर रहमतें नाजिल करे जिसने सच्ची मुहब्बत वयान करते हुए कहा :

यदि तुम अपनी मुहब्बत में सच्चे होते तो उनकी इताअत करते क्योंकि चाहने वाला अपने महबूब का फरमावरदार होता है ।

और सच्ची मुहब्बत के चिन्हों में से यह भी है कि उस तौहीद (एकेश्वरवाद) की दावत से जिससे आपकी दावत की शुरूआत हुई उससे मुहब्बत की जाये और तौहीद की दावत देने वालों से प्यार हो और शिर्क और उसकी दावत देने वालों से नफरत हो ।

## अल्लाह तआला कहा है ?

अल्लाह तआला आसमान पर है ।

हजरत मुआविया बिन हकम सुलमी रजीअल्लाहु अन्हु ने फरमाया :  
मेरी लौड़ी थी जो उहुद और झुबानिया के निकट बकरियाँ चराया  
करती थी । एक दिन जब मैंने निरीक्षण किया तो पाया कि एक  
बकरी भेड़िया उठा ले गया । इसान होने के नाते मुझे भी वैसे ही  
दुख हुआ जैसे दूसरे लोगों को दुख होता है । तो मैंने उसे एक  
थप्पड़ मार दिया । फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के  
पास आया । जब उन्हें बताया तो उन्हें बुरा लगा । मैंने पूछा, ऐ  
अल्लाह के रसूल, क्या मैं उसे आज्ञाद कर दूँ ? तो आप सल्लल्लाहु  
अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे मेरे पास ले आओ । (अतएव  
मैं उस लौड़ी को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा  
में हाजिर हुआ) आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा :  
बताओ अल्लाह कहा है ? उसने कहा : आसमान पर है । आपने  
पूछा : मैं कौन हूँ ? उस लौड़ी ने जवाब दिया, आप अल्लाह के  
रसूल हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे  
आज्ञाद कर दो, क्योंकि वह ईमानवाली है । (मुस्लिम, अबू दाऊद)

उपरोक्त हदीस से निम्नलिखित बातों का पता चलता है :

१. सहाबा केराम हर मामूली बात में भी अल्लाह के रसूल  
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सम्पर्क बनाते थे ताकि उस बारे में  
अल्लाह का आदेश मालूम करें ।

२.. अल्लाह, तआला के आदेशों पर चलते हुए केवल अल्लाह और  
उसके रसूल से फैसला लेना चाहिए जैसा कि अल्लाह तआला  
फरमाता है :

“ऐ पैगम्बर, तेरे रव की क्रसम उस समय तक लोग मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने झगड़ों का फैसला तुमसे न करवायें। फिर तुम्हारे इस फैसले पर दिल में कोई तंगी महसूस न करें। और उसके सामने सिर न झुका लें।”  
(सूरह अल-निसा)

३. सहाबी ने लौड़ी को मारा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बुरा समझा और इस बात का महत्व दिया।
४. केवल मोमिन गुलाम को आजाद करना चाहिए न कि काफिर को। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने उस लौड़ी से पूछ-गछ की ताकि मालूम करें कि वह मुसलमान है या नहीं। लेकिन जब मालूम हुआ कि मुसलमान है तो आजाद करने का आदेश दिया।
५. तौहीद (एकेश्वरवाद) के बारे में जानकारी हासिल करना जरूरी है और यह कि अल्लाह तआला आसमान पर है और उसका ज्ञान आवश्यक है।
६. अल्लाह तआला के बारे में पूछना कि वह कहाँ है, सुन्नत है जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लौड़ी से पूछा।
७. इस सवाल के जवाब में यह कहना चाहिए कि अल्लाह तआंला आसमान पर है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लौड़ी के जवाब को ठीक करार दिया। इस तरह कुरआन करीम ने भी लौड़ी के इस जवाब का समर्थन किया है। जैसा कि आया है :

“क्या तुम आसमान पर जो जात है उससे वेखौफ व खतर हो गये हो कि वह तुम्हें जमीन में धंसा दे।” (सूरह अल-मुल्क)

हजरत अब्दुल्लाह विन अव्वास रजिअल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि वह जात अल्लाह तआला की है।

८. मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देने से ही ईमान सही साबित होता है ।

९. यह अक्रीदा रखना कि अल्लाह तआला आसमान पर है सच्चे ईमान की निशानी है । और यह अक्रीदा अपनाना प्रत्येक मुसलमान पर वाजिब है ।

१०. इस हदीस से उस व्यक्ति की गलती का रद्द हो गया जो यह कहता है कि अल्लाह तआला व्यक्तिगत रूप में हर जगह मौजूद है और सही यह है कि वह हमारे साथ अपने इल्म से है जात से नहीं ।

११. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लौड़ी को बुलाया ताकि उससे पूछ-गछ करें यह इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म (ज्ञान) नहीं था । इससे सूफियों की काट हो गई जो यह कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म था ।

## नमाजों की फजीलत और उन्हें छोड़ने पर पकड़

नमाज दीन का स्तम्भ और महान रूप है जिसकी कुरआन और हीदीस में बहुत फजीलत और महत्व बयान किया गया है। और उसे छोड़ने वालों की सख्त पकड़ की गयी है। नीचे कुछ आयतें और हीदीसें दी गयी हैं जिनसे यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है।

१. अल्लाह तआला फरमाते हैं :

“और वे लोग जो नमाज की रक्षा करते हैं वही लोग जन्नतों में प्रतिष्ठित होंगे।” (सूरह अल-मआरिज)

२. अल्लाह फरमाते हैं :

“और नमाज क्रायम करो क्योंकि नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है।” (सूरह अनकबूत)

३. अल्लाह तआला फरमाते हैं :

“तबाही उन नमाजियों के लिए है जो अपनी नमाजों से गाफिल हो जाते हैं। यानी बिना कारण कर्जा कर देते हैं।”  
(सूरह अल-माऊन)

४. अल्लाह तआला फरमाता है :

“निश्चय ही वे मोमिन सफल हो गये जो अपनी नमाजें दिल लगाकर (खुशूअ् और खुजूअ् से) अदा करते हैं।” (सूरह अलमोमिनून)

५. और फरमाता है :

फिर उनके वाद ऐसे अयोग्य लोग पैदा हुए जिन्होंने नमाज

को गंवा दिया और इच्छाओं की पूर्ति में पड़ गये तो ये लोग जरूर जहन्नम के गैय नाम के वादी से दो चार होंगे ।

६. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं :

तुम्हारा क्या विचार है यदि किसी के दरवाजे के सामने से नहर बहती हो जिसमें वह प्रतिदिन ५ बार स्नान करे तो क्या उसके शरीर पर कोई गन्दगी शेष रह जायेगी ?

सहाबा केराम रजिअल्लाहु अन्हुम ने फरमाया : ऐसे व्यक्ति पर किसी प्रकार की गन्दगी शेष नहीं रह सकती । आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया : इसी तरह पाँचों नमाजों की मिसाल है । जिससे अल्लाह तआला गुनाह माफ करते रहते हैं । (बुखारी, मुस्लिम)

७. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया :

हमारे और उन (काफिरों) के बीच की सीमा रेखा नमाज है जो छोड़ेगा वह काफिर है । (अहमद आदि, सही)

८. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया :

किसी मुसलमान और कुफ्र और शिर्क के बीच फर्क करने वाली चीज नमाज है । यानी जो भी उसे छोड़ेगा वह काफिर और मुशिरक है । (मुस्लिम)

## बुजू का तरीका

अपने दोनों बाजुओं से कपड़ा केहुनियों तक समेट कर 'बिस्मिल्लाह' कहिये ।

१. कलाईयों तक दोनों हाथ धोईये, कुल्ली कीजिए और नाक में तीन बार पानी डालिये ।

२. तीन बार अपना चेहरा और फिर दायां और बायां बाजू केहुनियों तक धोईये ।

३. अपने पूरे सिर का (कानों सहित) मसह कीजिए ।

४. तीन बार दायां और बायां पाँव टखनों तक धोईये ।

५. यदि पानी न मिल सके या बीमारी आदि की वजह से पानी का प्रयोग न कर सकें तो उस परिस्थिति में तयम्मुम कर लें । जिस का तरीका यह है कि अपने दोनों हाथ जमीन पर मारकर अपने चेहरे और हथेलियों पर फेरें, फिर नमाज पढ़िये ।

## नमाज का तरीका

### सुबह की नमाज (नमाजे फज्ज)

सुबह की दो रिकअर्टें 'फर्ज' हैं जिनकी दिल में नीयत करें।

1. किल्ला की ओर मुह करके अपने दोनों हाथ कानों तक उठाइये और 'अल्लाहु अकबर' कहिए।
2. दायें हाथ को बायें हाथ पर रख कर सीने के ऊपर रखिए और दुआये सना पढ़िये।

फिर सूरह फातिहा पढ़िये :

"सारी तारीफें जहानों (संसारों) के रब के लिए हैं जो बहुत मेरहबान और रहम करने वाला है। कियामत के दिन का मालिक है। या अल्लाह ! हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ से ही मदद माँगते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा दे। उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया न कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा गज़ब हुआ और जो लोग गुमराह हुए।" (हमारी इस दुआ को स्वीकार कर ले।)

फिर सूरह एखलास या उसके अलावा जो कुरआन में पढ़ना आसान हो पढ़िये।

1. उसके बाद दोनों हाथ (कानों तक) उठाते हुए 'अल्लाहु अकबर' कहिए और रूकूअ कीजिए। दोनों हाथ घुटनों पर रखिए और तीन बार दुआ पढ़िये।
2. फिर अपना सिर उठाइये और दोनों हाथ कानों तक उठाते हुए पढ़िये:

## समिअल्लाहु लिमन हमिदः

३. फिर “अल्लाहु अकबर” कहकर सजदा करें और दोनों हथेलियाँ, घुटने, पेशानी, नाक और दोनों पाव की अंगुलियाँ इस तरह से जमीन पर रखिए कि उनका रूख किल्ला की ओर हो और किनुनियाँ जमीन से ऊँची रखिए और तीन बार दुआ पढ़िए ।

४. “अल्लाहु अकबर” कहते हुए सजदा से सिर उठाईये और दोनों हाथ घुटनों या रानों पर रख कर दोआ पढ़िए :

५. दोबारा अल्लाहु अकबर कहते हुए पहले के समान सजदा करें और तीन बार दुआ कहें । तीन बार से अधिक भी कह सकते हैं । यानी विषम संख्याओं में ।

६. इस दूसरे सजदे से सिर उठाईये और बायी टांग पर बैठ जाइये जबकि दायें पाव की अंगुलियाँ सीधी खड़ी हों । इस आसन को जलसाए स्तराहत कहते हैं ।

## दूसरी रिकअत

१. फिर दूसरी रिकअत के लिए खड़े होकर और सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई छोटी सूरत या जो कुछ कुरआन में पढ़ना आसना हो, पढ़ें ।

२. फिर जैसे आपको बताया गया इसी तरह रूकूअ और सजदा कीजिए । दूसरे सजदा के बाद बैठ जाइये और दायें हाथ की अंगुलियाँ इकट्ठी करते हुए घुटने पर रखिये और शहादत की अंगुली उठाते हुए तशहूद पढ़िये :

“सब हम्द और सना, दुआएं और पाकीजा चीजें अल्लाह ही के लिए हैं । ऐ नवी आप पर सलाम हो और अल्लाह की

रहमत और बरकत नाजिल हो। सलाम हो हम पर और अल्लाह के नेक बन्दों पर, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा मावूद नहीं और गवाही देता हूँ कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बन्दे और उसके रसूल हैं।"

"या अल्लाह रहमत भेज मुहम्मद और मुहम्मद की सन्तानों पर जैसे कि तूने रहमतें भेजी इब्राहीम और इब्राहीम की सन्तानों पर। निःसन्देह तू तारीफ के काविल और अजमत वाला है।"

फिर यह दुआ पढ़िये :

"या अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ, जहन्नम के अजाब से, और तेरी पनाह चाहता हूँ कब्र के अजाब से, और जिन्दगी की आजमाइश और मसीह दज्जाल के फित्ने से।"

४. फिर दायें और बायें और चेहरा फेरते हुए सलाम कहिए। नमाज से सलाम फेरने के बाद निम्नलिखित चीजें पढ़ना सुन्नत है। तीन बार इस्तिगफार कहना और मस्नून दुआयें पढ़ना। ३३ बार सुबहानल्लाह, ३३ बार अलहम्दुलिल्लाह और ३४ बार अल्लाहु अकबर कहना। आयतुल कुर्सी पढ़ना।

उसके बाद सूरह अख्लास, सूरह अल-फलक और सूरह अन्नास पढ़िये। यदि फज्ज या मगरिब की नमाज हो तो उन सूरतों को तीन बार दोहराया जाये।

ये सभी जिक्र प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से करे जैसाकि नवी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहावा केराम रजिअल्लाहु अन्हुम की सुन्नत है।

## नमाज की रिकअतों की संख्या का व्यापार

नमाजें	फर्ज से पहले की सुन्नत	फर्ज	बाद की सुन्नतें
फज्ज	२	२	-
ज़ोहर	२+२	४	२
अस्स	२+२	४	-
मगरिब	२	३	२
ईशा	२	४	२+३ वित्र
जुमा	२	२	२+२ (या घर पर २)

### नमाज के मसायेल

- पहली सुन्नतों से अभिप्रेत ऐसी सुन्नतें हैं जो फर्ज (नमाज) से पहले पढ़ी जाती हैं और बाद की सुन्नतों से अभिप्रेत वे सुन्नतें हैं जो फर्ज नमाज के बाद पढ़ी जाती हैं।
- नमाज इतिमेनान और सुकून से पढ़ें, सजदा की जगह पर नजर रखें और इंधर उधर न देखें।
- जब इमाम उच्च स्वर में किराअत (कुरआन पढ़ना) न करे तो आप किराअत करें लेकिन जब वह उच्च स्वर में किराअत करे तो इमाम की खामोशी के बीच केवल सूरह फातिहा पढ़े।
- जुमा की फर्ज नमाज दो रिकअत हैं जो मस्जिद में खुत्बा के बाद पढ़ी जाती है।
- मगरिब की तीन फर्ज हैं : जैसे आप ने फज्ज की दो रिकअतें

नमाज अदा की थी वैसे ही दो रिकअतें अदा कीजिए। और जब दुआये अल-तहियात पढ़ चुकें तो अल्लाहु अकबर कहकर सलाम फेरे बिना कंधों के बराबर हाथ उठाते हुए तीसरी रिकअत के लिए खड़े हो जायें। तीसरी रिकअत में केवल सूरह फातिहा पढ़िये और फिर पहले की तरह शेष रिकअत को पूरा करके सलाम फेर दें।

६. जोहर, अस्त्र और ईशां की नमाज के चार फर्ज हैं। जैसे आप ने सुबह की नमाज अदा की थी उसी तरह दो रिकअत पढ़कर अल-तहियात पढ़िये और बिना सलाम फेरे तीसरी और फिर चौथी रिकअत के लिए खड़े हो जाइये और इन दो रिकअतों में केवल सूरह फातिहा पढ़िये। शेष नमाज पहले की भाँति पूरी करके दायें और बायें सलाम फेर दें।

७. वित्र की तीन रिकअतें हैं : दो रिकअतें पढ़कर सलाम फेर दें और फिर तीसरी रिकअत अलग से पढ़ें। और बेहतर यह है कि आप तीसरी रिकअत में रूकूअ से पहले या बाद में दोनों हाथ उठाते हुए दुआये कुनूत पढ़ें।

नोट : वित्र तीन के अलावा एक, पाँच, सात, नौ ग्यारह रिकअतें भी अदा की जा सकती हैं। विस्तार से अध्ययन के लिए हद्दीस की किताबों का अध्ययन करें।

८. यदि आप मस्जिद में आते हैं और इमाम को रूकूअ की स्थिति में पाते हैं तो खड़े होकर तकबीर कहिए और इमाम के साथ रूकूअ में मिल जाईये। यदि इमाम के सिर उठाने से पहले आप रूकूअ में मिल गये तो आपकी यह रिकअत हो गई लेकिन यदि इमाम के सिर उठाने के बाद आप रूकूअ में गये तो आपकी यह रिकअत न गिनी जायेगी।

९. यदि इमाम के साथ आपकी एक अथवा एक से अधिक रिकअंतें छूट जायें तो फिर भी इमाम के साथ नमाज के अन्त तक अनुसरण करें और जब इमाम सलाम फेरे तो उसके साथ सलाम फेरे बिना शेष रिकअंतों को पूरा करने के लिए खड़े हो जायें ।

१०. नमाज जल्दी और तेजी से मत पढ़िये क्योंकि उससे नमाज खराब हो जाती है । अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा जो नमाज जल्दी जल्दी पढ़ रहा था । तो आप ने उसे आदेश दिया कि दोबारा नमाज पढ़ो । क्योंकि तुम्हारी नमाज नहीं हुई । यहाँ तक कि उसने तीन बार ऐसा किया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आग्रह किया कि ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे नमाज पढ़ना सिखा दीजिए । तो आप ने फरमाया : इस तरह से रूकूअ करो कि तुम संतुष्ट हो जाओ, फिर उठो और सीधे खड़े हो जाओ । फिर संतुष्ट होकर सजदा करो । फिर सिर उठाओ और संतुष्ट होकर बैठ जाओ । (वुखारी एवं मुस्लिम)

११. यदि आप से नमाज के वाजिव कामों में से कोई वाजिव, जैसे तशहूद छूट जाये या रिकअंतों की संख्या में सन्देह हो जाये तो थोड़ी रिकअंतें गिनकर नमाज पूरा कर लो और सलाम फेरने से पहले दो सजदे करो जिसे सजदा सहो कहते हैं ।

१२. नमाज में ज्यादा हरकत न करो क्योंकि यह नमाज के खुशूअ और खुजूअ के विरुद्ध है । बल्कि संभव है कि अधिक और अनावश्यक हरकत नमाज बर्बाद होने का कारण बन जाये ।

१३. ईशा की नमाज का समय आधी रात को समाप्त हो जाता है जबकि वित्र की नमाज का समय फज्ज की नमाज के समय तक शेष रहता है ।

## नमाज से संबंधित हुदीसें

१. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया : जो व्यक्ति फ़ज्ज की नमाज जमाअत के साथ अदा करने के बाद सूर्योदय तक बैठा अल्लाह का जिक्र करता रहता है और फिर दो रिकअत नमाज पढ़ता है, तो उसे पूरे हज और उमरे का सवाब मिलता है। (सही-तिरमिज्जी)
२. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया : जिस व्यक्ति की फ़र्ज नमाज में कमी रह गयी तो उसकी यह कमी उसकी नफ़ली नमाज से पूरी कर दी जायेगी। (सही-तबानी)
३. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया : जो व्यक्ति जोहर की नमाज से पहले चार और बाद में चार रिकअतें पढ़ता है अल्लाह तआला उसे जहन्नम की आग पर हराम कर देता है। (सही-तिरमिज्जी)
४. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया : ऐसे नमाज पढ़ो जैसे तुम मुझे नमाज पढ़ते देखते हो। (बुखारी)
५. जब तुममें से कोई मस्जिद में दाखिल हो तो बैठने से पहले दो रिकअत पढ़ ले जिन्हें तहीय्यतुल मस्जिद कहा जाता है। (बुखारी)
६. कब्रों पर मत बैठो और न उन की ओर मुख कर के नमाज पढ़ो। (मुस्लिम)
७. जब जमाअत खड़ी हो जाये तो फिर फ़र्ज नमाज के सिवा कोई नमाज नहीं होती। (मुस्लिम)
८. मुझे आदेश मिला है कि कोई कपड़े न समेटू। (मुस्लिम)  
इमाम नौवी फरमाते हैं : मना इस बात का है कि नमाज की

हालत में आस्तीन आदि समेटी जाये ।

९. अपनी पंक्तियाँ सीधी कर लो और साथ मिल आओ । हजरत अनस फरमाते हैं, हम एक दूसरे के कन्धे से कन्धा और पांव से पांव मिलाया करते थे । (बुखारी)

१०. जब नमाज खड़ी हो जाये तो फिर दौड़ते हुए न आओ बल्कि नमाज की ओर आते हुए तुम सुकून से रहो । और नमाज का जो हिस्सा तुम्हें मिल जाये वह इमाम के साथ पढ़ लो । शेष हिस्सा बाद में पूरा कर लो । (बुखारी व मुस्लिम)

११. पूरे इतिमेनान से रूकूअ करो । फिर उठो और सीधे खड़े हो जाओ । फिर पूरे इतिमेनान से सजदा करो । (बुखारी)

१२. जब सजदा करो तो अपने हाथ जमीन पर रखकर 'केहुनियों' को उठाये रखो । (मुस्लिम)

१३. नबी अकरम सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हारा इमाम हूँ अतएव रूकूअ या सजदा करते हुए मुझ से पहले न करो । (मुस्लिम)

१४. क्रियामत के दिन प्रत्येक व्यक्ति का सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा । यदि नमाज सही हुई तो सारे कर्म सही हो जायेंगे । यदि नमाज फासिद हुई तो सारे कर्म वर्बाद हो जायेंगे । (सही - तबरानी)

## जुमा की नमाज और जमाअत की फर्जीयत

जुमा की नमाज और उसे जमाअत से अदा करना निम्नलिखित दलीलों से पुरूषों पर वाजिब है।

१. अल्लाह तआला फरमाता है :

ऐ ईमान वालो, जब जुमा के दिन नमाज के लिए अज्ञान दी जाये तो अल्लाह की याद (नमाज) की तरफ दौड़ो और खरीदना और बेचना (दुनिया के लिए) छोड़ दो यह तुम्हारे लिए बेहतर है यदि तुम जानते हो। (सूरह अल-जुमा)

२. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया : जो व्यक्ति तीन जुमे गफलत और सुस्ती से छोड़ देता है अल्लाह तआला उसके दिल पर (गुमराही) की मुहर लगा देते हैं। (अहमद, सही)

३. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया : मैंने इरादा किया कि अपने जवानों को लकड़ियाँ इकट्ठी करने का आदेश दूँ फिर उन लोगों के पास जाऊँ जो बिना किसी कारण अपने घरों में नमाज पढ़ते हैं और उन्हें कोई बीमारी नहीं है तो उनके घरों को जला दूँ। (मुस्लिम)

४. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं : जो व्यक्ति अज्ञान सुनने के बावजूद नमाज के लिए मस्जिद में नहीं आता तो (बीमारी का भय जैसे) कारणों के बिना उसकी नमाज नहीं होती। (इब्ने माज़ :)

५. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अंधा व्यक्ति आया और कहा : ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे कोई मस्जिद में

लाने वाला नहीं, अतएव वह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से घर में नमाज पढ़ने की अनुमति मांगता है, तो आप उसे अनुमति दे देते हैं, परन्तु जब वह चलने लगता है तो आप पूछते हैं कि क्या तुम अज्ञान की आवाज सुनते हो तो उसने जवाब दिया जी हाँ ! आप ने फरमाया, तो फिर तुम्हें मस्जिद में नमाज के लिए आना होगा । (मुस्लिम)

६. हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजिअल्लाहु अन्हु फरमाते हैं : जो व्यक्ति चाहता है कि वह कल कियामत के दिन अल्लाह तआला से इस्लाम की हालत में भिले तो उसे चाहिए कि जब भी पांचों नमाजों के लिए मुनादी हो तो उनके जमाअत की पावन्दी करे । क्योंकि अल्लाह तआला ने तुम्हारे नबी को हिदायत के रास्ते बताये हैं और नमाजों को जमाअत से अदा करना उन्हीं हिदायत पाये हुए तरीकों में से है । यदि तुम भी पीछे रहने वाले की भाँति घर में नमाज पढ़ना शुरू कर दो तो अपने नबी की सुन्नत को छोड़ दोगे । और जब अपने नबी की सुन्नत को छोड़ दोगे तो गुमराह हो जाओगे और हम देखा करते थे कि जाने बूझे मुनाफिकों के सिवा कोई दूसरा आदमी जमाअत से पीछे नहीं रहता था । यहाँ तक कि किसी को (बीमारी के कारण) दो आदमियों का सहारा लेकर ही क्यों न आना पड़ता वह आता यहाँ तक कि उसको पंक्तियों में खड़ा कर दिया जाता । (मुस्लिम)

## जुमा की नमाज और जमाअत की फ़ज़ीलत

१. नवी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया : जो व्यक्ति स्नान करके जुमा के लिए आता है और जहाँ तक होता है नफिल नमाज पढ़ता है । फिर इमाम के फारिग होने तक उसका खुत्बा खामोशी से सुनता है और इमाम के साथ जुमा की नमाज अदा करता है तो उसके उस जुमा से दूसरे जुमा तक के गुनाह माफ कर दिये जाते हैं और दिन के और भी । (मुस्लिम)
२. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया : जो व्यक्ति ईशा की नमाज जमाअत से अदा करता है ऐसा है जैसे उसने आधी रात तक कियाम किया हो, और जो व्यक्ति फज्ज की नमाज भी जमाअत से पढ़ता है ऐसा है जैसे उसने सारी रात कियाम किया हो । (मुस्लिम)
३. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया : जमाअत से नमाज अकेले नमाज के मुकावले में सत्ताइस गुना ज्यादा बेहतर है । (वुखारी, मुस्लिम)
४. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया : जो व्यक्ति गुस्से जनावत की तरह स्नान करता है और पहली घड़ी में जुमा के दिन मस्जिद आता है वह ऐसा है जैसे उसने ऊंट की कुर्बानी दी हो । और जो व्यक्ति दूसरी घड़ी में आता है ऐसा है जैसेकि उसने गाय की कुर्बानी दी हो, और जो तीसरी घड़ी में आता है ऐसा है जैसे उसने सींगों वाले मेंढे की कुर्बानी दी हो । और जो चौथी घड़ी में आये ऐसा है जैसे उसने मुर्गी कुर्बान की हो । और पांचवीं घड़ी में आने वाले को अण्डे की कुर्बानी का सवाब मिलता है । फिर जब इमाम खुत्बा के लिए आ जाये तो सवाब लिखने वाले फरिश्ते खुत्बा सुनने के लिए बैठ जाते हैं । (मुस्लिम)

## जुमा की नमाज और उसके आदाव

१. मैं जुमा के दिन स्नान करता, नाखून उतारता, खुशबू लगाता और वज्रू के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनता हूँ।
२. कच्ची प्याज और लहसुन नहीं खाता और न सिगरेट पीता हूँ और मिसवाक से अपने दौत साफ करता हूँ।
३. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेश का पालन करते हुए मस्जिद में दाखिल होकर दो रिकअत तहिय्यतुल मस्जिद पढ़ता हूँ। चाहे इमाम खुत्बा दे रहा हो। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया : जो व्यक्ति खुत्बे के बीच मस्जिद में आये तो हलकी सी दो रिकअत पढ़ ले। (बुखारी, मुस्लिम)
४. बिना कोई बात किये इमाम का खुत्बा सुनने के लिए बैठ जाता हूँ।
५. जुमा की नमाज के बाद मस्जिद में चार या घर में दो रिकअत सुन्नत पढ़ता हूँ और यही बेहतर है।
६. इमाम के पीछे दिल से नीयत करते हुए जुमा की दो रिकअत फर्ज अदा करता हूँ।
७. उस दिन मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अन्य दिनों के मुकाबले ज्यादा दरूद और सलाम पढ़ता हूँ।
८. जुमा के दिन ज्यादा से ज्यादा दुआ करता हूँ क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया : जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी होती है कि जो मुसलमान भी अपने लिए अल्लाह से उस समय कोई भलाई मांगता है तो अल्लाह तआला उसे वह दे देता है। (बुखारी, मुस्लिम)

## बीमार के लिए नमाज का फर्ज होना

मुसलमान भाईयो ! बीमारी की हालत में भी नमाज मत छोड़िये क्योंकि इस हालत में भी नमाज फर्ज है। इसी तरह अल्लाह तआला ने मुजाहिदों के लिए युद्ध के दौरान भी नमाज पढ़ना फर्ज किया है।

और आप को मालूम होना चाहिए कि बीमार व्यक्ति के लिए नमाज दिली सुकून का कारण बनती है। जो उसे शीघ्र स्वस्थ होने में सहायक बनती है।

अल्लाह तआला फरमाते हैं :

“और मदद हासिल करो सब्र और नमाज कायम करने से ।”

और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे : ऐ बिलाल नमाज के लिए इकामत कहो, ताकि हम नमाज कायम करके सुकून हासिल कर सकें। (अवू दाऊद)

बीमार व्यक्ति को नमाज छोड़कर नाफरमान बनकर मरने के बजाय यह चाहिए कि नमाज अदा करता हुआ दुनिया से विदा हो जाये। अल्लाह तआला ने बीमार के लिए पानी न इस्तेमाल करने की सूरत में तयम्मुम करने की जो आसानी दी है वह इसलिए है कि कहीं पानी न इस्तेमाल कर सकने पर वह नमाज न छोड़ बैठे।

अल्लाह तआला फरमाते हैं :

“और यदि तुम बीमार हो, या सफर में हो, या तुममें से कोई नित क्रिया से निवृत होकर आये या औरत के साथ सम्भोग किया हो, और पानी न मिल सके (या उसे इस्तेमाल न कर सको) तो पाक

मिट्टी से तयम्मुम करते हुए मुँह और हाथों पर मसह करो और अल्लाह तआला तुम्हें कोई दुख नहीं देना चाहते बल्कि वह तुम्हें पाक और तुम्हारे ऊपर अपना एहसान पूरा करना चाहते हैं ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ ।” (सूरह अल-मायदा)

### बीमार व्यक्ति की तहारत (पाकी) का तरीका

१. बीमार के लिए जरूरी है कि वह पानी से तहारत करे अतएव जनाबत (सहवास के बाद) आदि से स्नान करे अन्यथा बुजू करे ।
२. यदि पानी इस्तेमाल करने में असमर्थ हो या बीमारी के बढ़ने या स्वस्थ होने में देर होने की आशंका हो तो ऐसी हालत में तयम्मुम कर सकता है ।
३. तयम्मुम का नियम यह है कि एक बार अपने दोनों हाथों को पाकीजा (पवित्र) मिट्टी पर मारे और फिर उनसे अपने चेहरे का और फिर दोनों हाथों का एक दूसरे पर मसह करे ।
४. यदि बीमार स्वयं तहारत न कर सकता हो तो कोई दूसरा व्यक्ति उसे बुजू या तयम्मुम करवा सकता है ।
५. यदि बीमार के किसी ऐसे अंग में घाव हो जिसे बुजू में धोना जरूरी हो तो यदि वह उसे पानी से धो सकता है तो उसे धो ले लेकिन यदि पानी से घाव प्रभावित होता हो तो अपना हाथ धोकर मसह कर ले और यदि मसह करने से घाव बिगड़ने की संभावना हो तो फिर उन अंगों का भी तयम्मुम कर ले ।

**स्पष्टीकरण :** मिसाल के तौर पर यदि किसी के दायें पांव में घाव हो तो उसे चाहिये कि शेष अंगों को धोने के बाद यदि पांव का वह भाग जहाँ घाव है, धो सकता है तो धो ले । लेकिन यदि उससे घाव बिगड़ने का भय हो तो फिर शेष अंगों को धोने के बाद उस

पांव की तरफ से इस तरह तयम्मुम कर ले जैसा कि तयम्मुम करने का तरीका बताया जा चुका है।

६. यदि उसके किसी टूटे हुए अंग पर पट्टी आदि हो तो धोने के बदले उस पर मसह कर लेना काफ़ी होगा। क्योंकि उस परिस्थिति में मसह करना धोने के समान होगा अतएव उसकी तरफ से तयम्मुम करने की जरूरत नहीं।

७. दीवार या किसी भी ऐसी पाकीजा चीज पर तयम्मुम करना जायज है जिस पर गर्द हो। और यदि दीवार रंग (पेंट) की हुई हो तो फिर केवल उस समय उस पर तयम्मुम करना जायज होगा जब उस पर गर्द (धूल-कण) पड़े हों अथवा नहीं।

८. यदि तयम्मुम धरती, दीवार या किसी गर्द वाली वस्तु पर करना संभव न हो तो फिर वीमार व्यक्ति अपने पास किसी वर्तन या कपड़े में मिट्टी रख ले और उसी से तयम्मुम करे।

९. यदि रोगी ने एक नमाज के लिए तयम्मुम किया और उसकी यह तहारत दूसरी नमाज तक शेष रही तो वह यह नमाज दोबारा तयम्मुम किये विना पढ़ सकता है। क्योंकि जब तक वह तहारत किसी बजह से समाप्त नहीं कर देता उस समय तक उसकी तहारत शेष है।

**नोट :** तयम्मुम भी प्रत्येक उस चीज से समाप्त हो जाता है जिससे बुजू टूट जाता है।

१०. रोगी के लिए अपने शरीर से हर प्रकार की नजासत (गन्दगी) दूर करना जरूरी है। लेकिन यदि वह ऐसा करने का सामर्थ्य न रखता हो तो वह जिस हालत में है उसी हालत में नमाज पढ़ ले और गन्दगी दूर होने पर उसे नमाज दोहराने की जरूरत नहीं।

११. बीमार व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वह पाकीजा (पवित्र) कपड़ों में नमाज पढ़े। अतएव यदि कपड़े नापाक हो जाते हैं तो उन्हें धोना या पाकीजा कपड़ा बदल लेना जरूरी होगा। लेकिन यदि संभव न हो तो फिर वह जिस हालत में है उसमें नमाज पढ़ ले। पवित्र कपड़े मिलने पर नमाज दोहराने की जरूरत नहीं।

१२. रोगी के लिए यह भी जरूरी है कि वह पाक जगह पर नमाज पढ़े। अतएव यदि जगह नापाक हो जाती है तो उसे धोना, जगह बदलना, या फिर उस पर पाक चीज़ (कपड़े आदि) विछाना जरूरी होगा। लेकिन यदि वह भी असंभव न हो तो वह जैसा भी हो नमाज पढ़ ले और बाद में दोहराने की जरूरत न होगी।

१३. रोगी के लिए यह जायज नहीं कि वह पाक न हो सकने की बजह से नमाज समय पर अदा न करे। बल्कि उसे चाहिए कि भरसक तहारत करे। और नमाज को उसके समय में अदा करे। और यदि कोशिश के बावजूद शरीर, कपड़े या स्थान से गन्दगी दूर न कर सका तो कोई हर्ज नहीं।

## बीमार व्यक्ति कैसे नमाज पढ़े ?

१. रोगी के लिए आवश्यक है कि वह नमाज खड़ा होकर अदा करे । चाहे उसे झुक कर या दीवार या लाठी से टेक लगाकर ही क्यों न पढ़ना पढ़े ।
२. लेकिन यदि खड़े होने का सामर्थ्य न हो तो बैठ कर पढ़ सकता है । और बेहतर यह है कि क्रायाम और रूकूअ की जगह वह चार ज्ञानू होकर बैठे ।
३. लेकिन यदि बैठने की भी ताकत न हो तो किब्ला की ओर फिर कर लेटे हुए ही नमाज पढ़े । और बेहतर यह है कि दायें पहलू पर लेटा हो । लेकिन यदि किब्ला की दिशा में न मुड़ सकता हो तो फिर वह जिस तरफ लेटा हो उसी तरफ नमाज पढ़ ले । उसकी नमाज सही होगी और दोहराने की जरूरत नहीं ।
४. यदि पहलू पर भी नमाज पढ़ना सभव न हो तो वह अपने पाव किब्ला की ओर किये हुए लेटे लेटे भी नमाज पढ़ सकता है । और अच्छा यह है कि उसका सिर थोड़ा ऊंचा हो ताकि किब्ला रूख हो सके और यदि यह भी संभव न हो तो फिर वह जैसे लेटा हो वैसे ही नमाज पढ़ले, दोहराने की जरूरत न होगी ।
५. बीमार के लिए भी रूकूअ और सजदा करना जरूरी है लेकिन यदि न कर सकता हो तो उसे अपने सिर से इशारा करते हुए रूकूअ और सजदा करे । अतएव सजदा करते हुए रूकूअ के मुकाबले अधिक सिर झुकाए । और यदि केवल रूकूअ ही कर सकता हो तो रूकूअ कर ले और सजदा के लिए सिर से इशारा कर ले । इसी तरह यदि केवल सजदा कर सकता हो तो सजदा कर ले और रूकूअ के लिए सिर से इशारा कर ले । और सजदा करने

के लिए कोई तकिया आदि उठाने की जरूरत नहीं है।

६. यदि वीमार व्यक्ति रुकूअ और सजदा सिर के इशारे से भी न कर सकता हो तो फिर अपनी आँखों से इशारा करे। अतएव रुकूअ के लिए इशारा करते हुए आँख मामूली अन्दाज में बन्द करे और सजदा के लिए इशारा करते समय रुकूअ के मुकाबले ज्यादा बन्द करे। कुछ वीमार लोग रुकूअ और सजदा के लिए उंगली से इशारा करते हैं। हालांकि इस बात की मुझे कुरआन, हदीस और आलिमों के कथनों से कोई दलील मालूम न हो सकी।

७. फिर यदि सिर या आँख से भी इशारा करने की ताकत न हो तो अपने दिल में नमाज पढ़े अतएव तकबीर कहे, किराअत करे और अपने दिल से रुकूअ, सजदा, कियाम और वैठने का इरादा करे और हर व्यक्ति का बदला उसकी नीयत के अनुसार है।

८. रोगियों के लिए प्रत्येक नमाज को समय पर अदा करना और उसके बाजिब चीजों को भरसक पूरा करना जरूरी है। लेकिन यदि उसके लिए प्रत्येक नमाज समय पर अदा करना मुश्किल हो तो फिर जोहर और अस और मगरिब और ईशा की नमाज इकट्ठी पढ़ सकता है। आसानी के मुताविक जमा तकदीम यानी अस की नमाज जोहर के साथ और ईशा की नमाज मगरिब के साथ या जमा ताखीर यानी जोहर की नमाज अस के साथ या मगरिब की नमाज ईशा के साथ पढ़ सकता है। जबकि फज्ज की नमाज किसी पहली या बाद वाली नमाज के साथ जमा नहीं की जा सकती।

९. यदि वीमार व्यक्ति सफर में हो और अपने नगर के अलावा किसी दूसरे नगर में इलाज करा रहा हो तो उसे नमाज कस के साथ पढ़ना चाहिए। अतएव चार रिकअत वाली नमाज दो रिकअत पढ़े जैसे कि जोहर, अस और ईशा की नमाजें हैं और यह छूट

उसके इलाज पूरा होने तक शेष है। चाहे इलाज लम्बी अवधि तक चले या थोड़ी अवधि में हो।

## मुस्तजाब दुआये

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया : जिस व्यक्ति ने रात को उठकर यह दुआ पढ़ ली और फिर कहा कि अल्लाह मुझे माफ कर दे तो उसकी दुआ कुबूल होगी और अगर वुजू करके नमाज पढ़ी तो उसकी नमाज कुबूल होगी। (वुखारी)

“अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं वह एक है, उसका कोई साझी नहीं। उसके लिए बादशाही और सब तारीफें हैं। और वह हर चीज पर कुदरत रखता है। अल्लाह की जात पाक है। सब तारीफें उसकी हैं और उसके सिवा कोई इबादत के योग्य नहीं। और अल्लाह किवरियाई वाला है। और अल्लाह के सिवा मेरी कोई शक्ति और सामर्थ्य नहीं।”

## जनाजे की नमाज पढ़ने का तरीका

जनाजे की नमाज पढ़ने वाला दिल से उसकी नीयत करे और फिर चार तकबीरें कहे :

१. पहली तकबीर के बाद अऊजु विल्लाह और विस्मिल्लाह पढ़कर सूरह फ़ातिहा पढ़े ।
२. दूसरी तकबीर के बाद दरूदे इब्राहीमी पढ़े ।
३. तीसरी तकबीर के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सावित होने वाली यह दुआ पढ़े ।

ऐ अल्लाह हमारे जिन्दों, मुर्दों, उपस्थित लोगों एवं अनुपस्थित जनों, छोटों और बड़ों, पुरुषों और महिलाओं को बध्य दे । या अल्लाह हम में से जिसे जीवित रखे उसे इस्लाम पर जिन्दा रख और जिसे मौत दे उसे ईमान पर मौत दे । ऐ अल्लाह हमें मरने वाले के सवाब से वंचित न रख और उसके बाद किसी आजमाईश में मुव्विला न कर । (अहमद, तिरमिजी, हसन सही)

४. चौथी तकबीर के बाद इच्छानुसार दुआ करे और फिर दायी और सलाम फेर दे ।

### मौत का उपदेश :

अल्लाह तआला का फरमान है :

“प्रत्येक प्राणि को मौत का मज्जा चखना है और कियामत के दिन तुम्हें (तुम्हारे कर्मों का) पूरा-पूरा बदला दिया जायेगा । अतएव जो व्यक्ति जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल कर दिया गया वही सफल है और दुनिया की जिंदगी तो केवल धोखे का सामान है ।” (सूरह आल-इमरान)

## ईदगाह में ईद की नमाज

१. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदुल फित्र और ईदुल अजहा के दिन ईदगाह जाते तो वहाँ पहुंचकर सबसे पहले नमाज पढ़ते। (बुखारी)

२. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया : ईदुल फित्र की नमाज में पहली रिकअत में सात और दूसरी रिकअत में पांच तकबीरें कही जाती हैं और उन तकबीरों के बाद किराअत की जाती है। (अबू दाऊद, हसन)

३. हजरत उम्मे अतिया रजिअल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आदेश किया कि हम ईदुल फित्र और ईदुल अजहा के लिए मासिक धर्म वाली महिलायें और पर्दा में रहने वाली कुंवारी लड़कियाँ भी साथ ले जायें। लेकिन मासिक धर्म वाली औरतें नमाज न पढ़ें। ताकि वह भी इस खैर व बरकत के सम्मेलन और मुसलमानों की दुआ में शरीक हो सकें। हजरत उम्मे अतिया रजिअल्लाहु अन्हा फरमाती हैं। मैंने कहा : अल्लाह के रसूल ! यदि हम में से किसी बहन के पास ओढ़नी न हो तो फिर आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फरमाया : उस की किसी बहन को चाहिये कि वह उसे अपनी ओढ़नी ओढ़ा दे। (बुखारी व मुस्लिम)

इन हदीसों से मालूम हुआ कि :

१. ईद की दो रिकअत नमाज पढ़ना सुन्नत है। जिसमें नमाजी पहली रिकअत के शुरू में सात और दूसरी रिकअत के शुरू में पांच तकबीरें कहे। फिर सूरह फातिहा और कुरआन में से जो याद हो पढ़े।

२. ईद की नमाज मदीने के नजदीक ईदगाह में अदा की जाती थी जिसकी तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाया करते और आप के साथ बच्चे, औरतें, युवतियाँ और यहाँ तक कि हैज़ की महिलायें भी जाया करती ।

हाफिज़ इब्ने हज़ फतहुल वारी में फरमाते हैं, इससे मालूम हुआ की ईद की नमाज के लिए ईदगाह में जाना जरूरी है और मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ना केवल मजबूरी में ही जायज है ।

## ईदुल अज्जहा में कुर्बानी की ताकीद

१. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया : हमें चाहिये कि अपनी ईद का दिन नमाज से शुरू करें फिर वापस आकर कुर्बानी करें। अतएव जो व्यक्ति इस तरह से करता है तो उसने हमारी सुन्नत अपना ली और जिस व्यक्ति ने ईद की नमाज से पहले कुर्बानी का जानवर ज़िब्ह कर लिया तो उसकी कुर्बानी नहीं हुई। बल्कि अपने घर वालों को खाने के लिए गोश्त की व्यवस्था की है। (बुखारी व मुस्लिम)

२. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया : लोगो ! हर घर के लिए कुर्बानी करना जरूरी है। (अबू दाऊद, तिरमिज्जी, नसाई, इब्ने माजा, अहमद, इब्ने हज्ज ने इसे सहीह करार दिया है)

३. और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया : जो व्यक्ति सामर्थ्य रखने के बावजूद कुर्बानी नहीं करता वह हमारी ईदगाह में न आये। (अहमद आदि जामिउल उसूल के लेखक ने इसे हसन करार दिया है)

## इस्तिसका की नमाज

(वर्षा मागने के लिए नमाज़)

१. सही बुखारी में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह की ओर इस्तिसका की नमाज पढ़ने के लिए निकले । और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वर्षा के लिए दुआ मांगी । फिर किल्ला की ओर फिर कर दो रिक्वेट नमाज पढ़ी और अपनी चादर उलट दी चादर का दाया हिस्सा वांगी ओर कर दिया । (बुखारी)

२. हजरत अनस विन मालिक रजिअल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब अकाल पड़ता तो हजरत उमर विन खत्ताव रजिअल्लाहु अन्हु हजरत अब्बास रजिअल्लाहु अन्हु को साथ लेकर वर्षा की दुआ माँगते और फरमाते, “या अल्लाह ! हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को (जब वह जिन्दा थे) वसीला बनाते हुए बारिश की दुआ माँगा करते थे । तो तू बारिश बरसाता था । अब जबकि तेरे नवी का देहान्त हो चुका है हम आपके चचा का वसीला देते हुए तुझसे बारिश की दुआ करते हैं ।” अतएव अल्लाह तआला पानी बरसाते थे । (बुखारी)

३. यह हीस इस बात की दलील है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्दा थे तो मुसलमान उनको दुआ का वसीला बनाते और उनसे बारिश के लिए दुआ करवाते । और जब वह अपने खालिक से जा मिले तो फिर मुसलमानों ने मृत नबी से दुआ नहीं करवायी वल्कि हजरत अब्बास रजिअल्लाहु अन्हु (जो अभी जीवित थे) ने अल्लाह तआला से उनके लिए वर्षा की दुआ की ।

## खुसूफ़ और कुसूफ़ की नमाज

वह नमाज जो सूर्यग्रहण या अन्द्रग्रहण लगने पर पढ़ी जाती है।

१. हजरत आइशा रजिअल्लाहु अन्हा फरमाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सूर्यग्रहण लगा तो आपने घोषणा करवायी कि नमाज के लिए इकट्ठे हो जाओ। फिर आपने चार रुकूअ और चार सज्दों से दो रिकअत नमाज अदा की यानी हर रिकअत में दो रुकूअ और दो सज्दे किये। (बुखारी)

२. हजरत आइशा रजिअल्लाहु अन्हा से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब सूर्यग्रहण लगा तो आपने लोगों को इस तरह नमाज पढ़ाई कि आपने लम्बी क्रिराअत करने के बाद लम्बा रुकूअ किया फिर रुकूअ से सिर उठाकर लम्बी क्रिराअत की जो पहली क्रिराअत के मुकाबले कुछ कम थी। फिर आपने रुकूअ किया जो पहले रुकूअ के मुकाबले छोटा था। फिर रुकूअ से उठने के बाद दो सज्दे किये और फिर उसी तरह से दो रिकअत अदा की और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो उस समय सूर्य रोशन हो चुका था। फिर आपने लोगों को सम्बोधित किया और फरमाया, कि सूर्य और चाँद किसी की मौत या जिन्दगी की वजह से नहीं गहनाते बल्कि यह तो अल्लाह तआला की निशानियाँ हैं जो कि अपने बन्दों को (डराने के लिए) दिखाते हैं, अतएव जब तुम चाँद या सूरज ग्रहण लगा दुआ देखो तो नमाज की तरफ दौड़ो। अल्लाह तआला से दुआ करो, दरूद पढ़ो और सदका और खैरात करो।

**नोट:** आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इसलिए फरमाया

क्योंकि उस दिन आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के पुत्र इब्राहीम (रजिअल्लाहु अन्हु) की मृत्यु हो गई थी। इसलिए कुछ लोगों ने यह स्थान किया कि संभवतः इब्राहीम रजिअल्लाहु अन्हु की मृत्यु के कारण सूर्यग्रहण लगा है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका यह सन्देह दूर करने के लिए यह फरमाया ।

फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया : ऐ मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की उम्मत ! यदि तुम्हारी गैरत यह सहन नहीं करती कि तुम्हारा कोई गुलाम या लौण्डी व्याभिचार करे तो अल्लाह तआला तुमसे ज्यादा गैरतमन्द है कि उसका कोई बन्दा या बन्दी व्याभिचार करे। ऐ मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की उम्मत ! यदि तुम्हें वह बातें मालूम हों जो हमें मालूम हैं तो तुम बहुत थोड़ा हँसा करो और बहुत ज्यादा रोया करो । क्या मैंने तुम्हें तबलीग नहीं कर दी । (बुखारी, मुस्लिम)

## इस्तिखारा की नमाज

इस्तिखारा की नमाज उस समय पढ़ी जाती है जब कोई व्यक्ति कोई काम करना चाहता हो लेकिन वह उसे करने या न करने का फैसला न कर पाता हो तो उस स्थिति में वह दो रिक्विट नमाज पढ़कर उस काम में बेहतरी और आसानी की दुआ करे।

हजरत जाबिर रजिअल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें समस्त कार्यों के लिए इस तरह इस्तिखारा की दुआ सिखाते थे। आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फरमाया, जो व्यक्ति किसी काम का इरादा करे उसे दो रिक्विट नफ़्ल पढ़कर दुआ माँगनी चाहिए। दुआ का अनुवाद यह है।

"या अल्लाह, मैं तेरे ज्ञान के बदौलत भलाई चाहता हूँ और तेरे सामर्थ्य की सहायता से कार्य करने की शक्ति माँगता हूँ और तुझ से तेरी महान कृपा का सवाल करता हूँ। निश्चय तू ही सामर्थ्य रखता है। मैं सामर्थ्य नहीं रखता, तू ही जानता है जबकि मैं नहीं जानता और तू ही गैब का इल्म जानने वाला है। या अल्लाह, यदि तेरे इल्म के मुताबिक यह काम (उस काम का नाम लेकर) मेरे लिए दीनी और दुनियावी मामलों और परिणाम की दृष्टि से बेहतर है, तो तू उसे मेरा भाग्य बना दे। उसकी प्राप्ति मेरे लिए आसान कर दे। और उसे मेरे लिए बरकत वाला बना दे। और यदि तेरे इल्म में यह काम मेरे लिए दीनी और दुनियावी मामलों और परिणाम की दृष्टि से हानिकारक है तो उसे मुझसे दूर कर दे और मेरी सोच और विचार से निकाल दे और जहाँ कहीं भी भलाई हो उसे मेरा भाग्य बना दे और मुझे इस पर संतुष्ट कर दे।"

(बुखारी)

जैसे एक व्यक्ति इलाज के लिए स्वयं दवाईयों का इस्तेमाल करता है। ऐसे ही उसे यह नमाज और दुआ स्वयं करना चाहिए। और उसे इसका विश्वास हो कि उसने अपने जिस रब से इस्तिखारा किया है वह अवश्य उसकी किसी बेहतर रास्ते की ओर मार्गदर्शन करेगा। और उस बेहतरी का चिन्ह यह है कि आप के लिए उस काम के अस्वाब आसान हो जायेंगे। इस इस्तिखारे का ज्ञान हो जाने के बाद तुम विदअती इस्तिखारे से बचो जो सपनों, मुकाशफों और पति-पत्नी के नामों का हिसाब लगाकर किये जाते हैं। क्योंकि ऐसी चीजों की दीन में कोई वास्तविकता नहीं। बल्कि शिर्क और विदअत हैं। जैसाकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया :

जिस व्यक्ति ने ज्योतिषी से कोई बात पूछी और उसकी तसदीक कर दी तो चालीस दिन तक उसकी नमाज स्वीकार नहीं होती। (मुस्लिम)

दूसरी हदीस में है :

ऐसे व्यक्ति ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाले (कुरआन) से कुफ्र किया।

## नमाजी के आगे से गुजरने पर गुनाह

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कि यदि नमाजी के समाने से गुजरने वाले को पता चल जाये कि उस पर कितना गुनाह है तो उसके लिए चालीस (साल) खड़ा होना नमाजी के आगे से गुजरने से बेहतर है। (बुखारी, इब्ने खुजैमा)

अबु नजर ने कहा कि मैं नहीं जानता कि आपने चालीस दिन या चालीस महीना कहा था या चालीस साल।

इस हदीस में नमाजी के आगे उसके सज्दे की जगह से गुजरने में बहुत बड़े गुनाह की सूचना दी गयी है और अगर गुजरने वाले को गुनाह का इल्म हो तो वह चालीस साल तक प्रतीक्षा करना तो सहन कर लेगा लेकिन नमाजी के आगे से नहीं गुजरेगा। अलबत्ता इसके लिए नमाजी के सज्दागाह से दूर गुजरने में कोई नुकसान नहीं। जैसाकि उस हदीस से पता चलता है जिसमें सज्दा की स्थिति में हाथ रखने की जगह बतायी गयी है।

और नमाजी को चाहिए कि वह अपने सामने सुतरह रख लिया करे। ताकि गुजरने वाले सचेत हो जायें। जैसाकि आप सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम का कथन है जब तुममें कोई सुतरह रखे नमाज पढ़ रहा हो और कोई उसके समाने से गुजरना चाहे तो उसे रोक दे और पीछे हटा दे। यदि फिर भी वह बाज़ न आये तो उसे सख्ती से रोके कि वह शैतान है। (बुखारी, मुस्लिम)

१. बुखारी शरीफ की इस हदीस से सावित होने वाले मना में मस्जिदे हराम (वैतुल्लाह) और मस्जिदे नबवी भी शामिल है क्योंकि आपने यह हदीस मबका और मदीना में ही व्याप फरमाई। जहाँ मस्जिदे हराम और मस्जिदे नबवी हैं।

इस बात की दलील यह भी है कि इमाम बुखारी ने हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजिअल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की है कि उन्होंने बैतुल्लाह में तशहूद के दौरान आगे से गुजरने वाले को रोका और फरमाया कि यदि कोई लड़ा चाहता है तो उससे लड़ो। यानी यदि कोई सख्ती के बिना नहीं रुकता तो उसे सख्ती से रोके। हाफिज इब्ने हज़ फरमाते हैं कि इस हदीस में बैतुल्लाह का उल्लेख किया गया है ताकि यह भ्रम न रहे कि बैतुल्लाह में भीड़ होने के कारण आगे से गुजरना जायज़ है। उपरोक्त रिवायत इमाम बुखारी के गुरु अबू नईम ने किताबुस्सलाह में कावा के उल्लेख से व्याप्त किया है।

२. जबकि सुनन अबू दाऊद में उल्लिखित हदीस एक रावी (उल्लेखकर्ता) के मज्हूल होने के कारण कमज़ोर है। इस हदीस की इबारत यह है कि कसीर बिन कसीर बिन अबी विदाओः अपने घर वालों से रिवायत करते हैं कि उनके दादा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाब बिन सेहुन के निकट बिना सुतरह के नमाज़ पढ़ते हुए देखा और लोग उनके आगे से गुजर रहे थे।

हाफिज इब्ने हज़ फतहुल बारी में फरमाते हैं कि यह हदीस कमज़ोर है क्योंकि कसीर बिन कसीर ने यह हदीस अपने पिता से नहीं बल्कि किसी घर वाले से सुनी है अतएव वह मज्हूल है।

३. इसी तरह सही बुखारी में सुतरह आदि के अध्याय में हजरत अबू हुज़ैफा व्याप्त करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के समय बतहा (मक्का) की ओर निकले जहाँ लाठी गाड़े हुए जोहर और अस की दोगाना नमाज़ अदा की।

सारांश यह है कि नमाज़ी के आगे से उसकी सज्दागाह से गुजरना

हराम है। और यदि वह अपने सामने सुतरह रखे हुए हो और फिर भी कोई उसकी सज्दागाह से गुज़रे तो उसमें सख्त गुनाह की बात है। उपरोक्त हृदीसों के आधार पर यह आदेश मस्जिदे हराम और शेष सभी जगहों के लिए बरावर है। इस आदेश से केवल सख्त भीड़ के समय मजबूरी की हालत में छूट है।

# अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरआन और नमाज पढ़ना

१. अल्लाह तआला ने फरमाया :

और कुरआन को खूब ठहर-ठहर कर पढ़ा करो । (सूरः  
अल-मुजम्मिल)

२. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीन दिन से कम की अवधि  
में कुरआन समाप्त नहीं करते थे । (सही-रवाहो इब्ने साद)

३. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रत्येक आयत पढ़कर रूकते  
और अगली आयत पढ़ते । (तिरमिजी, सही)

४. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते कि कुरआन  
अच्छी रसीली आवाज से पढ़ा करो क्योंकि अच्छी आवाज कुरआन  
के हुस्न को दोबाला कर देती है । (अबू दाऊद, सही)

५. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरआन पढ़ते हुए स्वर  
अधिक खींचते । (अहमद, सही)

६. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्गे की बाँग सुनकर नीद से  
जागते । (बुखारी व मुस्लिम)

७. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी-कभी अपने जूतों में भी  
नमाज पढ़ लेते । (बुखारी व मुस्लिम)

८. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दायें हाथ से जिक्र की गिनती  
करते । (तिरमिजी, अबू दाऊद, सही)

९. जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई  
कठिनाई होती तो नमाज पढ़ते । (अबू दाऊद, अहमद, हसन)

१०. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में बैठते तो अपने दोनों हाथ घुटनों पर रखते और दायें हाथ के अंगूठे के साथ वाली उंगली उठाये दुआ करते। (मुस्लिम, सिफतुल-जुलूसे फिस-सलात ५१८०)

११. (नमाज में बैठे हुए) आप दायें हाथ की उंगली (शहादत) को हिलाते हुए दुआ करते (नसाई-सही) और आप फरमाते उसकी चोट शैतान के ऊपर लोहे से भी ज्यादा सख्त है। (अहमद, हसन)

१२. आप नमाज में अपना दायी हाथ वायें हाथ पर सीना पर रखते [(इन्हे खुजैमा आदि ने उल्लेख किया। तिरमिज्जी ने हसन कहा है) और इमाम नववी ने इसका उल्लेख मुस्लिम शरीफ की व्याख्या में किया और कहा है कि नाफ से नीचे हाथ बांधने वाली हदीस कमज़ोर है।]

१३. चारों इमामों ने एक स्वर में कहा है कि यदि सही हदीस मिल जाये तो वही मेरा मजहब होगा। इसलिए तशहूद में उंगली को हरकत देना (रफउल यदैन करना, ऊचे स्वर में आमीन कहना) और नमाज में सीने पर हाथ रखना उनके मजहब के अनुसार है और यही सुन्नत है।

१४. शहादत की उंगली को नमाज में हरकत देना इमाम मालिक और कुछ शाफ़ई विचारधाराओं के मानने वालों का मजहब है जैसाकि इसका उल्लेख इमाम नववी की पुस्तक शरह अल-मुहज्जब (३।४५४) और मुहक्कक जामिउल-उसूल ने (५।४०४) में किया है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हरकत देने (हिलाने) का कारण उपरोक्त हदीस में व्यान कर दिया है जिसमें शैतान पर लोहे की चोट से भी ज्यादा सख्त है। और यह इसलिए कि उंगली का हरकत देना अल्लाह की तौहीद

की ओर इंगित करना है जबकि शैतान को तौहीद नापसन्द है। अतएव एक मुसलमान को चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इन्कार करने के बदले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करे जैसाकि उन्होंने फरमाया है।

“इस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो।” (बुखारी)

# अल्लाह के रसूल की रात की नमाज

१. अल्लाह तआला फरमाता है :

ऐ चादर ओढ़ने वाले, रात का क्रियाम करो सिवाये कुछ हिस्से के । (सूरः अल-मुजम्मल)

२. हजरत आइशा रजिअल्लाहु अन्हा फरमाती हैं | अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में या रमजान के अलावा (क्रियामुल्लैल) ग्यारह रिकअतों से ज्यादा नहीं पढ़ते थे । अतएव आप चार रिकअत इस तरह पढ़ते कि उनके हुस्न व तूल (लम्बाई) का क्या पूछना । फिर आप चार रिकअत पढ़ते कि उनके हुस्न और तूल (लम्बाई) का क्या पूछना । फिर आप तीन रिकअत पढ़ते । मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या आप वित्र से पहले सोते भी हैं । आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आइशा, मेरी आखिं सोती हैं लेकिन मेरा दिल नहीं सोता । (बुखारी और मुस्लिम)

३. हजरत असवद बिन यजीद रजिअल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हजरत आइशा रजिअल्लाहु अन्हा से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज के बारे में पूछा तो उन्होंने फरमाया कि आप रात का पहला पहर सोते । उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते और जब सेहरी का समय होता तो आप वित्र पढ़ते फिर अपने विस्तर पर आते । यदि हाजत होती तो अपनी पत्नी से सहवास करते । फिर जब अज्ञान सुनते तो उठते । यदि जुन्बी होते तो स्नान करते अन्यथा वुजू कर लेते और नमाज के लिए मस्जिद चले जाते । (बुखारी)

४. हजरत अबू हुरैरह रजिअल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के

रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम (रात को) इतनी लम्बी नमाज पढ़ते कि आप के पांव सूज जाते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जाता, ऐ अल्लाह के रसूल ! आप को ऐसा करने की क्या ज़रूरत है जबकि अल्लाह ने आप के अगले और पिछले सभी गुनाह माफ कर दिये हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यदि ऐसा है तो क्या मैं अल्लाह का झुक़गुजार बन्दा न बनूँ। (बुखारी व मुस्लिम)

५. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम्हारी दुनिया में से मेरे लिए औरतें और खुशबू पसंदीदा बना दी गयी जबकि नमाज में मेरी ओर्खों की ठंडक का सामान किया गया है। (अहमद, सही)

# जकात और इस्लाम में उसका महत्व

## जकात का अर्थ

जकात साल में मुकर्रर हक है जो कुछ शर्तों के साथ नियमित लोगों पर नियमित समय में अदा करना फर्ज है।

जकात इस्लाम के महान अरकान में से एक रूप है जिसका उल्लेख कुरआन शरीफ में बहुत सी जगहों पर नमाज के साथ किया गया है।

और सभी मुसलमान उसके फर्ज होने पर एक मत हैं। अतएव जो व्यक्ति जानने के बाद भी उसके फर्ज होने का इंकार करता है तो वह काफिर है और इस्लाम से बाहर है। किसी ने कंजूसी की या उसमें कोई कमी की तो उसके लिए सख्त यातना और अजाब की चेतावनी आयी है। जैसाकि अल्लाह तआला फरमाते हैं।

और नमाज क्रायम करो और जकात अदा करो। (सूरः अल-बकरः-११०)

और अल्लाह फरमाते हैं :

और उन्हें आदेश दिया गया कि अल्लाह ही के लिए दीन को खालिस करते हुए इबादत करें और नमाज क्रायम करें यकसू होकर और जकात अदा करें और यही सच्चा दीन है।  
(सूरः अल-बैत्यना)

हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजि अल्लाहु अन्हुमा से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया : इस्लाम की बुनियाद पाँच चीजों पर है जिनमें आपने जकात का उल्लेख किया। (वृखारी, मुस्लिम)

हजरत मुआज्ज रजिअल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें यमन का राज्यपाल बनाकर भेजा तो फरमाया, यदि वे (यानी यमन वाले) तुम्हारा कहा मान लें तो उन्हें बताना कि अल्लाह तआला ने उन पर जकात फर्ज की है जो उनके धनी लोगों से लेकर उनके फकीरों में बाटी जायेगी। (बुखारी)

और जकात अदा न करने वाले के काफिर हो जाने के बारे में अल्लाह तआला फरमाता है।

अतः यदि वे (काफिर) तौबा कर लेते हैं और नमाज कायम करते हैं और जकात अदा करते हैं तो फिर वे तुम्हारे दीनी भाई होंगे। (अत्तौब:-११)

इस आयत से मालूम हुआ कि जो व्यक्ति नमाज कायम नहीं करता और जकात अदा नहीं करता वह हमारा दीनी भाई नहीं हो सकता। बल्कि वह काफिरों में से है। इसीलिए हजरत अबू बक्र रजिअल्लाहु अन्हु ने नमाज और जकात में अन्तर करने वालों और नमाज कायम करने के बावजूद जकात न देने वालों से जंग की और सभी सहावियों ने एकमत होकर आप का साथ दिया। अतएव उनके इस अमल की हैसियत इजमाअ की है।

### जकात के फर्ज होने की वजह और उसकी हिक्मत

जकात के फर्ज होने की बहुत सी वजहें, ऊचे उद्देश्य और मस्लिहतें हैं जो किताब और सुन्नत की उन आयतों और हडीसों पर विचार करने से सामने आती हैं जिनमें जकात अदा करने का आदेश दिया गया है। उसकी मिसाल सूरह तौबा की वह आयत है जिसमें जकात के मुस्तहक लोगों का उल्लेख आया है। उसी तरह

वे आयतें और हदीसें जिनमें भलाई के काम में माल खर्च करने को प्रेरित किया गया है।

## जकात के कुछ लाभ

१. जकात देने से मुसलमान के दिल पर गलतियों और गुनाहों से पैदा होने वाली गन्दगियाँ दूर होती हैं और कंजूसी के कारण उसकी आत्मा (रूह) पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव समाप्त होते हैं जैसाकि अल्लाह तआला फरमाते हैं।

(ऐ मेरे रसूल) उनके माल से जकात लेकर उनको पाक और उनके नपस की सफाई करो। (अत्तौब:-१०३)

२. जकात से मुहताज, गरीब मुसलमानों की सहायता और दिलजूई हो जाती है और वह गैर अल्लाह से सवाल करने की जिल्लत से बच जाता है।

३. मुसलमान कर्जदारों का कर्ज अदा करके उसकी परेशानी खत्म की जाती है और कर्जदारों का कर्ज अदा हो जाता है।

४. ऐसे लोगों की जिनका ईमान कमज़ोर है सहायता करके उनके सन्देहों और वेचैनियों के कारण विखरे हुए दिलों को इस्लाम और ईमान के रिश्तों में जोड़ा जाता है। और उनमें पक्का ईमान और यकीन का बीज बोया जाता है।

५. इस्लाम के प्रचार-प्रसार, कुफ्र और फ़साद को मिटाने और न्याय और इंसाफ का झण्डा बुलन्द करने के लिए अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वालों को जंगी हथियारों से लैस करना ताकि अल्लाह की जमीन से कुफ्र और शिर्क मिटाकर अल्लाह की हाकमियत और उसी का दीन कायम किया जाये।

६. ऐसे मुसलमान यात्रियों की सहायता करना जिसके रास्ते का खाना-पीना समाप्त हो चुका हो। उसे जकात में से इतना माल दिया जाये जो उसके लिए घर पहुँचने तक काफी हो।

७. जकात अदा करने से अल्लाह तआला की इताअत और उसके आदेशों का पालन और उसकी मखलूकों पर एहसान करने से माल पाक हो जाता है और माल बढ़ता है और हर प्रकार की आपदाओं से सुरक्षित रहता है।

ये कुछ उच्च स्तरीय उद्देश्य और महान मक्कसद हैं जिनके तहत सदका और जकात देने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा भी अनगिनत उद्देश्य हैं क्योंकि शरीअत की गुत्थियों और उसके कारणों और उद्देश्यों को केवल अल्लाह ही हल कर सकता है।

**माल की ऐसी किस्में जिनमें जकात फर्ज है**

चार किस्म की चीज़ों में जकात निकालना फर्ज है।

१. जमीन से पैदा होने वाले अनाज और फल आदि जैसाकि अल्लाह तआला फरमाते हैं :

ऐ ईमानवालो ! अपने कमाये हुए पाकीजा माल से खर्च करो और जो हमने तुम्हारे लिए जमीन से (अनाज) निकाला उसमें से भी खर्च करो और खर्च करते हुए ऐसा घटिया और रद्दी माल निकालने का इरादा न करो जो यदि तुम्हें वसूल करना हो तो दिल से न चाहते हुए भी कुबूल करो। (अल-बकर:-२६७)

और अल्लाह तआला फरमाते हैं :

और उस (फस्ल) का हक कटाई के समय ही अदा करो।  
(अल-अन्नाम-१४१)

और माल का सर्वश्रेष्ठ हक्क जकात है। जैसाकि नवी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया :

जो फसल वर्षा या झरनों के पानी से सीधी जाये उसमें फसल का दसवाँ हिस्सा जकात निकाली जायेगी जबकि जिस फसल को खुद पानी पटाया जाये उसमें फसल का बीसवाँ हिस्सा जकात निकाली जायेगी। (बुखारी)

२. सोना चांदी और नकदी आदि में जकात फर्ज है जैसाकि अल्लाह तआला फरमाता है :

और वे लोग जो सोना चांदी जमा करते हैं और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते उन्हें दर्दनाक अज्ञाव की खुशखबरी सुना दो। (अत्तौवा-३४)

और सही मुस्लिम में हजरत अबू हुरैरह रजिअल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नवी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया : जो भी सोने और चांदी का मालिक उसकी जकात नहीं निकालता क्रियामत के दिन उसके लिए जहन्नम की आग से सलाखें तैयार की जायेंगी और उनको जहन्नम की आग से गर्म किया जायेगा और उसको दागा जायेगा और जब वह सलाखें ठण्डी होंगी उन्हें दोबारा गर्म किया जायेगा यह उस एक दिन में होगा जो पचास हजार साल के बराबर होगा यहाँ तक कि बन्दों का हिसाब न कर दिया जाये।

३. व्यापार का माल

इससे अभिप्राय जमीन, जानवर, सामान, खाद्य सामग्री और गाड़ी जैसी हर वह वस्तु जो व्यापार के उद्देश्य से तैयार की जाये। अतएव हर साल की समाप्ति पर उसका मालिक उस माल के

मूल्य का अनुमान लगाये और उस अनुमानित मूल्य का ढाई प्रतिशत जकात निकाले, चाहे यह राशि उसके खरीद मूल्य के बराबर हो या उससे कम या ज्यादा हो। उसी तरह जनरल स्टोर, मोटर हाउस और स्पेयर पार्ट्स आदि के मालिकों को चाहिए कि वह अपनी दुकानों में मौजूद सामानों की हर छोटी-बड़ी चीज की गिनती करे और असम्भव हो तो एहतियात के साथ इस तरह से जकात निकाले जिससे वे जिम्मे से बच सके।

#### ४. जानवर और मवेशी

जिसमें ऊट, गाय, बकरी और मेढ़ा शामिल हैं। शर्त यह है कि (अ) वे जावनर चरागाहों में चरने वाले हों, (ब) दूध या गोश्त के लिए तैयार किये गये हों, (स) जकात के निसाब की हद तक जा पहुंचे।

चरने वाले जानवरों से अभिप्राय वे जानवर हैं जो पूरा साल या साल के अधिकांश हिस्सों में चरागाहों की धास-फूस पर गुजर-बसर करते हैं। लेकिन यदि ऐसा नहीं यानी उन्हें अधिकांश दिनों में चारा मुहैया करना पड़ता हो तो फिर केवल उस समय उनमें जकात फर्ज होगी जब वे व्यापारिक उद्देश्य से तैयार किये जायें।

अतएव यदि खरीद व फरोख्त के लिए तैयार किये गये हों तो उनके व्यापार का माल होने के लिहाज से जकात निकाली जायेगी चाहे वे चरागाहों में चरने वाले हों या खुद चारा मुहैया करके पाले जायें।

#### जकात के निसाब की मात्रा

##### १. अनाज और फल

उसका निसाब पाँच वस्क है जो कि ७५० किलोग्राम अच्छे गेहूं

के बराबर है। अतएव यदि अनाज या फल ७५० किलोग्राम तक पहुंच जायें तो यदि वह फसल नहरों या वर्षा के पानी से सीची गयी हो तो उसमें से दसवां भाग और यदि वह फसल मेहनत और परिश्रम से सीची गई हो तो उसमें से २०वां भाग जकात निकाली जायेगी।

## २. नक्दी और क्रीमती धातु आदि

(अ) सोने के निसाब: वीस दीनार है जोकि ८७ ग्राम के बराबर है अतएव यदि सोने का वजन सत्तासी ग्राम या उससे ज्यादा हो तो उसकी ढाई प्रतिशत जकात निकालनी होगी।

(ब) चाँदी का निसाब : पाँच अवाक है जो कि ५९५ ग्राम के बराबर है यदि चाँदी ५९५ ग्राम या उससे ज्यादा हो तो उसमें से भी ढाई प्रतिशत जकात निकालनी होगी।

(स) क्रेंसी आदि : यदि सोने या चाँदी के निसाब के बराबर या उससे अधिक हो तो उसमें भी ढाई प्रतिशत निकालनी होगी।

## ३. व्यापार का माल

उसके मूल्य का अनुमान लगाया जाये। अतएव यदि सोने या चाँदी के निसाब के बराबर या उससे ज्यादा हो तो उससे भी ढाई प्रतिशत जकात निकाली जायेगी।

## ४. मवेशी

(अ) ऊटः ऊटों का कम से कम निसाब ५ ऊट है जिसके लिए एक बकरी जकात में निकाली जायेगी।

(ब) गायः गाय का कम से कम निसाब तीस गाय है जिसके लिए एक साल का गाय का वछड़ा जकात के तौर पर निकाला जायेगा।

(स) बकरी: बकरी का कम से कम निसाब चालीस बकरियाँ हैं जिनमें से एक बकरी जकात निकाली जायेगी।

और अधिक जानकारी के लिए हृदीस और फ़िक्रा की किताबों में देखिये।

### जकात फ़र्ज़ होने की शर्तें

किसी व्यक्ति पर जकात उस समय फ़र्ज़ होती है जब निम्नलिखित शर्तें पायी जायें :

१. इस्लाम में काफिर और मुशर्रिक पर जकात फ़र्ज़ नहीं और न ही उससे कुबूल होती है।

२. सम्पूर्ण मालिकाना अधिकार : यानी जिस माल से जकात निकाली जाये उस पर पूरा-पूरा मालिकाना अधिकार हो। उसे जैसे चाहे प्रयोग में लाये अन्यथा कम से कम उसके हासिल करने का सामर्थ्य रखता हो।

३. माल जकात के निसाब तक पहुंच जाये: यानी माल इतना हो जो शरीअत द्वारा तय की गयी मात्रा या उससे अधिक हो। और यह मात्रा अलग-अलग माल पर अलग-अलग है। जैसाकि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि कुछ मालों का अनुमान लगाकर और शेष वस्तुओं में निम्न मात्राओं पर जकात है।

४. साल बीत जाना: वह यह कि निसाब की सीमा तक माल मिलकियत में आये हुए साल पूरा हो चुका हो। लेकिन जमीन से पैदा होने वाली चीजों की जकात उसकी कटाई के समय निकाली जायेगी। इसी तहर चरागाहों में पलने वाले जानवरों की पैदावार और व्यापार के माल से प्राप्त होने वाले मुनाफे पर जकात साल पूरा होने पर उनके असल के साथ निकाली जायेगी।

५. संप्रभुता: क्योंकि किसी गुलाम पर ज़कात फर्ज़ नहीं और वह इसलिए कि गुलाम किसी चीज़ की मिलकियत रखने का हक नहीं रखता बल्कि उसका माल उसके मालिक की मिलकियत होता है।

### वे लोग जो ज़कात के मुस्तहक हैं

ज़कात के मुस्तहक लोगों को अल्लाह तआला ने खुद तय कर दिया है। अतएव फरमाते हैं :

“ज़कात के मुस्तहक लोग केवल वे हैं, जो फ़कीर, मिस्कीन और ज़कात पर काम करने वाले हों और जिनका दिल रखना मक्सूद हो और गुलाम आजाद कराने, कर्जदार, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले और मुसाफिर। यही अल्लाह की ओर से किया गया फरीज़ा है। और अल्लाह तआला खूब जानता और बुद्धिमान है।” (अत्तौब:-७०)

अल्लाह तआला ने इस आयत में आठ किस्म के जिन लोगों पर ज़कात खर्च करने का आदेश दिया है वह निम्नलिखित है :

१. फ़कीर: इससे अभिप्राय वह व्यक्ति है जो अपनी ज़रूरतों का आधा या उससे भी कम का मालिक हो। और फ़कीर मिस्कीन की तुलना में अधिक ज़रूरतमन्द है जैसाकि अल्लाह तआला ने कुरआन करीम में फरमाया :

“जबकि कश्ती (नाव) ऐसे मिस्कीनों की थी जो समुद्र में काम करते थे।” (अल-कहफ़-७९)

अतएव अल्लाह तआला ने उन लोगों को नाव का मालिक होने के बावजूद मिस्कीन का नाम दिया है।

२. मिस्कीन : ऐसा मुहताज जो फ़कीर की तुलना में बेहतर हालत में हो जैसेकि किसी को दस रूपये की ज़रूरत हो, उसके पास

केवल सात या आठ रूपया हो । फक्रीर और मिस्कीन को इतनी ज़कात देनी चाहिए जो उनकी साल भर की ज़रूरतों के लिए काफी हो । क्योंकि ज़कात साल में केवल एक बार अदा करनी होती है । इसलिए मुहताज अपनी साल भर की ज़रूरतों के अनुसार ज़कात ले सकता है । काफी होने से मुराद खाने, पीने, पहनने और रहने-सहने की वह आवश्यकतायें उपलब्ध कराना है जिनके बिना गुज़ारा न हो सके । अतएव दी जाने वाली ज़कात इतनी हो कि उसके फुज़्ल खर्ची या तंगदस्ती से काम लिए बिना ज़कात वाले की हैसियत के मुताबिक उसकी और उसके परिजनों की आवश्यकतायें पूरी हो सकें । और ये ऐसी चीजें हैं जो समय, आबादी और व्यक्ति के लिहाज से बदलती रहती हैं । अतएव जो माल एक स्थान के लिए एक साल के लिए काफी है वह दूसरे स्थान के लिहाज से नाकाफी हो सकता है । इस तरह जो राशि दस साल पहले काफी समझी जाती थी वह आज के दौर में नाकाफी हो सकती है । इस तरह जो चीज एक व्यक्ति के लिए प्र्याप्त हो वह दूसरे व्यक्ति के लिए उसके बाल-बच्चों या खर्चा आदि के अधिक होने के कारण अप्र्याप्त हो सकती है । बीमार का इलाज, कुँवारे का विवाह और आवश्यकतानुसार इलमी पुस्तकें भी इसमें शामिल हैं । ज़कात पाने वाले उन फक्रीरों और मिस्कीनों के लिए यह शर्त है कि :

वह मुसलमान हो, अतएव नमाज न पढ़ने वाले, कब्र परस्त, गैर अल्लाह को पुकारने वाले और मजारों पर नज़र व नियाज चढ़ाने वाले मुशरिक लोगों को ज़कात देना जायज नहीं क्योंकि कुरआन और हदीस की रोशनी में ऐसे लोग काफिर हैं । और वह बनी हाशिम और उनके गुलामों में से न हों और न उन लोगों में से हों जिनका खर्च ज़कात देने वाले पर हो । जैसे माता-पिता, सन्तान

और पत्तिनया आदि । और न ही वे स्वस्थ्य तथा रोजगार से लगे हुए लोगों में से हों क्योंकि अल्लाह के रसूल سल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया :

जकात में किसी मालदार या ताकतवर वारोजगार का कोई हक्क नहीं । (अहमद, अबू दाऊद, नमाई)

### ३. जकात इकट्ठी करने वाले

ये वे लोग हैं जिन्हें हाकिम या उनका सहयोगी जकात इकट्ठी करने, उसकी सुरक्षा करने और उसे बाटने की जिम्मेदारी सौंपता है । जिसमें जकात बसूल करने, उसकी रखवाली करने, उसका हिसाब-किताब करने, उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और उसे बाटने के कामों में शामिल हैं । जकात का आमिल यदि मुसलमान, वालिग, अमानतदार और फर्ज पहचानने वाला है तो उसे उसके काम के मुताविक जकात दी जायेगी । चाहे वह मालदार ही क्यों न हो । लेकिन यदि वह बनी हाशिम में से है तो फिर उसे जकात देना जायज नहीं । जैसांकि अब्दुल मुत्तलिब बिन रवीआ की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया :

निःसन्देह सदका (जकात) मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सन्तानों के लिए हलाल नहीं । (मुस्लिम, सही)

### ४. दिल रखने के लिए

इससे अभिप्राय वे लोग हैं जो अपने क्रवीलों के हाकिम हों और उनके इस्लाम लाने की उम्मीद हो । (अतएव उसे इस्लाम के निकट लाने के लिए जकात में से कुछ दिया जा सकता है) या उसके ईमान को और शक्ति देने या उसकी वजह से दूसरे लोगों

का इस्लाम कुबूल करना मक्सूद हो या कम से कम उसकी दुष्टता से मुसलमानों को सुरक्षित रखना हो तब भी उन्हें जकात दी जा सकती है और ऐसे लोगों का जकात में हिस्सा मंसूबा नहीं हुआ बल्कि यह हिस्सा वाकी है और उन्हें जकात में से इतना माल दिया जा सकता है जिससे उनके दिल को रखा जाये और इस्लाम की नुसरत और रक्षा हो सके । अतएव जकात का यह माल काफिरों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है जैसाकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुनैन की जंग से मिलने वाले गनीमत के माल में से सफवान बिन उमैय्या को कुछ हिस्सा दिया । (मुस्लिम)

इसी तरह यह मद मुसलमानों के लिए भी लगाया जा सकता है जैसाकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान बिन हरब, अकराओं बिन जाविस और उयैना बिन हिस्न को सौ-सौ ऊंट दिये । (मुस्लिम)

#### ५. गर्दनें आजाद करने के लिए

जिसमें गुलाम आजाद करना, मुकातब (ऐसा गुलाम जो अपने आपको अपने आका से कुछ माल के बदले आजाद करवाना चाहता हो) की मदद करना और दुश्मन की कैद से जंगी कैदियों को रिहा कराना शामिल है । क्योंकि यह अमल किसी कर्जदार का कर्ज उतारने के समान या उससे भी बढ़कर है क्योंकि ऐसे कैदी के मुर्तिद हो जाने या उसकी हत्या किये जाने का खतरा होता है ।

#### ६. कर्ज लेने वाले

ऐसे कर्जदारों के लिए जिन्होंने कर्ज लिया हो और उसे वापस करना हो लेकिन कर्ज उतारने के लिए उनके पास रकम न हो

जकात दी जा सकती है ।

कर्ज की दो किस्में हैं ।

(अ) कोई व्यक्ति अपनी जायज्ज जरूरत के लिए जैसे कपड़ों की जरूरतें, शादी, इलाज, मकान बनाने, जरूरी घरेलू सामानों की खरीदारी के लिए या किसी दूसरे व्यक्ति का नुकसान कर देने की वजह से वह ऋणि हो चुका हो अतएव यदि वह कर्जदार फकीर है और उसके पास कर्ज उतारने का सामर्थ्य नहीं है तो उसे जकात में से इतना माल दिया जा सकता है जिससे उसका कर्ज अदा हो जाये । लेकिन शर्त यह है कि वह मुसलमान हो और उसने कर्ज किसी हराम काम के लिए न लिया हो और न ही उसे कर्ज तुरन्त अदा करना हो । और यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति का कर्जदार हो जो उससे मांग कर रहा हो । और उसका कर्ज कपफारा या जकात आदि जैसे अल्लाह के हक्क से सम्बन्धित न हो ।

(ब) कर्ज की दूसरी किस्म यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के लाभ के लिए कर्ज ले तो उसे भी जकात दी जा सकती है ताकि वह अपना कर्ज उतार सके । जिसकी दलील हजरत कबीसा अल-हिलाली की हदीस है । फरमाते हैं कि मैंने किसी की जमानत ले ली और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया ताकि उनसे सहायता हासिल कर सकूँ । तो मुझे फरमाया कि उस समय तक प्रतीक्षा करो जब तक सदका और खैरात का माल आ जाये तो हम तुम्हें उसमें से दिलवा देंगे । फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीन तरह के आदमियों के सिवा किसी के लिए सवाल करना जायज नहीं । एक वह व्यक्ति जिसने किसी की जमानत ली हो । उसके लिए उस समय तक सवाल करना जायज है जब तक वह अपनी जमानत पूरी नहीं

कर देता, उसके बाद माँगना बन्द कर दे। दूसरा वह व्यक्ति जिसे कोई ऐसी आफत आ पहुंची हो जिससे उसकी धन-मम्पत्ति नष्ट हो गयी हो। तो उसके लिए भी उस समय तक सवाल करना जायज है जब तक उसे रोजी उपलब्ध नहीं हो जाती। और तीसरा वह व्यक्ति जिसको भूख से मरने की नौवत आ जाये। यहाँ तक कि उसके क्रोम के तीन वुद्धिमान व्यक्ति इस बात की गवाही दें कि अमुक व्यक्ति की भूख से मरने की नौवत है अतः उसके लिए माँगना सही है यहाँ तक कि उसे इतना मिल जाये जिससे उसकी जरूरत पूरी हो जाये। ऐ लोगों, इन तीन सूरतों के अलावा सवाल करना हराम है और ऐसा सवाल करने वाला हराम खाता है।  
(मुस्लिम)

उसी तरह किसी मृत व्यक्ति का कर्ज भी अदा किया जा सकता है क्योंकि कर्जदार का कर्ज उतारने के लिए उसे दी जाने वाली जकात उसके हवाले करना जरूरी नहीं क्योंकि अल्लाह तआला ने कर्जदार का जकात में हिस्सा रखा है न कि उसे जकात का मालिक करार दिया है।

## ७. अल्लाह के रास्ते में

अर्थात् ऐसे लोगों के लिए जो स्वयं जिहाद कर रहे हों और सरकार की ओर से उनके लिए कोई सेवा-राशि तय न हो। सीमाओं की रक्षा करने वाले भी ऐसे ही हैं जैसेकि युद्ध भूमि में लड़ने वाले हों। जकात के उस मद में फकीर और मालदार सभी शामिल हैं। लेकिन उसमें बचे खुचे जन-कल्याण के काम शामिल नहीं हो सकते। अन्यथा आयत मुवारक में शेष कार्यों का इस तरह उल्लेख करना उचित न था। क्योंकि उपरोक्त चीजों की गिनती भी जन-कल्याण के कामों में आती है।

अल्लाह के रास्ते में जिहाद का मार्ग बहुत व्यापक है। इसमें लोगों के वैचारिक प्रशिक्षण, दुष्टों की दुष्टता की रोक थाम, गुमराह करने वालों द्वारा उत्पन्न सन्देहों की रोक-थाम और बातिल दीनों को रद्द करना शामिल है। इसके अलावा अच्छी लाभप्रद इस्लामी किताबों के प्रचार व प्रसार और नसरानियों और दुनियादारों के खिलाफ काम करने के लिए मुख्लिस और अमीन लोगों की कोशिशों को काम में लाना भी शामिल है। जैसेकि अबूदाऊद में सही प्रमाणों से उल्लिखित हदीस है कि मुशरिकों से अपने माल, जान और ज़ुबान से जिहाद करो।

#### ८. मुसाफिर

यहाँ अभिप्राय ऐसे यात्री हैं जो अपनी किसी जायज्ज जरूरत के लिए एक जगह से दूसरी जगह स्थानान्तरित होते हैं और उनके रास्ते का सामान समाप्त हो जाने पर कहीं से क्रज्ज आदि भी हासिल नहीं कर सकते तो उन्हें ज़कात में से इतना माल दिया जा सकता है जो उनके घर पहुंचने तक काफी हो। यदि ऐसा यात्री किसी जगह कहीं ठहरता है तो भी उसे ज़कात दी जा सकती है।

ज़कात बांटते समय उन आठ किस्मों को शामिल करना जरूरी नहीं बल्कि हाजत और जरूरत के तहत हुक्मरा और उसका सहयोगी या ज़कात देने वाला अपने विवेक से काम लेते हुए उनमें से कुछ मदों पर ही खर्च कर सकता है।

#### जिन्हें ज़कात नहीं दी जा सकती

निम्नलिखित लोगों को ज़कात नहीं दी जा सकती।

१. ऐसे लोग जो मालदार, स्वस्थ्य, शक्तिशाली और रोजगार से लगे हुए हों।

२. जकात देने वाले के माता-पिता और उसकी पत्नी और जिनके खर्चे का वह जिम्मेदार हो ।

३. गैर मुस्लिम जिनमें बेनमाज, मुशर्रिक और बेदीन सभी सम्मिलित हैं ।

४. नवी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाल-बच्चों को (अर्थात् वनी हाशिम को)

यदि जकात देने वाले के माता-पिता और वाल-बच्चे फकीर हों और किसी वजह से उन पर खर्चा न कर सकता हो तो उस स्थिति में उस पर ऐसे लोगों का खर्चा वाजिब न होने के कारण वह उन्हें जकात दे सकता है ।

जबकि माता-पिता और बीवी बच्चों के अलावा सभी सगे सम्बन्धियों को जकात दी जा सकती है । इस तरह यदि बनू हाशिम गनीमत का माल और फई का पाँचवा हिस्सा बसूल न कर पाते हों तो जरूरत और आवश्यकता को देखते हुए उन्हें भी जकात दी जा सकती है ।

### जकात अदा करने के लाभ

१. अल्लाह और रसूल के आदेशों का पालन और अल्लाह और उसके रसूल की मुहब्बत को नप्स पर या माल की मुहब्बत पर तरजीह (वरीयता) देना ।

२. मामूली अमल के मुकाबले में उससे कई गुना अधिक सवाब का मिलना । अल्लाह तआला फरमाते हैं ।

वे लोग जो अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं उनके इस खर्च की मिसाल उस दाने की है जिससे सात

बालिया उगी । हर बाली में सौ दाने हों । अल्लाह तआला  
जिसे चाहते हैं कई गुना वढ़ा देते हैं । (अल-वक्र:- २६१)

३. सदका और जकात ईमान की दलील और उसका सबूत है जैसा  
कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ।

सदका (ईमान का) सबूत है । (मुस्लिम)

४. गुनाह और वुरे अख्लाक से बचने का कारण । अल्लाह तआला  
फरमाते हैं :

उनके माल से सदका वसूल करके उन्हें (गुनाहों से) पाक व  
साफ करो । (अत्तौवः:- १०३)

५. माल में खैर और वरकत पैदा होती है । और नुकसानों से  
सुरक्षित हो जाता है । अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम  
ने फरमाया :

सदका करने से कभी माल कम नहीं होता । (मुस्लिम)

और अल्लाह तआला फरमाते हैं :

और जो चीज भी तुम अल्लाह के राह में खर्च करते हों तो  
अल्लाह तआला उसका बदला प्रदान कर देते हैं । और वही  
वेहतरीन रोज़ी देने वाले हैं । (सवा-३९)

६. सदका करने वाला क्रियामत के दिन अपने सदके के साथे में  
रहेगा । अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

“क्रियामत के दिन जब किसी चीज का साथा नहीं होगा उस  
दिन सात प्रकार के लोगों को अल्लाह के अर्श का साथा  
नसीब होगा । उनमें एक वह व्यक्ति भी है जिसने इस तरह  
से छुपाकर सदका दिया कि उसके बायें हाथ को मालूम नहीं

कि उसके दायें हाथ ने सदका किया है।” (वुखारी, मुस्लिम)

७. सदका अल्लाह की रहमत की वजह बनता है अल्लाह तआला फरमाते हैं :

और मेरी रहमत हर चीज से व्यापक है जिसे मैं ऐसे लोगों का मुकद्दर बनाऊँगा जो मुझसे डरते हों और जकात अदा करते हों। (अल-आराफ़-१५६)

### जकात न देने वालों को सज्जा

जकात न देना बहुत बड़ा अपराध है और जकात से मना करने वालों के लिए दर्दनाक अज्ञाव की चेतावनी है।

१. अल्लाह तआला फरमाता है :

उन लोगों को दर्दनाक अज्ञाव की सूचना दे दो जो सोना और चांदी जमा करके रखते हैं और उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते। एक दिन आयेगा कि उसी सोने चांदी पर जहन्नम की आग दहकायी जायेगी। और फिर उसी से उन लोगों की पेशानियों, पहलुओं और पीठों को दागा जायेगा और कहा जायेगा, यही वह खजाना है जो तुमने अपने लिये जमा किया था। लो अब अपनी जमा की हुई दौलत का मज्जा चखो। (अत्तौबः-३४, ३५)

२. मुसनद अहमद और सही मुस्लिम में हजरत अबू हुरैरह रजिअल्लाहु अन्हु से रिवायत कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। जो दौलतमन्द व्यक्ति अपनी दौलत की जकात नहीं निकालता तो कियामत के दिन उसकी उसी दौलत की तखतियाँ बनाकर जहन्नम की आग में गर्म की जायेंगी। फिर उनसे उसके पहलू, पेशानी और पीठ को दागा जायेगा। यह ऐसे

दिन में होगा जो पचास हजार साल के बराबर होगा । यहाँ तक कि अल्लाह तआला बन्दों का हिसाब कर लें । उसके बाद उसे जन्नत या जहन्नम का रास्ता दिखाया जायेगा ।

३. हजरत अबू हुरैरह रजिअल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको अल्लाह तआला ने माल दिया हो और उसकी उससे जकात अदा न की हो तो क्रियामत के दिन उसका माल गंजे साप की शक्ल में जिसकी ओखों में दो विन्दू होंगे, उसके गले का तौक बन जायेगा । फिर उसकी दोनों बाढ़े पकड़कर कहेगा । मैं तेरा माल हूँ मैं तेरा खजाना हूँ । (बुखारी)  
फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तिलावत की ।

जिन लोगों को अल्लाह ने अपनी कृपा से माल दिया है वह उसमें कंजूसी (और बुखालत) से काम लेते हैं तो अपने लिये यह बुख्ल बेहतर न समझें बल्कि यह उनके हक में बहुत बुरा है । बहुत जल्द क्रियामत के दिन उनका यह माल जिसमें बुख्ल करते हैं, उनके गले का तौक बनाया जायेगा ।  
(आल-इमरान-१८०)

४. उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी ऊट, गाय या बकरियों का मालिक अपने उन जानवरों की जकात नहीं निकालता वह जब क्रियामत के दिन (अल्लाह तआला के यहाँ) आयेगा तो उसके ये जानवर बहुत बड़े और मेंटे हो चुके होंगे । उसे अपने सींगों से मारेंगे और अपने (पाँव) से रौदेंगे । जब सब जानवर उसके ऊपर से गुजर जायेंगे तो दो बारह फिर पहले वाले जानवर आ जायेंगे । यह उस दिन होगा जो पचास हजार साल के बराबर होगा । यहाँ तक कि लोगों का हिसाब पूरा हो जायेगा । (मुस्लिम)

## जरूरी बातें

१. जकात के आठ मदों में से किसी एक मद में भी जकात दे देना काफी है और शेष मदों में बाटना जरूरी नहीं ।
२. कर्जदार को इतनी जकात दी जा सकती है जिससे उसका सभी कर्ज या उसका कुछ हिस्सा अदा हो जाये ।
३. जकात किसी काफिर या मुर्तिद को देना जायज़ नहीं । जैसाकि बेनमाज़ी है क्योंकि वह कुरआन और हदीस की रू से काफिर है । लेकिन यदि उसे इस शर्त पर जकात दी जाये कि वह नमाज़ की पाबन्दी करेगा तो इस हालत में जायज़ है ।
४. जकात किसी मालदार को देना जायज़ नहीं । क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसमें किसी मालदार या शक्तिशाली या रोजगार से लगे हुए लोगों का कोई हक़ नहीं । (अबू दाऊद)
५. कोई व्यक्ति ऐसे लोगों को जकात नहीं दे सकता जिनके खर्च उठाना उस पर वाजिब हो । जैसे माता-पिता और बीवी बाल-बच्चे ।
६. यदि किसी महिला का पति फकीर हो तो वह उसे जकात दे सकती है । जैसे हदीस में आता है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजिअल्लाहु अन्हु की पत्नी ने अपने पति हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजिअल्लाहु अन्हु) को जकात दी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ऐसा करने पर वरकरार रखा ।
७. बिना जरूरत एक मुल्क से दूसरे मुल्क जकात को स्थानान्तरित करना जायज़ नहीं । लेकिन जिस देश से जकात देने

वाले का ताल्लुक हो वहाँ कोई मुहताज न हो या दूसरे देशों में अकाल हो या मुजाहिदों की सहायता करना हो तो इस प्रकार की मस्लिहतों को देखते हुए स्थानान्तरित की जा सकती है।

८. यदि किसी व्यक्ति का माल जकात के निसाव तक पहुँच जाये लेकिन वह स्वयं किसी दूसरे देश में हो तो उसे उपरोक्त परिस्थितियों के सिवा उसी देश में जकात निकालनी चाहिए जिसमें उसका माल है।

९. फकीर को इतनी जकात दी जा सकती है जो उसे कई महीनों या एक साल तक के लिए काफी हो।

१०. माल यदि सोना, चादी, नकदी, जेवरात या किसी भी दूसरी शब्द में है उसमें हर परिस्थिति में जकात फर्ज है। क्योंकि उसकी फरजियत में आने वाली दलीलें सामान्य और बिना विस्तार के आयी हैं। हालांकि कुछ आलिम फरमाते हैं कि पहने जाने वाले जेवरों पर जकात फर्ज नहीं है परन्तु प्रथम कथन बेहतर है और एहतियात भी उसी पर अमल करने में है।

११. इंसान ने जो कुछ अपनी जरूरतों के लिए तैयार किया हो जैसाकि खाने-पीने के सामान, मकान, जानवर, गाड़ी और कपड़े आदि। ऐसी चीजों में जकात फर्ज नहीं होती जैसाकि नवी सललल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: किसी मुसलमान पर उसके गुलाम या घोड़े में जकात वाजिब नहीं। (वुखारी व मुस्लिम)

लेकिन जैसे पहले कहा जा चुका है कि सोने और चादी के जेवरात इस आदेश में नहीं आते।

१२. किराये पर दिये जाने वाले मकान, और गाड़ियों के किराये की रकम पर यदि साल बीत चुका हो तो उस पर भी जकात

निकालना होगी चाहे वह राशि खुद ही इतनी हो कि जकात के निसाव को पहुंच जाये या दूसरा माल साथ मिलाने से पहुंचे।  
(जकात के ये मसले शेख अब्दुल्लाह बिन अल कुसय्यर के रिसाले से मामूली बदलाव के साथ लिये गये हैं)

## रोज़ा और उसके फ़ायदे

रोज़ा एक अज्ञीम (श्रेष्ठ) इवादत है जिसकी फ़ज़ीलत और महत्व निम्नलिखित कथनों से स्पष्ट होता है ।

अल्लाह तआला फरमाता है :

ऐ ईमानवालो, तुम पर रोजे फर्ज किये गये हैं जैसाकि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किये गये थे ताकि तुम परहेजगार बन सको । (अल-बकरः-१८३)

१. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया :

रोज़ा (आग) से ढाल है । (वुखारी)

२. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया :

जो व्यक्ति रमज़ान के रोजे ईमान रखते हुए और अज्ञ और सवाव के लिए रखता है उसके पिछले गुनाह माफ कर दिये जाते हैं । (वुखारी व मुस्लिम)

३. जो व्यक्ति रमज़ान के रोजे रखने के बाद शब्बाल के महीने में ६ रोजे रखता हो वह ऐसे है जैसे उसने पूरे साल के रोजे रखे हों । (वुखारी व मुस्लिम)

४. जिस व्यक्ति ने रमज़ान (की रातों) में ईमान रखते हुए और अज्ञ और सवाव की प्राप्ति के लिए कियाम किया (यानी तरावीह पढ़ी) उसके सभी पिछले गुनाह माफ कर दिये जायेंगे । (वुखारी व मुस्लिम)

मुस्लिम भाईयो ! आप को मालूम होना चाहिए कि रोज़ा बहुत से फ़ायदों पर आधारित इवादत है ।

१. रोज़ा रखने से पाचन क्रिया और आतों को लगातार काम करने से कुछ आराम मिलता है और वेकार मादे खत्म हो जाते हैं। शरीर शक्तिशाली होता है और बहुत सी दूसरी वीमारियों का इलाज हो जाता है। इसके अलावा सिगरेट पीने वालों को सिगरेट से बाज रखता है और सिगरेट से छुटकारे में सहायता मिलती है।
२. रोज़ा से इंसान के नप्स में सुधार होता है और उससे इताअत और धैर्य व संयम की आदत पैदा होती है।
३. रोजेदार का अपने दूसरे रोजेदार भाईयों से बराबरी का एहसास पैदा होता है। अतएव जब वह उनके साथ मिलकर ही रोज़ा रखता और इफ्तार करता है तो इस्लामी एकता का ख्याल पैदा होता है और जब उसे भूख लगती है तो उसे भूखे और मुहताज भाईयों की सहायता करने का एहसास पैदा होता है।

### **रमज्जान के महीने में आप के कर्तव्य**

मुस्लिम भाईयो ! आपको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह तआला ने हमारे ऊपर रोज़ा अपनी इबादत के लिए फर्ज किया है। जिसे स्वीकार्य और लाभदायक बनाने के लिए निम्नलिखित अमल को अपनाना चाहिए।

१. नमाजों की पाबन्दी करनी चाहिए क्योंकि बहुत से रोजादार नमाज पढ़ने से गफलत बरतते हैं। हालांकि वह दीन का सुतून है जिसे छोड़ने वाला काफिर है।
२. अच्छे अख्लाक का प्रदर्शन कीजिए और रोज़ा रखने के बाद कुफ्र और दीन को बुरा कहने और रोज़ा की वज़ह से लोगों से बदसलूकी करने से बचिए। क्योंकि रोज़ा बुरा मामला सिखाने के बदले इंसानी नप्स की इस्लाह करता है और कुफ्र मुसलमान को

इस्लाम से खारिज कर देता है।

३. हँसी मजाक करते हुए भी बेहूदा बातें न करें क्योंकि उससे रोजा बरबाद हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब तुममें से कोई रोजे की हालत में हो तो गाली-गलौच और बेहूदा बातें न करे यहां तक कि यदि कोई उससे झगड़ा करे तो कह दे कि मैं रोजादार हूँ। (बुखारी व मुस्लिम)

४. रोजा से लाभ उठाते हुए सिगरेट छोड़ने की कोशिश कीजिए क्योंकि सिगरेट कैंसर और अलसर जैसी बीमारियों का कारण बनती है। और आप को चाहिए कि अपने को साहसी और आत्मविश्वासी इंसान बनायें। अतएव अपनी सेहत और माल की सुरक्षा करते हुए इफ्तार के बाद भी ऐसे ही सिगरेट पीने से बचे रहिए जैसे रोजा की अवस्था में थे।

५. रोजा इफ्तार करते समय ज्यादा खाना मत खाईये क्योंकि रोजा उससे बेसूद हो जाता है और स्वास्थ के लिए हानिकारक है।

६. सिनेमा और टी. वी. देखना अख्लाक विगाड़ने वाली और रोजा को नकारने वाली चीजें हैं इसलिए ऐसी चीजों से दूर रहिये।

७. रात को देर तक जागकर सेहरी और फज्ज की नमाज को बरबाद न करें। और सुबह सवेरे अपने काम में व्यस्त हो जायें। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है कि अल्लाह मेरी उम्मत के लिए सुबह के समय में बरकत पैदा फरमा दे। (अहमद, तिरमिज्जी, सही)

८. सगे-सम्बन्धियों और मुहताज लोगों पर ज्यादा से ज्यादा सदका व खैरात करो और लड़ाई-झगड़ा करने वालों के बीच सुलह कराओ।

९. अधिकता से अल्लाह का ज़िक्र, कुरआन करीम की तिलावत करने, कुरआन सुनने, उसके अर्थ पर विचार करने और उन पर अमल करने में अपना समय व्यतीत करें। किसी मस्जिद आदि में यदि मुफ्कीद दर्स हो तो ऐसी इन्मी मजलिसों में बैठने की कोशिश करें जबकि रमजान के आखिरी दस दिनों में मस्जिदों के अन्दर एतिकाफ पर बैठना सुन्नत है।

१०. आपको चाहिए कि रोजा के मसायल जानने के लिए उससे संबंधित पुस्तकों का अध्ययन करें। आपको मालूम होगा कि भूल से खाने-पीने से रोजा नहीं टूटता। उसी तरह आप के लिए जुन्बी (सहवास के बाद) की स्थिति में सेहरी खाना और रोजा की नीयत करना जायज़ है। हालांकि तहारत और नमाज के लिए जनावत से स्नान करना जरूरी होता है।

११. रमजान के रोजों की पाबन्दी करें और बिना कारण रोजा इफ्तार न करें और जो व्यक्ति जान-वूझ कर रोजा छोड़ देता है उसे उस दिन की क़ज़ा देनी होगी। और जो व्यक्ति रमजान में रोजा की हालत में पत्नी से सहवास कर लेता है तो उसे उसका कफ़्फारा देना होगा। जो यह है कि वह एक गुलाम आजाद करेगा यदि न मिल सके तो दो माह के लगातार रोजे रखेगा। यदि इतनी भी शक्ति न हो तो फिर साठ मिस्कीनों को खाना खिलाये।

मुस्लिम भाईयो ! रमजान में खुले आम रोजाखोरी ऐसा अपराध है जो अल्लाह के खिलाफ साहस दिखाने, इस्लाम का मज़ाक उड़ाने और लोगों में दुराई और वेहयाई फैलाने के समान है। आप को मालूम होना चाहिए कि रोजाखोरों के लिए ईद नहीं है क्योंकि ईद खुशी का वह महान उत्सव है जो रोजा पूरे होने और इवादत स्वीकार होने पर मनाया जाता है।

## रोजा से सम्बन्धित हदीसें

१. रमजान की फजीलत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है :

जब रमजान शुरू होता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिये जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बन्द कर दिये जाते हैं। और शैतान जकड़ दिये जाते हैं। एक रिवायत में है कि जब रमजान शुरू होता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिये जाते हैं। (बुखारी व मुस्लिम)

२. और सुनन तिरमिज्जी में आता है कि रमजान के मुवारक महीने में प्रत्येक रात मुनादी आवाज लगाता है कि ऐ भलाई चाहने वाले नेकी और भलाई के लिए लपक आ। ऐ बुराई का इरादा करने वाले, बुराई करने से वाज आ जा। और उसके आखिर तक अल्लाह तआला अपने (नेक) बन्दों को जहन्नम से आज्ञाद करते रहते हैं। (मिशकात में अलवानी ने इसे हसन करार दिया है)

३. हदीस में आता है कि किसी नेक आदमी के प्रत्येक नेक काम का सवाव दस गुना से सात सौ गुना तक बढ़ा दिया जाता है। लेकिन रोजे के सवाव के बारे में अल्लाह तआला फरमाते हैं :

रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसका अज्ञ दृगा क्योंकि रोजादार अपनी इच्छाओं और खाना-पीना केवल मेरे लिए छोड़ता है। (बुखारी)

रोजेदार को दो खुशियाँ हासिल होती हैं एक खुशी रोजा इफ्तार करते हुए, दूसरी खुशी अपने रब से मुलाकात करते हुए। और रोजेदार के मुह की दुर्गन्ध अल्लाह तआला के यहाँ मुश्क की सुगन्ध से भी अधिक प्रिय है। (बुखारी व मुस्लिम)

४. जुबान की सुरक्षा के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि जो व्यक्ति रोजा रखने के बावजूद झूठ बोलने और झूठ पर अमल करने से बाज नहीं आता तो ऐसे व्यक्ति के खाना-पीना छोड़ने की अल्लाह को ज़रूरत नहीं।

### सेहरी और इफ्तारी के आदाव

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं :

१. जब कोई इफ्तारी करना चाहे तो उसे खजूर से रोजा इफ्तार करना चाहिए। क्योंकि यह बरकत वाली चीज़ है। और यदि खजूर न मिले तो फिर पाकीजा पानी ही काफी है। (तिरमिज्जी मुहबिक जामे उसूल के मुताबिक इस हीदीस की सनद सही है।)

२. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है :

“सेहरी किया करो क्योंकि सेहरी खाने में बरकत है।” (बुखारी व मुस्लिम)

३. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया :

“लोग उस समय तक बेहतरी और भलाई में हैं जब तक वे इफ्तारी में जल्दी करते हैं।” (यानी सूर्यास्त होते ही रोजा इफ्तार कर लेते हैं) (बुखारी व मुस्लिम)

४. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इफ्तारी करते तो यह दुआ पढ़ते।

ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए ही रोजा रखा और अब तेरे ही दिये हुए रिज़क पर इफ्तारी कर रहा हूं। प्यास जाती रही, रगें तर हो गयी और रोजे का सवाब साबित हो गया। (अबू दाऊद)

## नवी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे

१. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर महीने में तीन दिन के और रमजानुल मुवारक के रोजे रखना पूरे साल रोजों के बराबर है। और अरफात के दिन (९ जिलहिज्जा) का रोजा रखने से अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि वह पिछले और एक अगले साल के गुनाह माफ कर देगा। और आशूरा के दिन (दस मुहर्रम) का रोजा रखने से पिछले एक साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। (मुस्लिम)

२. फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यदि मैं अगले वर्ष तक जीवित रहा तो आशूरा के दिन के साथ नवी मुहर्रम का रोजा भी रखूँगा।

अतएव ९ और १० मुहर्रम का रोजा रखना सुन्नत है। हज करने वालों के लिए ९ जिलहिज्जा का रोजा रखना सुन्नत नहीं।

३. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सोमवार और वृहस्पतिवार के रोजों के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वे दो दिन हैं जिनमें इंसान के कर्म अल्लाह तआला के यहाँ पेश किये जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अल्लाह के सामने मेरे कर्म रोजे की हालत में पेश हों। (नसाई, हसन, अल-मुन्जरी)

४. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदुल फित्र और ईदुल अजहा के दिन रोजा रखने से मना किया है। (बुखारी व मुस्लिम)

५. हजरत आइशा रजिअल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के अलावा कभी भी

किसी पूरे महीने में रोजे नहीं रखे । (बुखारी व मुस्लिम)

६. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शावान से अधिक किसी महीने में रोजे न रखते थे । यानी आप सबसे अधिक नफ़्ली रोजे शावान में ही रखा करते । (बुखारी)

## हज और उमरा की फ़ज़ीलत

हज इस्लाम का श्रेष्ठ रुक्न है जो बहुत फ़ज़ीलत और महत्व रखता है।

१. अल्लाह तआला फरमाता है :

और जो लोग अल्लाह के घर तक पहुंचने का सामर्थ्य रखते हों उन पर अल्लाह के घर का हज करना फर्ज है और जो व्यक्ति इंकार करता है तो अल्लाह तआला समस्त संसारों से गनी है। (आल-इमरान-९७)

२. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि एक उमरा के बाद दूसरा उमरा करना गुनाह माफ होने का सबब बनता है और कुबूल होने वाले हज का बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं। (बुखारी व मुस्लिम)

\* मकबूल हज वह होता है जो सुन्नत के मुताबिक हो और गुनाहों और बुराईयों से पाक हो।

३. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया :

“जो व्यक्ति बेहूदा बातों और गुनाहों से दूर रहते हुए हज करता है वह गुनाहों से ऐसे पाक होकर लौटता है जैसे आज ही उसे उसकी माँ ने जन्म दिया हो।” (बुखारी व मुस्लिम)

४. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया :

“मुझसे हज के आमाल सीखो।” (मुस्लिम)

५. मुसलमान भाईयो ! आपको जब भी इतना माल मुहैया हो जाये कि हज के लिए जाने और आने के खर्च पूरे हो सकें तो फिर

यथाशीघ्र हज का फर्ज अदा करने की कोशिश कीजिए। और आपको तोहफे आदि खरीदने के लिए माल इकट्ठा करने की फिर्क नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ऐसी चीजों की अल्लाह तआला के यहाँ कोई क्रीमत नहीं। इसलिए बीमारी, गुरबत और भुखमरी या अवज्ञा की स्थिति में मौत आ जाने से पहले हज की अदायगी होनी चाहिए क्योंकि हज इस्लाम के अरकानों में से एक रुक्न है।

६. हज या उमरह के लिए खर्च किये जाने वाले माल के लिए शर्त है कि वह हलाल हो ताकि अल्लाह तआला के यहाँ मक्रबूल हो सके।

७. औरत के लिए हज या किसी दूसरे उद्देश्य के लिए बिना महरम के यात्रा करना हराम है। जैसाकि अल्लाह के रसूल سल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया :

“कि कोई औरत उस समय तक सफर न करे जब तक उसके साथ उसका महरम न हो।” (बुखारी व मुस्लिम)

८. हज को जाने से पहले जिससे लड़ाई हो उससे सुलह कर लो, क्रज्ज अदा कर लो, और घर वालों को वसीयत कर दो ताकि वे बनाव शृंगार, गाड़ियों, मिठाईयों और खानों आदि पर फुजूल खर्ची न करें। अल्लाह तआला फरमाता है :

खाओ, पीओ लेकिन फुजूलखर्ची मत करो। (अल-आराफ-३१)

९. हज मुसलमानों का एक सर्वश्रेष्ठ इज्तेमा है। इसमें परिचय, प्रेम, सहयोग, कठिनाईयों का समाधान और उस जैसे बहुत से दीन और दुनिया के फायदे हासिल करने का अवसर मिलता है।

१०. और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी कठिनाईयों के समाधान के लिए केवल अल्लाह तआला की तरफ ही रुजूअ

करें, उसी से मदद लें और अपनी हाजतें मारें। अल्लाह तआला फरमाता है :

(ऐ नबी) कह दो कि मैं तो केवल अल्लाह को पुकारता हूँ  
और उसके साथ किसी को भी साझीदार नहीं ठहराता।  
(अल-जिन्न-२०)

११. उमरह किसी समय भी अदा किया जा सकता है। लेकिन रमजानुल मुबारक में अदा करना अफजल है। जैसाकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया :

रमजान में किये जाने वाले उमरह का सवाब हज के बराबर है। (बुखारी व मुस्लिम)

१२. मस्जिदे हराम (बैतुल्लाह) में नमाज अदा करना दूसरी जगहों पर नमाज पढ़ने की तुलना में लाख गुना बेहतर है। अतएव आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया :

मेरी इस मस्जिद (मस्जिदे नबवी) में नमाज अदा करना शेष जगहों की तुलना में हजार गुना बेहतर है सिवाय मस्जिदे हराम के। (बुखारी व मुस्लिम)

क्योंकि मस्जिदे हराम में अदा की जाने वाली नमाज मेरी इस मस्जिद (मस्जिदे नबवी) की तुलना में सौ गुना बेहतर है। (अहमद, सही)

१३. हज की तीन किस्में हैं जिनमें से हज तमतुअ सबसे बेहतर है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है : ऐ आले मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) तुममें से जो कोई हज करे तो उसे चाहिए कि पहले उमरह की नीयत से एहराम बाधे फिर हज करे। (इब्ने हिव्वान और अलबानी ने इसे सहीह कहा )

अतएव आप को भी चाहिए कि हज तमतुअ करें। उसका तरीका  
यह है कि आप हज के महीनों (शब्वाल, जीकादह और जिलहिज्जा)  
में मीकात से एहराम बांधते हुए केवल उमरह की नीयत करें।  
बैतुल्लाह पहुँचकर तवाफ़ और सई करके बाल कटवायें और  
एहराम खोल दें। फिर आठ जिलहिज्जा को हज की नीयत से  
दोबारा एहराम पहनें।

# उमरा अदा करने का तरीका

उमरा के लिए निम्नलिखित आमाल जरूरी हैं :

१. एहराम बांधना
२. तवाफ (परिक्रमा) करना
३. सई करना
४. बाल कटवाना
५. हलाल होना

## १. एहराम बांधना

जब आप मीकात पर पहुँचें तो स्नान करके एहराम पहनें और उमरा की नीयत करते हुए “يَا أَللَّهُمَّ بِسْرَةٌ” “या अल्लाह मैं उमरा के लिए उपस्थित हुआ हूँ” कहें और फिर ऊँचे स्वर में तलबिया कहते रहिये ।

## २. परिक्रमा (तवाफ) करना

मक्का पहुँचते ही बैतुल्लाह (मस्जिद हराम) में जाईये और बैतुल्लाह के सात चक्कर लगाकर उसकी परिक्रमा करें । हर चक्कर हज़े असवद से (अल्लाहु अकबर) कहते हुए शुरू करें यदि संभव हो तो हज़े असवद को बोसा (चुम्बन) दे लें अन्यथा उसकी ओर दायें हाथ से संकेत कर देना प्र्याप्त है । रुक्न यमानी से गुज़रते हुए यदि संभव हो सके तो हाथ लगा दें अन्यथा उसे चूमने या इशारा करने की जरूरत नहीं । रुक्न यमानी से हज़े असवद की ओर आते हुए मस्नून दुआ पढ़िये । उसका अनुवाद है :

“ऐ हमारे पालनहार, हमें दुनिया में भलाई अता कर और आखिरत

में भी भलाई प्रदान कर और हमें जहन्नम के अज्ञाब से बचा ले ।  
परिक्रमा पूरी करने के पश्चात मुकामे इव्राहीम के पीछे दो  
रिकअत नमाज पढ़िये । जिनमें पहली रिकअत में सूरह अल-  
काफिरून और दूसरी रिकअत में सूरह अल-इखलास पढ़िये ।

### ३. सई (यत्न) करना

तवाफ (परिक्रमा) के बाद दो रिकअत नमाज पढ़ने के पश्चात सफा नामक पहाड़ी पर चढ़िये फिर किल्ला की ओर मुख करके अपने हाथ उठाये हुए यह दुआ पढ़िये ।

निःसंदेह सफा और मरवा अल्लाह तआला की निशानियों में से हैं । मैं भी उसी से आरम्भ कर रहा हूँ जिससे अल्लाह तआला ने आरम्भ किया ।

फिर बिना इशारा अ दि किये तीन बार (अल्लाहु अकबर) कहकर हाथ उठाये हुए तीन बार यह दुआ पढ़िये ।

अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं उसका कोई साझी नहीं । बादशाही उसी के लिए है और उसी के लिए हम्म और तारीफ शोभा देता है । वह हर बात का सामर्थ्य रखता है उसके सिवा कोई माबूद (पूज्य) नहीं । वह अकेला है । उसने अपना वादा पूरा किया और सहायता की अपने बन्दे की । और समस्त दलों को उसने पराजित किया । (अबू दाऊद)

और फिर अपनी इच्छानुसार दुआ करें जब भी सफा और मरवा आये तो अन्य दुआओं सहित ये दुआयें भी दोहरायें । सफा और मरवा के बीच चलते हुए दो हरे निशानों के बीच दौड़े । सई के लिए सात चक्कर लगाना होगा । सफा से मरवा तक जाना एक चक्कर और मरवा से सफा तक आना दूसरा चक्कर होगा ।

#### ४. बाल कटवाना

उसके बाद अपने पूरे सिर के बाल मुँडवा लें। या कटवा लें जबकि औरत के लिए सिर से थोड़े से बाल काट लेना काफी है।

#### ५. हलाल होना

उसके साथ ही आप उमरह के आमाल से निवट गये अब आप एहराम खोल सकते हैं।

# हज के आमाल और उनका तरीका

हज के लिए निम्नलिखित काम करने होंगे ।

१. एहराम बौधना
२. मिना में रातें बिताना
३. अरफात में ठहरना
४. मुजदलिफा में रात बिताना
५. कंकरिया मारना
६. कुर्बानी करना
७. बाल मुँडवना
८. परिक्रमा (तवाफ) करना
९. सई करना

इन आमाल का सार यह है

१. आठ जिलहिज्जा को मबका में अपने विश्राम गृह से ही एहराम बौधकर “بِكَ اللَّهِمَّ مُنْعِنْ” ऐ अल्लाह, मैं हज के लिए उपस्थित हूँ कहकर मिना चले जायें । वही जोहर, अस, मगरिब और इशा की नमाजें क्रसर (यानी चार के बदले दो रिकअटें) करके उनके नियमित समय पर अदा करें । यह रात वहीं बितायें और फज्ज की नमाज अदा करें ।

२. नौ जिलहिज्जा को सूर्योदय के पश्चात अरफात चले जायें वहीं जोहर और असर की नमाज एक अज्ञान और दो इकामतों से क्रस और जमा तकदीम करते हुए सुन्नत पढ़े बिना अदा करें । और इस

बात का ख्याल रखें कि आप अरफ़ात की सीमा रेखा में ही ठहरें  
क्योंकि अरफ़ात में ठहरना हज का बुनियादी रूक्न है। जबकि  
मस्जिदे नमरा का अधिकांश भाग अरफ़ात के मैदान से वाहर है।  
आप को चाहिए कि उस दिन विना रोजे के हों। ताकि ज्यादा से  
ज्यादा तलविया कह सकें और अल्लाह तआला से दुआयें कर सकें।

३. सूर्यास्त के पश्चात इत्मेनान से मुज़दलिफ़ा चले जायें जहाँ  
मगरिब और ईशा की नमाजें क्रम और जमा ताखीर से पढ़ें। वहाँ  
ही रात वितायें और फज्ज की नमाज अदा करने के बाद मशअरूल  
हराम अथवा अपने (विश्राम गृह) में वैठे अल्लाह तआला का जिक्र  
व अज्ञकार करते रहें। जबकि बूढ़े और कमज़ोर लोगों को आधी  
रात के बाद मुज़दलिफ़ा से मिना चले जाने की अनुमति है।

४. ईद के दिन (दस जिलहिज्जा) का सूर्य उच्च होने से पहले ही  
मिना की ओर चल दें और वहाँ पहुँचकर निम्नलिखित कार्य करें।

(अ) सूर्योदय के बाद से रात तक किसी समय में भी बड़े जमरा  
को अल्लाहु अकबर कहते हुए लगातार सात कंकरियाँ मारें।

(ब) ईद के दिनों (जो कि १३ जिलहिज्जा की शाम तक वाकी रहते  
हैं) में किसी समय मिना या मक्का में कुर्बानी करें। उसका गोश्त  
स्वयं खायें और फकीरों को बाटें। लेकिन अगर कुर्बानी के लिए  
पैसे न हों तो उसके बदले में दस दिन रोज़ा रखें। इनमें तीन दिन  
हज में और सात अपने घर वापस लौट कर रखें। यदि कोई औरत  
भी हज तमत्तुअ कर रही है तो उसके लिए भी कुर्बानी करना या  
उसके बदले रोज़े रखना फर्ज है।

(ज) अपने पूरे सिर का बाल मुँडवा लें या कटवा लें। लेकिन  
मुँडवाना श्रेष्ठ है और अपने आम कपड़े पहन लें। उसके बाद

आप के लिए एहराम के निषेध कार्यों में पत्नी से सहवास छोड़कर सब चीज हलाल हो जायेंगी ।

(द) मक्का मुकर्मा जाकर बैतुल्लाह के सात चक्कर लगाते हुए ज्यारत का तवाफ (इफाजा) करें । और सफा मरवा के सात चक्कर लगाते हुए सई करें । ज्यारत का तवाफ आप को ईद के अन्तिम दिनों तक देर करने की अनुमति है । तवाफ और सई करने के पश्चात अब आप के लिए पत्नी से सहवास भी जायज हो जायेगा जो अब तक निषेध था ।

५. मक्का से वापस आकर मिना में ग्यारह और बारह जिलहिज्जा की रातें गुजारें । इन दिनों में जोहर के बाद से लेकर रात तक किसी भी समय में तीनों जमरात, छोटे, मझोले और बड़े को क्रमशः (अल्लाहु अकबर) कहते हुए सात सात कंकरियां मारें । इसका ख्याल रखें कि कंकरियां जमरा के आसपास हैज के अन्दर गिरें । यदि कोई कंकरी उसमें न गिरे तो उसके बदले दूसरी कंकरी मारनी होगी । छोटे और मझोले जमरे को कंकरियां मारने के बाद हाथ उठाये हुए क्रिक्ला की दिशा में फिरकर दुआ करना सुन्नत है । मर्दों और औरतों में से जो लोग कमज़ोर, बीमार या बूढ़े हों उन्हें कंकरियां मारने के लिए अपनी ओर से किसी दूसरे को सहयोगी बना देने की अनुमति है । इसी तरह जरूरत पड़ने पर दूसरे या तीसरे दिन तक कंकरियां मारने में देरी लगाना जायज है ।

९. बिदाई परिक्रमा (तवाफ) करना वाजिब है जो यात्रा से पहले होनी चाहिए ।

**हज और उमरा वालों के लिए आवश्यक हिदायतें**

१. हज खालिस अल्लाह की प्रसन्नता के लिए करें और यह दुआ करें ।

या अल्लाह ! मेरा यह हज ऐसा हो जिसमें किसी प्रकार का खोट और दिखावा न हो ।

२. नेक और अच्छे लोगों का साथ पकड़ें, उनकी सेवा करें और अपने साथियों की तरफ से पहुंचने वाली तकलीफों को सहन करें ।

३. सिगरेट पीने से बचें क्योंकि यह एक ऐसा धिनावना और हराम काम है जिससे बदन और माल का नुकसान, साथियों को दुख और अल्लाह तआला की अवज्ञा होती है ।

४. नमाज के समय मिस्वाक (दातुन) का प्रयोग कीजिए । घर बालों के लिए दातुन, खजूर और जमज्जम का तोहफा ले जाइये क्योंकि इन चीजों की सही हडीसों में फजीलत आई है ।

५. गैर महरम महिलाओं से मेल-जोल और उनकी तरफ नजर उठाने से परहेज कीजिए । उसी तरह अपनी औरतों को गैर महरम मर्दों से पर्दा में रखें ।

६. मस्जिद में आयें तो पक्तियाँ लांघने के बदले अपने नजदीक किसी जगह पर वैठ जायें ।

७. किसी नमाजी के आगे से मत गुजरें चाहे आप हरमैन में क्यों न हों, क्योंकि यह शैतानी काम है ।

८. नमाज इतिमेनान और सुकून से सुतरा (किसी दीवार या आदमी आदि) के पीछे पढ़िये । जबकि मुक्कदी के लिए उसके इमाम का सुतरा काफी है ।

९. तवाफ और सई करने, कंकरिया मारने और हज असवद को बोसा देते हुए अपने आस-पास के लोगों से नर्मी से पेश आयें ।

१०. अल्लाह को छोड़ कर मुद्दों और क्रद्व वालों को मत पुकारिये क्योंकि यह एक ऐसा शिर्क है जिससे हज और दूसरे नेक आमाल वरबाद हो जाते हैं। अल्लाह तआला फरमाता है :

यदि तुम शिर्क करोगे तो तुम्हारे आमाल नष्ट हो जायेंगे  
और तुम घाटा पाने वालों में से हो जाओगे।

## मस्जिदे नबवी की ज़ियारत के आदाब

मस्जिदे नबवी की ज़ियारत करने और उसमें नमाज पढ़ने की बहुत फ़जीलत है। अतएव ज़ियारत के बीच नीचे लिखे आदाब को ध्यान में रखना चाहिए।

१. मस्जिदे नबवी की ज़ियारत करना सुन्नत है जिसका हज के आमाल से कोई सम्बन्ध नहीं। और न ही उसके लिए कोई विशेष समय तय है।

२. जब मस्जिदे नबवी में दाखिल हों तो दायरा पांव आगे बढ़ाते हुए यह दुआ पढ़िये।

(दाखिल होता हूँ) अल्लाह के नाम से, और सलाम हो अल्लाह के रसूल पर, या अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दे।

३. दो रिकअत तहिय्यतुल मस्जिद पढ़िये और फिर यह दुआ पढ़ते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़िये।

“ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर सलामती हो, ऐ अबूबक्र रजिअल्लाहु अन्हु आप पर सलामती हो, ऐ उमर रजिअल्लाहु अन्हु आप पर सलामती हो।”

फिर यदि कभी दुआ करना हो तो किब्ला की ओर फिर कर दुआ करें और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान आपके नज़र में होना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया :

“जब मांगो तो अल्लाह से मांगो और जब मदद चाहो तो केवल अल्लाह ही से मदद हासिल करो।” (तिरमिज्जी, हसन सही)

४. दीवारों और जालियों आदि को चूमना जायज नहीं क्योंकि यह विदअत है।

५. इसी तरह मस्जिद से बाहर निकलते हुए उलटे पांव चलना निराधार और विदअत है।

६. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुतायत से दरूद पढ़ो क्योंकि आपने फरमाया है जो व्यक्ति मुझ पर एक बार दरूद पढ़ता है अल्लाह तआला उस पर दस बार दरूद पढ़ता है। (मुस्लिम)

७. जन्नतुल वकीअ और उहद के शहीदों की जियारत करना भी सुन्नत है जबकि मसाजिदे सबआ, वीर (कुआ) उस्मान और मस्जिदे किवलतैन आदि की जियारत करना वेबुनियाद और सुन्नत के खिलाफ है।

८. मदीना जाते हुए मस्जिदे नववी की जियारत और फिर वहाँ पहुंचकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ने की नीयत से सफर करना चाहिए क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया :

तीन मस्जिदों के अलावा किसी जगह के लिए (इवादत के इरादे से) सफर करना जायज नहीं। और वे (तीन मस्जिदें) मस्जिदे नववी, मस्जिदे अक्सा और मस्जिद हराम हैं। (वुखारी व मुस्लिम)

और यह भी कि मस्जिदे नववी में एक नमाज का सवाब शेष

जगहों की तुलना में हजार गुना ज्यादा है सिवा मस्जिदे हराम के क्योंकि वहाँ एक लाख नमाज का सवाब मिलता है।

## मुजतहिद इमामों का हदीस पर अमल

अल्लाह तआला चारों इमामों को अच्छा बदला दे कि उन्होंने अपने पास पहुंचने वाली हदीसों के अनुसार इजितहाद से काम लिया और यदि हमें उनके बीच कुछ मसलों में विभिन्नता नज़र आती है तो उसका कारण यह है कि उनमें से कुछ के पास वे हदीसें पहुंच गयीं जो दूसरे तक न पहुंच सकी थीं क्योंकि हदीस के ज्ञाता (आलिम) उस दौर में हिजाज, सीरिया, इराक और मिस्र के दूर-दराज इलाकों में बिखरे हुए थे। और सभी हदीसें एक ही जगह से मिल जाना असंभव बात थी। उसके साथ-साथ यदि उस दौर की कठिनाईयाँ नज़र के सामने हों तो हदीस हासिल करने में होने वाली कठिनाईयों का अनुमान लगाया जा सकता है। यही वजह है कि जब इमाम शाफ़ई इराक से मिस्र जाते हैं तो कुछ हदीसें मिलने पर अपना पहला मसलक छोड़ देते हैं और उन हदीसों की रोशनी में नया मसलक बनाते हैं।

और जब हम उन आलिमों के बीच किसी मसले में मतभेद देखते हैं जैसाकि इमाम शाफ़ई के यहाँ तो औरत को केवल छू लेने से वुजू टूट जाता है और इमाम अबू हनीफा का कथन इसके विपरीत है तो इस हालत में चाहिए कि किताब और सुन्नत से सम्पर्क करें। क्योंकि अल्लाह तआला फरमाता है।

अतः यदि तुम्हारा किसी बात में मतभेद हो जाये तो यदि तुम वास्तव में अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हो तो फिर उसका फैसला अल्लाह और अल्लाह के रसूل

**سَلَّلُلَّا هُوَ الْأَعْلَمُ بِمَا فِي الْأَرْضِ وَالْأَنْهَارِ** सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लो यह बेहतर और अच्छी तावील है । (अन-निसा-५९)

क्योंकि हक कई एक नहीं हो सकता और दो विपरीत बातें सही नहीं हो सकती । अतएव यह कैसे हो सकता है कि औरत को केवल छू लेने से बुजू टूट जाये और न भी टूटे ।

और हमें तो केवल अल्लाह तआला की ओर से अवतरित होने वाले उस कुरआन की पैरवी का आदेश मिला है जिसकी व्याख्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही हदीसों में कर दी है । जैसाकि अल्लाह तआला फरमाता है :

जो कुछ अल्लाह की ओर से तुम्हारे ऊपर नाजिल हुआ है  
केवल उसकी पैरवी करो और उसके सिवा दूसरों के पीछे  
मत चलो हालांकि तुम बहुत कम ही नसीहत हासिल करते  
हो । (अल-आराफ़-३)

अतएव किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं कि जब उसे कोई सही हदीस पहुंचे तो वह उसे केवल इसलिए रद्द कर दे कि वह उसके मजहब के मुख्यालिफ़ है । जबकि सभी इमाम इससे सहमत हैं कि सही हदीस पर अमल किया जाये और हदीस के मुकाबले में हर प्रकार के विरोधी कहावतों को छोड़ दिया जाये ।

इमामों के हदीस पर अमल करने के सिलसिले में कथन इमामों के कुछ कथन पेश किये जा रहे हैं जो उनकी ओर की जाने वाली आपत्तियों को दूर करते और उनके अनुयायियों के लिए हक को स्पष्ट करते हैं ।

इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह अलैह फरमाते हैं :

१. किसी व्यक्ति के लिए जायज़ नहीं कि वह हमारे किसी कथन पर अमल करे जब तक उसे मालूम न हो जाये कि हमने यह कथन कहा से लिया है।

२. और फरमाते हैं : किसी भी व्यक्ति के लिए हराम है कि वह हमारे कथन की दलील जाने विना उसके फत्वे देता फिरे क्योंकि हम तो आम लोगों की तरह बशर हैं। आज यदि कोई बात कहते हैं तो कल उससे रुजूआ कर लेते हैं।

३. फिर फरमाते हैं : यदि मैं कोई ऐसी बात कह दूँ जो किताब और सुन्नत का विरोधी हो तो मेरी बात छोड़कर किताब और सुन्नत पर अमल करना

४. इब्ने आविदीन हनफी अपनी किताब में फरमाते हैं कि यदि कोई हदीस हनफी मजहब के खिलाफ हो तो उस अवस्था में हनफी मजहब को छोड़कर उस हदीस पर अमल किया जाये और यही इमाम का मजहब होगा। और ऐसा करने से कोई हनफी अपने मजहब से बाहर नहीं निकल जाता क्योंकि इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं : यदि कोई हदीस सही सावित हो जाये तो मेरा मजहब उस हदीस के मुताबिक होगा।

इमाम भद्रीना इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं :

१. मैं तो एक इंसान हूँ जिससे कभी गलती भी हो जाती है और कभी सही बात भी कह देता हूँ, अतएव तुम मेरी राय देखो यदि वह किताब और सुन्नत के मुताबिक हो तो उसे अपना लो लेकिन यदि किताब और सुन्नत के खिलाफ हो तो उसे छोड़ दो।

२. और फरमाते हैं : नवी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के अलावा हर किसी की बात यदि सही हो तो कुबूल की जा

सकती है और यदि गलत हो तो रद्द की जा सकती है।

इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं :

१. हर व्यक्ति से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैह वसल्लम की हीदीसें छुपी रह सकती है जैसे उसे बहुत सी हीदीसें मिल भी जाती है इसलिए मैं कितनी ही अच्छी बात क्यों न कह दू या कितना ही अच्छा क्रायदा क्यों न बना दू लेकिन यदि वह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैह वसल्लम के कथन के विरोध में हो तो उस अवस्था में केवल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैह वसल्लम की बात ही विश्वासनीय होगी और मैं भी उसे ही अपनाऊंगा।

२. और फरमाते हैं : मुसलमानों का इजमाआ है कि यदि किसी व्यक्ति को रसूल की सुन्नत मालूम हो जाये तो उसके लिए जायज नहीं कि वह उसे किसी के कथन की वजह से छोड़ दे।

३. फिर फरमाते हैं : यदि तुम्हें मेरी किताब से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैह वसल्लम के कथन के खिलाफ कोई बात मिलती है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैह वसल्लम के क्रौल को अपनाओ और उस समय मेरा भी यही कहना होगा जिस पर सुन्नत की दलालत हो।

४. और फरमाते हैं : यदि कोई हीदीस सही साबित हो जाये तो मेरा मजहब उस हीदीस के मुताबिक होगा।

५. और इमाम अहमद को सम्बोधित करते हुए फरमाते हैं कि तुम लोग हीदीस और उसके रिजाल में मुझसे अधिक ज्ञान रखते हो। यदि तुम्हें कोई सही हीदीस मिल जाये तो मुझे भी सूचित करो ताकि मैं भी उसे अपना लूँ।

६. और आगे फरमाते हैं : हर वह मामला जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही हदीस मिल जाये और मैं उसके विपरीत कुछ कह चुका हूँ तो जान लो कि मैं अपनी जिन्दगी या मौत हर हाल में उस से रुजूआ करता हूँ।

इमाम अहले सुन्नत, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं :

१. मेरी पैरवी मत करना और न ही मालिक, शाफ़ी, औजाई और सौरी आदि की पैरवी करना बल्कि जहाँ से उन्होंने मसले लिये हैं वही (किताब और सुन्नत) से तुम भी रहनुमाई हासिल करो।
२. फिर फरमाते हैं कि रसूल की हदीस को रद्द करने वाला व्यक्ति तबाही के किनारे पर है।

## अच्छे या बुरे भाग्य पर ईमान

यह ईमान का छठी रूक्न है कि एक मुसलमान उसके साथ पेश आने वाली हर अच्छे या बुरे भाग्य पर ईमान रखे। इसकी व्याख्या करते हुए इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह अपनी पुस्तक 'अरवर्द्धने नववीयः' में फरमाते हैं, अल्लाह तआला ने प्राचीन काल में हर चीज का भाग्य लिख दिया और अल्लाह सुब्हानहु तआला को इल्म है कि यह चीज अपने नियमित समय में किसी नियमित जगह पर घटित होकर रहेगी। अतएव हर चीज अल्लाह तआला की उस तकदीर (भाग्य) के अनुसार घटती रहती है।

### १. भाग्य पर ईमान के मरहले

इन्सान के अस्तित्व में आने और जन्म लेने से पहले ही अल्लाह तआला के इल्म में था कि लोगों में से कौन है जो नेक या बद, आज्ञाकारी या नाफरमान और जन्नती या जहन्नमी होंगे। और अल्लाह तआला ने उन्हें पैदा करने से पहले ही उनके अच्छे या बुरे कर्मों के बदले और सज्जा की तैयारी कर ली थी। और ये सभी चीजें अल्लाह तआला ने गिन-गिन कर लिख छोड़ी हैं। अतएव बन्दों के आमाल अल्लाह की उस ज्ञात और लिखे हुए भाग्य के अनुसार घटित हो रहे हैं।

यह इब्ने रजब की पुस्तक जामिउल उलूम बल हिक्म के पेज २४ से लिया गया है।

### २. भाग्य लौहे महफूज में सुरक्षित

अल्लामा इब्ने कसीर अपनी व्याख्या में अब्दुर्रहमान विन सलमान से नकल करते हुए लिखते हैं कि अल्लाह तआला ने कुरआन या

उससे पहले और वाद की भाग्य में लिखी हर चीज़ को लौहे  
महफूज़ में दर्ज किया हुआ है। (देखिए भाग ४ पृष्ठ ४१७)

३. तीसरे मरहले में माँ के गर्भ में भाग्य का लिखा जाना है  
जैसाकि हदीस में आता है कि फिर (गर्भ धारण के) ४० दिन वाद  
अल्लाह तआला बच्चे की ओर फरिश्ता भेजते हैं जो उसमें रूह  
डालता है और उसे चार चीजें लिखने का आदेश दिया जाता है।  
अतएव उसकी जिंदगी, रोज़ी, दुर्भाग्य और सौभाग्यवान होना लिखा  
जाता है। (बुखारी व मुस्लिम)

४. भाग्य का आखिरी मरहला नियमित समय पर भाग्य का घटित  
होना है क्योंकि जब अल्लाह तआला ने कोई अच्छी या बुरी  
तकदीर बनायी तो साथ ही इन्सान पर उस भाग्य के पारित होने  
का समय भी तय कर दिया।

यह उद्धरण इमाम नववी की किताब शरह अल अरबईन से लिया  
गया है।

### भाग्य पर ईमान रखने के फायदे

१. अल्लाह के लिखे भाग्य पर रजामन्दी, समाप्त हो जाने वाली  
चीजों का बदला मिलने और उस पर विश्वास रखने में आसानी।  
अल्लाह तआला फरमाता है :

हर आने वाली मुसीबत अल्लाह के हुक्म से ही आती है।

(अत्तगाबुन-११)

हजरत अब्दुल्लाह विन अव्वास रजिअल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, अल्लाह  
के आदेश से अभिप्राय उसकी क्रजा और कद्र है, आगे आता है।

और जो अल्लाह पर विश्वास रखता है अल्लाह उसे सीधे  
रास्ते से नवाज़ते हैं। (अत्तगाबुन-११)

अल्लामा इब्ने कसीर उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि यह आयत ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिसे यदि कोई मुसीबत आती है तो उसको विश्वास होता है कि यह अल्लाह की क़ज़ा और कद्र से है। अतएव वह सब्र करने की आशा से सब्र करता है और अल्लाह की मर्जी के सामने सिर झुका लेता है। तो अल्लाह तआला उसे दिल में संतोष प्रदान करते हैं और खो जाने वाली चीज के बदले में उसे दुनिया में ही दिली सुकून और सच्चा विश्वास प्रदान करते हैं। और संभव है कि उसे खो जाने वाली चीज का बदला अता फरमा दे।

हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजिअल्लाहु अन्हुमा उसकी व्याख्या में कहते हैं :

अल्लाह तआला उसके दिल में विश्वास पैदा कर देते हैं कि जो मुसीबत उसे पहुंची है वह कभी टलने वाली न थी और जो चीज उससे खो गयी है वह कभी उसे मिलने वाली न थी।

### गुनाहों का माफ़ होना

जैसाकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि एक मोमिन को जब भी कोई दुख, परेशानी, थकान और बीमारी यहाँ तक कि कोई सोच बैठ जाती है तो ये सभी चीजें उसके गुनाहों को माफ़ी का कारण बनती हैं। (बुखारी व मुस्लिम)

### ३. अच्छा बदला मिलना

अल्लाह तआला फरमाते हैं :

और उन सब्र करने वालों को यह शुभसूचना दे दो जिन्हें जब कोई मुसीबत आती है तो إِنَّمَا لِلَّهِ رَحْمَةٌ وَّإِنَّمَا يُنذِّرُ<sup>۱۷</sup> ! कहते हैं।

उन्हीं लोगों के लिए अल्लाह की रहमतें और उसकी दुआयें हैं और यही हिदायत पाये हुए लोग हैं।

#### ४. दिल का धन

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि यदि तुम अल्लाह के दिये हुए पर राजी हो जाओगे तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। (अहमद, तिरमिज्जी)

आप ने आगे फरमाया है कि कोई व्यक्ति धन, सम्पत्ति की बहुतायत से रईस नहीं बनता असल रईसी तो दिल की रईसी है। (बुखारी व मुस्लिम)

और यह भी देखा जाता है कि बहुत से करोड़पति लोग अपने इतने धन-सम्पत्ति पर खुश नहीं होते क्योंकि उनके दिल भूखे होते हैं जबकि उसकी तुलना में वे लोग जो थोड़ा माल होने के बावजूद अल्लाह के दिये हुए पर खुश होते हैं वह दिली तौर पर मालदार होते हैं।

#### ५. अकारण खुशी या गमी से बचाव

अल्लाह तआला फरमाता है :

कोई भी आफत जमीन में या तुम्हारे ऊपर नहीं आती जो उसके पैदा होने से पहले ही किताब में न लिखी गयी हो। निःसन्देह यह अल्लाह के ऊपर बहुत आसान है (और यह इसीलिए कि) ताकि तुम खोये जाने वाले पर गम न खाओ और मिल जाने वाले पर फूल न जाओ और अल्लाह हर इतराने वाले और गर्व करने वाले को पसन्द नहीं करता।

अल्लामा इब्ने कसीर फरमाते हैं कि अल्लाह की दी हुई नेमतों की वजह से लोगों पर गर्व न करो क्योंकि इन नेमतों का मिलना

तुम्हारी अपनी कोशिशों से नहीं बल्कि यह तो अल्लाह तआला का तुम्हारे लिए किस्मत में लिखी हुई रोज़ी है। अतएव उसे घमण्ड और दुष्टता का वसीला नहीं बना लेना चाहिए। (४१३१४)

हजरत इक्रिमा फरमाते हैं कि हर इंसान को खुशी और गमी मिलती है अतएव खुशी को अल्लाह का शुक्र करने और गमी को सब्र करने का वसीला बनाना चाहिए।

#### ६. दिल में साहस और हिम्मत पैदा होना

भाग्य पर ईमान रखने वाले व्यक्ति में साहस और हिम्मत पैदा होती है और वह अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता क्योंकि उसे विश्वास होता है कि मृत्यु अपने नियमित समय से पहले नहीं आयेगी और जो चीज़ उससे खो गई है वह उसे मिलने वाली न थी। और जो मुसीबत उस पर आई है वह टलने वाली न थी और यह कि हमेशा कठिनाईयों के साथ ही आसानियाँ होती हैं।

#### ७. लोगों के दुख पहुंचाने से निर्भय रहना

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है : जान लो कि यदि पूरी उम्मत तुम्हें लाभ पहुंचाने के लिए इकट्ठी हो जाये तो वह अल्लाह के द्वारा भाग्य में लिखे हुए के सिवा तुम्हें कोई लाभ नहीं पहुंचा सकती और यदि वे तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने के लिए इकट्ठी हो जाये तो भी अल्लाह के जरिया लिखे हुए के सिवा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। क्योंकि भाग्य लिखने वाले कलम उठ चुके और सहीफे सूख गये। (तिरमिजी, हसन सही)

#### ८. मौत का भय समाप्त होना

हजरत अली रजिअल्लाह अन्हु से मंसूब है कि उन्होंने फरमाया :

मैं मौत के कौन से दिन से फरार होने की कोशिश करूँ ? क्या मौत के नियमित दिन से या जो अभी भाग्य में नहीं लिखा गया है ? अतएव जो भाग्य में नहीं है उसका तो मुझे कोई भय नहीं और जो हो चुका उससे डरना बेसूद है ।

### ९. खो जाने वाली चीज़ पर पछतावा न करना

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया : ताकतवर ईमानदार कमज़ोर ईमान वाले की तुलना में अल्लाह के यही ज्यादा बेहतर और प्रिय है और दोनों में भलाई है अल्लाह से मदद माँगते हुए ऐसी चीज़ के लिए प्रयत्नशील रहो जो तुम्हारे लिए लाभदायक हो और विवशता मत दिखाओ फिर यदि तुम्हें कोई नुकसान हो जाये तो यह न कहो कि यदि मैं ऐसा करता तो ऐसे हो जाता क्योंकि यह शैतानी काम है । बल्कि तुम्हें कहना चाहिए कि अल्लाह तआला ने जो चाहा भाग्य में लिख दिया और उसे कर डाल ।

### १०. बेहतरी उसी में है जिसको अल्लाह तआला ने तुम्हारे लिए चुना है

मिसाल के तौर पर यदि किसी मुसलमान का हाथ जख्मी हो जाता है तो उसे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि यह हाथ टूटा तो नहीं । और यदि हड्डी टूट जाती है तो उसे शुक्र मनाना चाहिए कि हाथ कटकर अलग तो नहीं हो गया या यह कि कमर आदि टूटने जैसा कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ ।

एक बार कोई व्यापारी व्यापार की यात्रा के लिए जहाज की प्रतीक्षा में था कि अज्ञान हो गयी । अतएव वह मस्जिद में नमाज के लिए चला गया और जब नमाज पढ़ कर आया तो जहाज जा

चुका था । अतएव वह जहाज निकल जाने पर दुखी हुआ और मुह बनाकर बैठ गया । लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे खबर मिली कि वह जहाज उड़ने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया । अतएव वह व्यक्ति अपने जिन्दा सलामत रहने पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सिजदे में गिर गया और अल्लाह तआला का यह फरमान याद करने लगा :

और शायद कि तुम्हें कोई चीज नापसन्द हो हालांकि वह तुम्हारे लिए बेहतर हो और संभव है कि कोई चीज तुम्हारी मनपसन्द हो लेकिन वह तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो और अल्लाह तआला ही जानता है तुम नहीं जानते हो ?

### भाग्य तर्क नहीं बन सकता

एक मुसलमान को यह विश्वास होना चाहिए कि हर बुरा-भला अल्लाह तआला का तय किया हुआ है । जो उसके इन्म और इरादे से घटित होता है । लेकिन उसके साथ-साथ अल्लाह तआला ने इंसान को अच्छा या बुरा करने का सामर्थ्य प्रदान किया है । अतएव वाजिब वातों को पूरा करना और जिन चीजों से बचने को कहा गया है उससे बचना उसका फर्ज है । इस लिहाज से किसी के लिए यह जायज नहीं कि वह गुनाह करके यह कहे कि अल्लाह ने यही भाग्य में लिख दिया था । क्योंकि अल्लाह तआला का रसूल भेजने और किताबें अवतारित करने का यही उद्देश्य है कि लोगों के लिए नेकी, बदी, सआदतमन्दी या दुर्भाग्य का मार्ग स्पष्ट हो जाये ।

इसके अलावा इंसान को बुद्धि एवं विवेक देकर हिदायत और गुमराही का रास्ता दिखा दिया गया है जैसाकि अल्लाह तआला फरमाता है :

निःसन्देह हमने इंसान को (हिदायत और गुमराही का)

रास्ता दिखाया फिर या तो वह शुक्र गुजार होता है या फिर कुफ्र करने वाला होता है । (अद्वाह-३)

अतएव वेनमाज या शराबखोर व्यक्ति अल्लाह के आदेश का विरोध करने के कारण सज्जा का अधिकारी है । और उसके लिए जरूरी है कि अपने उस गुनाह पर नदामत महसूस करते हुए अल्लाह तआला से तौबा करे । और भाग्य को हुज्जत बनाकर वह अपने उस गुनाह से छुटकारा हासिल नहीं कर सकता । यदि कहीं भाग्य को हुज्जत बनाना संभव है तो वह मुसीबत के समय है जिसके बारे में उसे विश्वास होना चाहिए कि यह आने वाली मुसीबत अल्लाह की ओर से है और उस पर अपनी रजामन्दी जाहिर करना चाहिए जैसाकि अल्लाह तआला फरमाता है :

“कोई भी मुसीबत जमीन या तुम्हारे ऊपर नहीं आती जो उसके पैदा होने से पहले ही किताब में लिखी न गयी हो । निःसन्देह यह अल्लाह के ऊपर आसान है ।” (अल-हदीद-२२)

## ईमान और इस्लाम से बाहर कर देने वाले मामले

जिस तरह कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनसे बुजू टूट जाता है और दोबारा बुजू करने की ज़रूरत होती है उसी तरह कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जिनके कर गुज़रने से आदमी इस्लाम और ईमान से खारिज (बाहर) हो जाता है। इन्हें ईमान को तोड़ने वाली चीजें कहते हैं।

**ईमान को तोड़ने वाली चीजें चार प्रकार की हैं।**

**पहली क्रिस्म :** रब के अस्तित्व का इंकार या उसमें जुवान दराजी करना।

**दूसरी क्रिस्म :** इबादत योग्य 'पूज्य' का इंकार करना या उसके साथ शिर्क करना।

**तीसरी क्रिस्म :** कुरआन और हडीस में अल्लाह तआला के साबित होने वालों नामों और सिफातों का इंकार करना या उनमें बदज़ुवानी करना।

**चौथी क्रिस्म :** मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नवूअत का इंकार करना या उसमें तान करना।

इन क्रिस्मों का विस्तृत विवरण कुछ इस तरह है।

**रब के अस्तित्व का इंकार**

१. पहली क्रिस्म ऐसे लोगों की है जो रब का इंकार करते हैं जैसाकि दहरिया, नास्तिक, कम्यूनिस्टों ने पैदा करने वाले के अस्तित्व को नकार दिया है और कहते हैं कि कोई मावूद नहीं और

जीवन भौतिकवाद का नाम है। सृष्टि का जन्म और उसकी गतिविधियों को प्राकृति और इतिफाक की बातें मानते हैं और प्राकृति और इतिफाक के पैदा करने वाले को भूल जाते हैं। जबकि अल्लाह तआला फरमाता है :

अल्लाह (तआला) ही हर चीज का पैदा करने वाला और वही हर चीज का बनाने वाला है। (अज़-जुमर-६२)

ऐसे लोग अरब के मुशरिकों और शैतानों से भी बड़े काफिर हैं क्योंकि वे मुशरिक कम से कम खालिक के अस्तित्व को तो मानते थे जैसाकि अल्लाह तआला ने कुरआन करीम में फरमाया है :

यदि तुम उन (मुशरिकों) से पूछो कि तुम्हें किसने पैदा किया है तो जवाब देंगे कि अल्लाह ने (पैदा किया है।) अज़-जुखरफ-८७)

उसी तरह कुरआन मजीद शैतान के बारे में फरमाता है कि उसने अल्लाह तआला से कहा :

मैं उस (आदम) से बेहतर हूँ क्योंकि मुझे तूने आग से पैदा किया है जबकि उसे (आदम को) मिट्टी से पैदा किया है। (स्वाद-७६)

इससे मालूम हुआ कि मुशरिक और शैतान अल्लाह तआला के खालिक होने का इकरार करते थे और यदि कोई मुसलमान भी कम्प्यूनिस्टों की तरह कहे कि उस चीज को फितरत ने पैदा किया है या वह ऐसे ही अस्तित्व में आ गयी है तो वह भी कुफ्र का काम करता है।

२. यदि कोई व्यक्ति यह दावा करे कि वह रब है जैसाकि

फिर औन ने कहा था :

मैं तुम्हारा रब हूँ। (अन्नाजिआत-८४)

तो वह ऐसा दावा करने से काफिर हो जाता है।

३. रब के अस्तित्व को मानने के साथ यह भी आस्था रखना कि दुनिया में कुछ बली और कुतुब हैं जो सृष्टि की व्यवस्था करते और उसका निजाम चलाते हैं। ऐसा कहने वाले अपने अकीदे में इस्लाम से पहले के मुशरिकों से भी बदतर हैं क्योंकि वे मुशरिक यह आस्था रखते थे कि सृष्टि की व्यवस्था करने वाला और उसका निजाम चलाने वाला केवल अल्लाह तआला है जैसकि अल्लाह तआला फरमाता है :

उन (काफिरों) से पूछिये कि तुम्हें आसमान और जमीन से रोजी देने वाला कौन है ? कौन हो जो तुम्हारी सुनने और देखने की ताकत का मालिक है ? और कौन है जो मुद्दों को जिन्दा और जिन्दों को मुर्दा से निकालता है और कौन है जो सृष्टि की व्यवस्था को चलाता है ? तो वे कहेंगे कि वह अल्लाह तआला की जात है तो उनसे कहो कि फिर तुम (अपने उस अल्लाह से) ढरते क्यों नहीं हो। (यूनुस-३१)

४. कुछ पथभ्रष्ट सूफी यह कुफ्र बाली आस्था रखते हैं कि अल्लाह तआला सृष्टि के भीतर समा गये हैं। जैसेकि दमिश्क में दफन किये गये इब्ने अरबी सूफी का कहना है कि (रब बन्दा और बन्दा रब है काश मैं जान लेता कि मुकल्लफ कौन है) और उनके एक दूसरे चैतान का कहना है कि सूअर और कुत्ते हमारे रब हैं तथा गिरजा के अंन्दर जो राहिब है वही अल्लाह है।

और उन भटके हुए सूफियों के इमाम हल्लाज ने जब यह कहा कि

मैं वह (अल्लाह) और वह (अल्लाह) में हूं तो आलिमों ने उसकी हत्या का फत्वा दे दिया । अतएव उसकी हत्या कर दी गयी ।

और अल्लाह के समा जाने की यह आस्था यदि प्राचीन काल में पायी जाती थी तो वर्तमान में भी इस आस्था को अपनाने वाले शैतानों की कमी नहीं ।

## इबादत में शिर्क करना

ईमान के खिलाफ मामलों में से दूसरी चीज यह है कि इबादत के योग्य “उपास्य” का इंकार किया जाये या उसकी इबादत में दूसरों को भी साझीदार बनाया जाये। उसकी कई किस्में हैं :

१. वे लोग जो सूरज, चाँद, सितारों, पेड़ों और जैतानों जैसी मखलूकों की पूजा करते हैं हालांकि ये चीजें अपने लिए भी किसी लाभ व हानि की मालिक नहीं। दूसरों को लाभ पहुंचाना तो दूर की बात है।

और अल्लाह तआला की इबादत नहीं करते जो कि उन चीजों का खालिक और मालिक है। अल्लाह तआला फरमाते हैं :

और उस (अल्लाह) की निशानियों में से रात, दिन, सूरज और चाँद हैं। यदि तुम केवल उसी (अल्लाह) की इबादत करने वाले हो तो फिर सूरज चाँद के लिए सजदा न करो बल्कि उसी अल्लाह को सजदा करो जिसने उनको पैदा किया है। (हा० मीम० अस्सजदा-३७)

२. इबादत में शिर्क के बारे में दूसरी क्रिस्म ऐसे लोगों की है जो अल्लाह की इबादत करते हैं लेकिन उसके साथ वलियों की मूर्तियों या कब्रों में दफनाये गये मखलूकों को उसकी इबादत में शरीक कर लेते हैं, उनकी स्थिति बिल्कुल इस्लाम से पहले के अरब के मुशर्रिकों जैसी है जो अल्लाह की इबादत करते और कठिन घड़ी में केवल उसी को पुकारते। लेकिन जब मुश्किल हल हो जाती और आसानी का समय होता तो अल्लाह को छोड़कर दूसरों को पुकारते जैसाकि कुरआन करीम इस तरह उनकी हालत व्यापक फरमा रहा है :

जब वे (मुशरिक) नाव में सवार होते तो अल्लाह के लिए दीन खालिस करते हुए केवल उससे दुआ करते और जब (अल्लाह तआला) उन्हें बचाकर खुशकी में ले जाता तो फिर उसके साथ शिर्क करने लगते । (अल-अनकबूत-६५)

इस आयत में अल्लाह तआला ने उन्हें मुशरिक क्रार दिया हालांकि वे जब नाव डूबने का खतरा महसूस करते तो केवल अल्लाह ही को पुकारते और यह इसीलिए कि यह मुशरिक लोग केवल अल्लाह से दुआ करने पर बरकरार नहीं रहते थे । बल्कि जब समुद्र से निकल आते तो अल्लाह के सिवा दूसरों से दुआयें माँगते थे ।

३. अब सोचने की बात यह है कि यदि अल्लाह तआला ने इस्लाम से पहले के अरब मुशरिकों को काफिर क्रार दिया है और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे युद्ध करने का आदेश दिया है इसके बावजूद कि वे कठिन घड़ियों में अपने बुतों को भूलकर केवल अल्लाह की इबादत करते थे । तो फिर ऐसे मुसलमानों का क्या हाल होगा जो केवल आम परिस्थिति ही में नहीं बल्कि कठिन घड़ियों में भी अल्लाह को छोड़कर मृत बलियों की कब्जों पर जाकर स्वास्थ, लाभ, रोजी और हिदायत जैसी वे जीजें माँगते हैं जो केवल अल्लाह तआला के कुदरत में हैं । और उन बलियों के पैदा करने वाले को भूल जाते हैं जो अकेला है, स्वस्थ, लाभ, हिदायत और रोजी जैसी चीजों का मालिक है और उसके मुकाबले में ये बली किसी नफा या नुकसान के मालिक नहीं हैं । बल्कि वह तो पुकारने वालों की पुकार सुनने का भी सामर्थ्य नहीं रखते । जैसाकि अल्लाह तआला फरमाते हैं :

और वे लोग जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वह तो

खजूर की गुठली के बराबर चीज़ के भी मालिक नहीं। यदि तुम उन्हें पुकारो तो वह तुम्हारी दुआ नहीं सुन सकते और अगर (मान लो) सुन भी लें तो उसे कुबूल नहीं कर सकते और क्रियामत के दिन वह तुम्हारे उस शिर्क का इंकार कर देंगे और तुम्हें हर चीज़ की खबर देने वाली ज्ञात (अल्लाह तआला) की तरह कोई नहीं बतायेगा। (फातिर-१४)

इस आयत में अल्लाह तआला ने खुले तौर पर बयान कर दिया है कि मृत अपने पुकारने वालों की दुआयें नहीं सुनते और यह कि मृतकों से दुआ करना बड़ा शिर्क है।

संभव है कि कोई कहने वाला यह कहे कि हम यह अक्रीदा नहीं रखते कि यह बली या बुजुर्ग किसी लाभ या हानि के मालिक हैं बल्कि हम तो केवल अल्लाह की निकटता हासिल करने के लिए उन बुज्जंगों का वास्ता देते हैं या दूसरे शब्दों में हम अपनी दुआयें उन बुज्जंगों तक और ये बुजुर्ग हमारी दुआयें अल्लाह तक पहुंचा देते हैं।

तो इसका जवाब यह है कि ऐसी बातें करने वालों को मालूम होना चाहिए कि इस प्रकार की आस्था मबक्का के मुशरिकों की थी जिनके बारे में कुरआन करीम में आया है :

और ये मुशरिक अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीजों की इबादत करते हैं जो उनके किसी लाभ या हानि के मालिक नहीं। और कहते हैं कि यह माबूद अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारिशी होंगे। तो (ऐ नबी अकरम) उनसे कह दीजिए कि क्या तुम अल्लाह तआला को आसमान व जमीन की कोई ऐसी बात बताना चाहते हो जो उसे मालूम न हो? (यानी अल्लाह तआला उनके उस गुमराह करने वाली आस्थाओं से

अच्छी तरह अवगत है) वह जात (अल्लाह तआला) उनके उस शिर्क से पाक्र और ऊंचा है। (यूनुस-१८)

अतः यह आयत भी उस बात की दलील हुई कि गैर अल्लाह की इबादत करने वाला और उसे पुकारने वाला मुशरिक है। यद्यपि उसका यह अकीदा हो कि यह (बुज्जुर्ग) किसी लाभ या हानि के मालिक नहीं केवल मेरे सिफारिशी है।

इसी तरह अल्लाह तआला मुशरिकों के बारे में दूसरी जगह फरमाते हैं :

और वे लोग जिन्होंने अल्लाह को छोड़कर दूसरों को अपना औलिया बना लिया है (वह यह कहते हैं) कि हम उन (माखूदों) की इबादत नहीं करते मगर इसलिए कि यह हमें अल्लाह से करीब कर देते हैं। निःसन्देह अल्लाह तआला उनकी ऐसी 'बहकी-बहकी' बातों में फैसला फरमायेंगे और अल्लाह तआला किसी झूठे और कुफ्र करने वालों को हिदायत नहीं देते। (अज्ञ-जुमर-३)

यह आयत भी खुली दलील है कि कुर्बत पाने की नीयत से गैर अल्लाह को पुकारने वाला काफिर है। क्योंकि पुकारना और दुआ करना इबादत में से है जैसाकि तिरमिजी की सही हसन हदीस में है।

इसी तरह की एक दूसरी आयत में अल्लाह ने ऐसे मुशरिकों की वास्तविकता बयान करते हुए फरमाया है :

और उस व्यक्ति से बड़ा गुमराह कौन हो सकता है जो अल्लाह के सिवा ऐसी चीजों को पुकारता है जो क्रियामत तक उसके पुकारों को सुनने के क्रांतिल नहीं। बल्कि वह तो

वैसे ही उसकी पुकारों से बेखबर हैं। और जब (क्रियामत के दिन) लोगों को इकट्ठा किया जायेगा तो उस (मुश्वरिक) के यही मावूद दुश्मन बन जायेंगे और जो उनकी इबादत किया करता था उसका इंकार कर देंगे। (अल-अहकाफ़-५,६)

४. अल्लाह तआला के अवतरित आदेश और सीमाओं को लागू न करना भी नवाकिज्जे ईमान में से है। खास तौर पर यदि कोई व्यक्ति यह समझे कि ये सीमायें इस जमाने में लागू नहीं किये जा सकते। या इस्लामी शरीयत का विरोध करने वाले क्रानूनों को लागू करना जायज्ज समझता हो क्योंकि शरीयत को लागू करना भी एक श्रेष्ठ इबादत है और अल्लाह तआला के सिवा किसी को क्रानून बनाने का अधिकार देना ऐसा ही शिर्क है जैसे बुतों की पूजा करना शिर्क है। अल्लाह तआला फरमाता है :

अल्लाह (तआला) के सिवा किसी के लिए हाकमियत नहीं है। उसने आदेश दिया है कि तुम उस अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो। यही सच्चा दीन है लेकिन अधिकाश लोग जानते नहीं। (यूसुफ़-४०)

आगे आया है :

और जो लोग अल्लाह के अवतरित शरीयत से फैसला नहीं करते वही काफिर लोग हैं। (अल-मायद़:-४४)

लेकिन वह व्यक्ति जो अल्लाह की शरीयत को अमल के क्रांतिकारी समझता है लेकिन नप्स की इच्छाओं या किसी मजबूरी को देखते हुए वह शरीयत का फैसला नहीं करता तो ऐसा व्यक्ति काफिर नहीं बल्कि जालिम या फासिक्र होगा। जैसाकि हजरत अब्दुल्लाह विन अव्वास रजिअल्लाहु अन्हुमा का फरमान है :

जो व्यक्ति अल्लाह तआला की हाकमियत को स्वीकार न करे वह काफिर है और जो स्वीकार तो करे लेकिन उसके द्वारा फैसला न करे तो वह जालिम और फासिक होगा ।

यही अल्लामा इब्ने जरीर का कथन भी है और हजरत अता फरमाते हैं कि ऐसा करना भी छोटा कुफ्र है ।

लेकिन जो व्यक्ति अल्लाह की शरीयत को समाप्त करके कोई मानवीय कानून लागू करे और समझे कि यही कानून अमल के क्रांतिकारी है तो उसका यह अमल उसको इस्लाम से खारिज कर देगा इस पर सभी सहमत हैं ।

५. ईमान को नकारने वाले मामलों में यह भी आता है कि कोई व्यक्ति अल्लाह के आदेशों पर रजामन्द न हो या उन्हें कुबूल करने में तंगी और घुटन महसूस करे जैसाकि अल्लाह तआला फरमाता है :

(ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) तेरे रब की क्रसम, ये लोग उस समय तक मोमिन नहीं बन सकते जब तक वे अपने विवादों में तुमसे फैसला नहीं लेते और फिर आपके फैसले को कुबूल करने में किसी प्रकार की तंगी या आपत्ति महसूस न करें बल्कि उसके सामने अपना सिर झुका दें ।  
(अनु-निसा-६५)

और यदि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मुसलमानों के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला स्वीकार करना और उसे कुबूल करना ज़रूरी था तो उनकी मृत्यु हो जाने के बाद उनकी सुन्नत को अमल में लाना और उससे फैसला लेना ज़रूरी होगा ।

और अल्लाह के आदेशों को स्वीकार करने में कराहत का प्रदर्शन ऐसा काम है जिससे इंसान के सभी कर्म वरवाद हो जाते हैं। जैसा कि अल्लाह तआला फरमाते हैं :

और यह इसलिए कि उन्होंने अल्लाह के अवतरित आदेशों को नापसन्द किया तो अल्लाह तआला ने उनके आमाल वरवाद कर दिये। (मुहम्मद-९)

अल्लाह के नामों और सिफातों (विशेषताओं) का इंकार या उसमें शिर्क

१. ईमान विरोधी मामलों में यह भी है कि कोई व्यक्ति अल्लाह तआला की किताब और सुन्नत में सावित नामों एवं विशेषताओं का इंकार करे जैसे कोई व्यक्ति अल्लाह के पूर्ण ज्ञान, उसका सामर्थ्य, जिन्दगी, देखने और सुनने की शक्ति, उसकी वाणी, रहमत या उसके अर्थ पर उच्च और स्थापित होना, आसमाने दुनिया पर नाजिल होना, या उसके हाथ, पाँव, और दौरें और उस जैसी अल्लाह तआला के लायक और मखलूकात से न मिलने-जुलने वाली विशेषताओं का इंकार करे। क्योंकि अल्लाह तआला फरमाता है :

उस (अल्लाह) जैसी कोई भी वस्तु नहीं, और वह सुनने वाला और देखने वाला है। (अशूरा-११)

इस आयत में अल्लाह तआला ने अपने आपको मखलूक से अलग होने और अपने लिए सुनने और देखने की शक्ति को जाहिर करके यह बता दिया है कि उसके शेष गुण भी ऐसे ही हैं।

२. इसी तरह कुछ सिद्ध विशेषताओं की तावील या उन्हें उनके जाहिरी अर्थ से बदलाव करना भी बहुत बड़ी गलती और गुमराही

है। जैसेकि अर्श पर उच्च होने को सामर्थ्य होना से तावील करना जबकि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी में इमाम मुजाहिद और अबुल आलिया से इस्तवा की व्याख्या इरतिफ़ाअ और बुलन्दी के अर्थ में नकल किया है और दोनों की गिनती अस्लाफ में है क्योंकि दोनों ताबई हैं। सिफात की तावील करना उनको नकारने के समान है अतएव 'इस्तवा' की तावील 'इस्तीला' से करने से अल्लाह की सावित विशेषताओं में से एक का इंकार हो जाता है। जबकि अल्लाह तआला अर्श पर बुलन्द है यह सिफत (गुण) कुरआन और हदीस से सावित है। अल्लाह तआला का फरमान है:

रहमान (अल्लाह तआला) अर्श पर ऊँचा और बुलन्द हुआ।  
(ताहा-५)

आगे फरमाते हैं :

क्या तुम उस जात से मामून हो गये जो आसमान पर है कि  
वह तुम्हें जमीन में धैसा दे। (अल-मुल्क-१६)

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया :

अल्लाह तआला ने सृष्टि रचने से पहले एक किताब लिखी जिसमें यह है कि मेरी रहमत मेरे गज्जब पर सबकत ले गयी और वह किताब अल्लाह के यहाँ अर्श पर लिखी है। (बुखारी)

शैख मुहम्मद अभीन शनक्रीती (साहबे अजवाउल वयान) फरमाते हैं कि अल्लाह की विशेषताओं की तावील वास्तव में उसे बदल डालना है।

अतएव वह अपनी किताब "मन्हज व देरासात फ़िल अस्माए वस्सिफ़ात" में लिखते हैं कि हम अपने इस लेख को दो बातों पर

समाप्त कर रहे हैं ।

“अल्लाह तआला का यह फरमान तावील करने वालों के सामने होना चाहिए जिसमें अल्लाह तआला ने बनी इसाईल को जब ‘हित्ता’ कहने का आदेश दिया तो उन्होंने उसे ‘हिन्ता’ से बदल दिया और ‘नून’ की बढ़ौतरी कर दी ।”

अतएव अल्लाह तआला ने सूरह बकरः में उनके उस कर्म को बयान करते हुए फरमाया :

ज़ालिमों ने जब बात (हित्ता) को उसके अलावा ‘हिन्ता’ से बदल दिया तो हमने फिर ज़ालिमों पर उनकी नाफरमानी की वजह से आंसमान से अज्ञाब नाज़िल किया । (अल-बकरः-५९)

इस तरह जब तावील करने वालों से ‘इस्तवा’ कहा गया तो उन्होंने इसमें ‘लाम’ की बढ़ौतरी करके उसे ‘इस्तीला’ बना दिया । अतएव उनकी इस लाम की बढ़ौतरी बिल्कुल यहूदियों की ‘नून’ की बढ़ौतरी के समान है । (इसका उल्लेख इब्ने अल-कैर्य्यम ने किया है)

३. अल्लाह तआला की कई ऐसी विशेषतायें हैं जो उसके लिए विशेष हैं और कोई दूसरी ज्ञात उन विशेषताओं में अल्लाह तआला की शरीक नहीं हो सकती जैसाकि गैब (परोक्ष) का इलम (ज्ञान) है । इसके बारे में अल्लाह तआला कुरआन मजीद में फरमाते हैं :

और उसी (अल्लाह) के पास गैब का ज्ञान है जिसे उसके सिवा कोई नहीं जानता । (अल-अनआम-५९)

लेकिन कभी-कभी अल्लाह तआला अपने रसूलों को वह्य के जरिये कुछ गैबी चीजें बता देता है जैसाकि कुरआन में आया है :

(अल्लाह तआला ही) गैब का इलम जानने वाला है और वह

किसी को भी अपने इस इल्म गैव पर सूचित नहीं करता,  
सिवाय अपने रसूलों में से जिसे चाहे । (अल-जिन्न-२६, २७)

फिर अल्लाह तआला अपने किसी रसूल को वह्य के जरिया गैव  
की चीजें बता देता है । तो इसका मतलब यह नहीं कि उस रसूल  
के पास गैव का इल्म है । क्योंकि यह तो केवल अल्लाह के दिये  
हुए इल्म में से है और किसी मखलूक के लिए संभव नहीं कि वह  
अपने आप गैव का ज्ञान हासिल कर सके ।

हजरत आएशा रजिअल्लाहु अन्हा फरमाती थी ।

जो व्यक्ति यह कहता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु  
अलैहि वसल्लम को गैव का इल्म था वह झूठा और क़ज़ाब  
है । (बुखारी)

इससे मालूम हुआ कि अल-वू सैरी के वह काव्य-छन्द जो उसने  
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गैव के  
विषय में लिखे हैं वह उसके कुफ्र और गन्दी मानसिकता को  
उजागर करते हैं ।

अल्लाह तआला फरमाता है :

(ऐ मेरे नवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) कह दो कि  
आसमानों और जमीनों में गैब जानने वाला अल्लाह के  
सिवा कोई नहीं । (अन-नमल-६५)

और यदि नवियों को गैब का इल्म नहीं तो फिर वलियों को गैब  
का ज्ञान कैसे हो सकता है । बल्कि उन्हें तो उन गैबी चीजों का भी  
ज्ञान नहीं होता जो अल्लाह तआला वह्य के जरिया अपने रसूलों को  
वताते हैं और वह इसलिए कि उन वलियों पर वह्य नाजिल नहीं  
होती । और वह्य का अवतरित होना नवियों के साथ खास है ।

अतएव जो व्यक्ति भी गैब के ज्ञान का दावा करे या दावा करने वाले की तसदीक करे तो उसने अपना ईमान वरवाद कर दिया । अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है :

जो व्यक्ति किसी ज्योतिष या नजूमी के पास (गुप्त बातें पूछने के लिए) आये और फिर उसकी बातों की तसदीक कर दे तो उसने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाले (कुरआन) को झुठला दिया । (सही-अहमद)

इस प्रकार के दज्जालों, काहिनों और नजूमियों आदि की बतायी जाने वाली खबरें वास्तव में उनके अनुमान, इत्तेफाकात और शैतानी वसवसा का परिणाम होती हैं और यदि वे सच्चे होते तो फिर उन्हें चाहिए था कि इस्लाम के शत्रुओं की साजिशों से बाखबर करते और लोगों पर बोझ बनकर गुमराह करने वाले तरीकों से माल इकट्ठा करने के बजाय अपने लिए जमीन के खजाने निकाल लेते ।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि जो व्यक्ति किसी नजूमी के पास कोई बात पूछने के लिए आये तो उसकी नमाज चालीस दिन तक कुबूल नहीं होती । (मुस्लिम)

कुछ लोग जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ गैबी मामलों के बारे में हदीस जैसाकि आखिरत का हाल-चाल और भविष्य के बारे में भविष्यवाणी पढ़ते या सुनते हैं तो उन्हें यह भ्रम होता है कि आपको गैब का ज्ञान था ।

अतएव इस बारे में यह मालूम होना चाहिए कि वह गैबी चीजें थीं जिनका ज्ञान अल्लाह तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वह्य या किसी दूसरे जरिये से दिया था । इसलिए यह

कहना सही नहीं कि आप को गैब का इल्मा था । गैब का इल्म तो तब होता जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी बातें अपने आप मालूम हो जाती ।

## ईमान को तोड़ने वाली चीज़ की चौथी क्रिस्म

चौथी क्रिस्म यह है कि रसूलों के बारे में ज़ुबान दराजी की जाये । अतएव किसी रसूल की रिसालत का इंकार करना या उसकी जात में तानाज़नी करना भी ईमान को नकारने वाली चीज़ है ।

१. मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इंकार करना ईमान को नकारना है । क्योंकि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह का रसूल होने की ग वाही देना ईमान के अरकानों में से है ।

२. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे होने, अमानत और इफ़फ़त में तान करना उनका मज़ाक उड़ाना, उन्हें हकीर ख्याल करना या उनके मुबारक कामों में ताना मारना ।

३. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीसों में तान करना या उन्हें झुठलाना, या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन हदीसों का इंकार करना जिनमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के आने और ईसा अलैहिस्सलाम के द्वारा शरीयत लागू करने के लिए भविष्यवाणी की थी ।

४. नवी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आने वाले रसूलों का इंकार करना या कुरआन और हदीस में उल्लिखित उन रसूलों और उनकी क्रौमों के बीच पेश आने वाली घटनाओं का इंकार करना ।

५. मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नवूअत का दावा

करने वाला व्यक्ति भी काफिर है जैसाकि गुलाम अहमद कादियानी ने नवी होने का दावा किया । अल्लाह तआला ने कुरआन करीम में ऐसे दज्जालों को झुठलाते हुए कहा ।

मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) मर्दों में किसी के बाप नहीं बल्कि वह अल्लाह के रसूल और नवियों में आखिरी नवी है । (अल-अहजाब-४०)

इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

मैं आखिर में आने वाला हूँ जिसके बाद कोई नवी नहीं आयेगा । (बुखारी व मुस्लिम)

और जो व्यक्ति भी इस बात का समर्थन करता है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क्रादियानी या दूसरा कोई नवी है तो उसने कुफ्र का काम किया और उसका ईमान बरबाद हो गया ।

६. ईमान को नकारने वाले कामों में से एक यह भी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ऐसी विशेषता प्रदान थी जो अल्लाह के लिए खास हो जैसाकि कुछ भटके हुए सूफियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतलक गैब के ज्ञान से खास किया है ।

७. उसी तरह वे लोग हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नुसरत, सहायता और शफा (स्वास्थ लाभ) जैसी वे चीजें मांगते हैं जो केवल अल्लाह के सामर्थ्य शक्ति के अन्दर है जैसाकि आज के बहुत से मुसलमानों की यही हालत है ।

हालांकि अल्लाह तआला का फरमान है :

और नुसरत तो केवल अल्लाह (तआला) ही देने वाला है ।  
(अल-अंफाल-१०)

और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया :

जब माँगो तो केवल अल्लाह से माँगो और जब मदद लो तो  
केवल अल्लाह से मदद लो । (तिरमिज्जी-हसन)

और अल्लाह तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को  
सम्बोधित करते हुए फरमाया :

“ऐ नबी कह दो कि मैं तुम्हारे लिए किसी हानि व हिदायत  
का मालिक नहीं हूँ और कह दो कि मुझे कोई अल्लाह से  
बचाने वाला नहीं और उस (अल्लाह) के सिवा मेरा कोई  
मलजा और मावा नहीं ।” (अल-जिन्नः-२१, २२)

अर्थात् तुमको नफा और नुकसान पहुँचाना तो अलग अपना नफा  
और नुकसान भी मेरे कब्जे में नहीं । यदि मान लें मैं अल्लाह की  
अवज्ञा करूँ तो कोई व्यक्ति नहीं जो मुझे अल्लाह की पकड़ से  
बचा ले और कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ भागकर पनाह ले सकूँ ।

और यदि यह परिस्थिति नवियों के इमाम और दोनों जहान के  
सरदार, मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है तो  
उनसे हजारों गुना कम औलिया और बुजुर्गों की क्या हालत होगी ।  
जिन पर ग्रैब के ज्ञान जानने का आरोप लगाया जाता है । उनके  
नाम की नियाजें मारी जाती हैं और उनसे रोज़ी, सेहत और  
सहायता व नुसरत मारी जाती है । उनके लिए कुर्बानी की जाती है ।

८. हम रसूलों के चमत्कार और वलियों के करामातों को नकारते  
नहीं लेकिन उन नवियों और वलियों को अल्लाह का शरीक बना  
लेने को जायज नहीं समझते और जिस तरह अल्लाह को पुकारा

जाता है ऐसे ही उन नवियों एवं वलियों को पुकारने और जैसे अल्लाह के लिए नज़रें और नियाज़ें दी जाती हैं ऐसे ही उन नवियों व वलियों के लिए भी नज़रें देने और क्रुर्वानी देने को हराम करार देते हैं।

(मुसलमानों की दीन से अज्ञानता और किताब व सुन्नत से दूर होने के कारण मुशरिकों वाले रस्मों रिवाज इस हद तक फैल चुके हैं कि शायद ही कोई वस्ती या मुहल्ला आप को किसी ऐसे मजार से खाली नजर आये जिसकी अल्लाह के सिवा इवादत न की जा रही हो और अल्लाह की राह में सदका व खैरात करने के बदले इस कब्र वाले के नाम पर चढ़ावे न चढ़ाये जा रहे हों।)

यहाँ तक कि इस क्रिस्म के कथित वलियों के कब्रों पर दौलत के ढेर लग जाते हैं और इन कब्रों पर बैठने वाले मुजाविर और गद्दी नशीन इस दौलत को बाट लेते हैं। इसके मुकावले में कितने ही गरीब लोग भूखों मर जाते हैं जिन्हें रोटी का नवाला तक नसीब नहीं होता। अरबी भाषा के किसी कवि ने क्या खूब कहा है।

वेचारे जिन्दा लोगों को एक पायी भी नसीब नहीं होती  
जबकि मुर्दों पर लाखों रूपये निछावर कर दिये जाते हैं।

गुमराही और मुर्खता की चरम सीमा केवल यही नहीं है बल्कि आपको बहुत से मजार और दरगाहें ऐसी मिलेंगी जिनकी कोई हक्कीकत नहीं। जो सिर्फ और सिर्फ भटके हुए पीरों और मुजाविरों की पैदावार है। ताकि वह उन मजारों का झाँसा देकर लोगों से नजर-नियाज और माल इकट्ठा कर सकें। और इस बात की सच्चाई के लिए हजारों घटनायें मौजूद हैं लेकिन यहाँ केवल दो घटनाओं का उल्लेख किया जा रहा है जिनसे आप उन अपने आप

बनने वाले बलियों और उनके मजारों की सच्चाई का अनुमान लगा सकते हैं।

१. मेरे एक साथी उस्ताद का कहना है कि सूफियों का एक पीर अपनी माँ के पास आया और उससे एक खास सड़क पर हरा झण्डा लगाने के लिए चन्दा मांगा ताकि लोगों को मालूम हो कि यहाँ किसी अल्लाह के बली को दफन किया गया है। अतएव उसकी माँ ने उसे कुछ पैसे दे दिये जिससे उसने हरा कपड़ा खरीदा और झण्डा लगा दिया और लोगों से कहने लगा कि यहाँ अल्लाह का बली दफन है, जिसकी जियारत का सौभाग्य मुझे स्वप्न में प्राप्त हुआ। इस तरह से उसने लोगों को चक्कर देकर माल इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फिर जब हुकूमत ने सड़क चौड़ा करने लिए वह स्वयं रचित कब्र वहाँ से हटानी चाही तो उस पीर ने यह अफवाह फैला दी कि जिस मशीन से कब्र गिराने की कोशिश की गयी वह मशीन टूट गयी। कुछ लोगों ने इस अफवाह को सच माना और यह अफवाह आम हो गयी जिससे हुकूमत कब्र न खोदने पर मजबूर हो गयी। फिर उस मुल्क के मुफ्ती साहब ने मुझे बताया कि हुकूमत ने मुझे आधी रात के समय कब्र के पास बुलाया (ताकि उस कब्र की सच्चाई मालूम हो जाये) फरमाते हैं जब मशीनों और क्रेन से उसकी खुदाई की गयी तो मुफ्ती साहब ने कब्र के अन्दर देखा तो वह विलकुल खाली थी जिससे यह समझ में आया कि यह सब झूठ और फ़ाड़ था।

२. दूसरा किस्सा हरम (बैतुल्लाह) के एक अध्यापक ने सुनाया कि दो फ़कीर आपस में मिले और एक-दूसरे से अपनी दयनीय स्थिति की शिकायत की। तभी उनकी नजर एक स्वयं रचित बली की कब्र पर पड़ी जिस पर माल और दौलत निछावर किया जा रहा

था । यह देख कर उनमें से एक फकीर ने कहा, क्यों न हम भी कोई क्रब्र खोदकर किसी वली को दप्न कर दें, ताकि हमको भी माल व दौलत मिलने लगे । दूसरे फकीर ने इस विचार पर सहमति व्यक्त की और दोनों चल पड़े । रास्ते में उन्हें एक चीखता हुआ गदहा दिखाई दिया तो उन्होंने उसे जिव्ह करके एक गढ़े में दबा दिया और उस पर मजार बना दिया । फिर उससे तबरूक हासिल करने के लिए दोनों उस पर लोटने लगे । जब कुछ आने-जाने वालों ने उनसे पुछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ हबीश बिन तबीश (बाबा गदहे शाह) नाम के एक वली दप्न है, जिनकी करामतें बयान से बाहर हैं । लोग भी उन फकीरों की इन वातों से धोखा खा गये और उन्होंने उस पर नजरें, नियाज और चढ़ावे चढ़ाना शुरू कर दिये । जब काफी माल इकट्ठा हो गया तो उन फकीरों का उसके बैटवारे को लेकर मतभेद हो गया । अतएव जब आपस में झगड़ा करने लगे तो राहगीर इकट्ठे हो गये । दोनों फकीरों में से एक ने कहा : मैं उस क्रब्र वाले वली की क्रसम खाता हूँ कि मैंने तुमसे कुछ भी नहीं लिया । दूसरे ने कहा : तुम उसके वली होने की कैसे क्रसम खाते हो जबकि हम दोनों को मालूम हैं कि हमने तो यहाँ पर गदहा दपन किया है । लोग उनकी ये बातें सुनकर आश्चर्य चकित रह गये और उन्हें गालियाँ देते हुए अपने नजरों नियाज का माल वापस ले गये ।

(मालूम होता है कि उन फकीरों को चक्करबाजी की कला में महारत हासिल न थी । यदि कुछ दिन किसी पीर या मुल्ला साहब से प्रशिक्षण ले लेते तो निश्चय ही उन्हें झगड़ने की कोई आवश्यकता पेश न आती ।)

पाठको ! तनिक विचार कीजिए कि ये हैं घोड़ों, गदहों और कुत्तों

पर निर्मित मजार श्रीफ जिन्हें बलियों का नाम देकर जन-मानस को गुमराह किया जा रहा है। इंसान जिसको अल्लाह तआला ने सर्वश्रेष्ठ मख्लूक होने का गौरव प्रदान किया है वह कुत्तों, गदहों और मिट्टी के ढेरों को अपना खुदा बना बैठा है। लेकिन सच्चाई यह है कि शिर्क ऐसी चीज़ है जो बड़े से बड़े बुद्धिमान लोगों की बुद्धि पर भी पर्दा डाल देती है।

अल्लाह तआला फरमाता है :

और निःसन्देह हमने बहुत से जिनों और इंसानों को जहन्नम के लिए तैयार किया है जिनके दिल तो हैं लेकिन समझने के योग्य नहीं। उनकी आखें हैं जिनसे देखते नहीं, उनके कान हैं लेकिन सुनते नहीं। ऐसे लोग जानवरों की भाँति बल्कि उनसे भी बदतरीन भटके हुए हैं। यही गाफिल लोग हैं। (अल-आराफ़-१७९)

जब उन लोगों ने अपने दिल और दिमाग और कान और आँख को अल्लाह के दीन को समझने और अल्लाह की मख्लूक में विचार-विमर्श करने में नहीं लगाया तो जानवरों से भी कम दर्जा में जा पहुंचे। मख्लूकों पर विचार-विमर्श भी इंसान को सच्चे रास्ते पर लाने का बहुत बड़ा जरिया है। क्योंकि सृष्टि का कण-कण अल्लाह की वहदानियत का मजहर है।]

## कुफ्र वाले कुछ बातिल अक्रीदे

१. यह अक्रीदा रखना कि अल्लाह तआला ने दुनिया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से पैदा की है जिसकी बुनियाद एक मनगढ़न्त हदीस को बनाया जाता है कि अल्लाह तआला ने फरमाया :

ऐ मुहम्मद यदि तुम न होते तो मैं दुनिया को पैदा ही न करता ।

अल्लामा इब्ने जौजी फरमाते हैं कि यह हदीस झूठी और मनगढ़न्त है क्योंकि इस किस्म का अक्रीदा अल्लाह तआला के उस फरमान का विरोधी है ।

यानी मैंने जिनों और इंसानों को केवल अपनी इबादत के लिए पैदा किया है । (अज्जारियात-५६)

वलिक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उद्देश्य भी अल्लाह तआला की इबादत ही था जैसाकि अल्लाह तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं :

अपने रब की इबादत करते रहो यहाँ तक कि तुम्हें मौत आ पहुँचे । (अल-हिज्र-९९)

इसी तरह सभी रसूलों की पैदाईश का मक्सद भी अल्लाह की इबादत के लिए दावत देना था जैसाकि अल्लाह तआला फरमाता है :

और निःसन्देह हमने हर उम्मत की ओर रसूल भेजा ताकि तुम अल्लाह की इबादत करो और गैर अल्लाह की इबादत से बचो । (अन-नहल-३६)

ये सभी चीजें मालूम हो जाने के बाद एक मुसलमान को कैसे शोभा देता है कि वह कुरआन करीम और रसूलों के तरीके के

## खिलाफ अक्रीदा अपनाये ।

२. यह कहना कि अल्लाह तआला ने सबसे पहले नूरे मुहम्मदी पैदा किया और फिर उससे दूसरी चीजें पैदा कीं । यह भी ऐसा गुमराह करने वाला अक्रीदा है जिसकी कोई दलील नहीं । आश्चर्य यह है कि इस किस्म की बातों का उल्लेख मिस्र के एक मशहूर आलिम मुहम्मद मुतवल्ली शाअरावी ने अपनी किताब (अन्त तस्वल वल-इस्लाम युजीब) में अन-नूर अल मुहम्मदी और बिदायतुल खलीका शीर्षक से किया है ।

**प्रश्न:** एक हीदीस में आता है कि जब जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजिअल्लाहु अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन सी चीज़ सबसे पहले पैदा हुई । तो आप ने फरमाया कि ऐ जाबिर, तेरे नबी का नूर । इस हीदीस को इस सच्चाई से कैसे जोड़ा जा सकता है कि सबसे पहली मखलूक आदम है और उनको मिट्टी से पैदा किया गया है ?

**उत्तर :** अल्लाह के कमाल और फितरत की माँग यही है कि पहले सर्वश्रेष्ठ वस्तु पैदा की जाये उसके बाद उससे कमतर चीज़ पैदा की जाये और यह माकूल बात नहीं कि पहले तो मिट्टी का माद्दा पैदा किया जाये और उससे मुहम्मद को पैदा किया जाये । क्योंकि इंसानों में सर्वश्रेष्ठ अम्बिया हैं और सब रसूलों में सर्वश्रेष्ठ मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह हैं । इसलिए यह असम्भव है कि पहले कोई द्रव पैदा करके उससे मुहम्मद को पैदा किया जाये उससे पता चला कि नूरे मोहम्मदी का पहले पाया जाना जरूरी है । जिससे दूसरी चीजों को पैदा किया जाये और हज़रत जाबिर की यह हीदीस उसकी मिसाल है । इसी तरह विज्ञान भी इस बात का समर्थन करता है कि पहले नूर पैदा किया गया और फिर उससे

दूसरी चीजें पैदा हुईं । (पृष्ठ : ३८)

शारावी का यह जवाब निम्नलिखित कारणों से मरदूद है :

१. यह अक्रीदा कुरआन करीम की उस आयत से टकराता है जिसमें अल्लाह तआला फरमाते हैं :

ऐ (पैगम्बर) जब तेरे रब ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं मिट्टी से इंसान को पैदा करने वाला हूँ । (स्वाद-७१)

आगे फरमाया है :

(अल्लाह तआला) वही है जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया उसके बाद नुतका (मनी) से पैदा किया । (गाफिर-६७)

अल्लामा इब्ने जरीर तबरी उसकी व्याख्या करते हुए फरमाते हैं । अल्लाह तआला ने तुम्हारे बाप आदम को मिट्टी से पैदा किया उसके बाद तुमको नुतका से पैदा किया ।

उसी तरह शारावी की यह बात उस हदीस के भी खिलाफ है जिसमें आप ने फरमाया । तुम सभी आदम से हो और आदम को मिट्टी से पैदा किया गया है । (रवाहु अल-बजार व अलबानी की सहीहुल जामे ४४४४)

२. दूसरा यह कि शारावी का यह कथन कि फितरी तौर पर पहले श्रेष्ठ वस्तु पैदा होती है फिर उससे तुच्छ वस्तु प्राप्त होती है । यह भी कुरआन का विरोधी है । बल्कि यह शैतानी फलसफा है जिसका कुरआन ने रद्द किया है । शैतान ने कहा था ।

कि मैं उस (आदम अलैहिस्सलाम) से बेहतर हूँ क्योंकि मुझे तूने आगे से पैदा किया है जबकि आदम को मिट्टी से पैदा किया है । (स्वाद-७६)

अल्लामा इब्ने कसीर फरमाते हैं, शैतान ने बेहतर होने का दावा इसलिए किया था कि आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया गया था और शैतान आग से पैदा हुआ था और उसके विचार में आग मिट्टी से बेहतर है।

उसी तरह अल्लामा इब्ने जरीर ने बयान किया है कि शैतान ने अपने रब से कहा कि मैं आदम (अलैहिस्सलाम) को सजदा नहीं करूँगा क्योंकि मैं उनसे श्रेष्ठ हूँ। मुझे आपने आग से पैदा किया है और आदम (अलैहिस्सलाम) को मिट्टी से। और आग मिट्टी को जला देती है। इसलिए आग मिट्टी से बेहतर है और मैं आदम (अलैहिस्सलाम) से बेहतर हूँ।

जबकि बुद्धि एवं विवेक की माँग यही है कि किसी द्रव की रचना हुई हो फिर उससे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया गया हो और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल और सन्तान से हैं जैसाकि आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फरमाया है।

मैं आदम की औलाद का सरदार हूँ। (मुस्लिम)

३. तीसरा यह कि शाराबी ने कहा है कि सबसे पहले नूरे मुहम्मदी का अस्तित्व में आना जरूरी है। यह ऐसा कथन है जिसकी कोई दलील नहीं। वल्कि कुरआन से साबित है कि इंसानों में सबसे पहले आदम और शेष मखलूकों में अर्श के बाद सबसे पहले कलम बनाया गया जैसाकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

सबसे पहले अल्लाह ने कलम को पैदा किया। (तिरमिज्जी, अलवानी ने सहीह कहा)

जबकि नूर मुहम्मदी के दर्शन का कुरआन और सुन्नत या अक्ल की

दृष्टि से कोई अस्तित्व ही नहीं। कुरआन अल्लाह के रसूल سल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है कि वह लोगों को स्पष्ट कर दें।

कह दो कि मैं तुम्हारे जैसा बशर हूँ केवल मुझ पर वहय की जाती है। (अल-कहफ-११०)

और फिर अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने स्वयं फरमाया कि :

मैं तुम्हारे जैसा इंसान हूँ। (अहमद, अलबानी ने सहीह कहा)

और यह भी प्रत्येक बुद्धिमान को मालूम है कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने अपने माता-पिता अब्दुल्लाह और आमिना से ऐसे ही जन्म लिया था जैसे अन्य लोग पैदा होते हैं। फिर आपके अपने दादा और चचा के यहाँ पालन-पोषण हुआ। इन बातों से यह साबित हो गया कि इंसानों में सबसे पहले पैदा होने वाले हजरत आदम अलैहिस्सलाम और शेष मखलूकों में सबसे पहले पैदा होने वाली चीज कलम है। इसके साथ ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहली मखलूक कहने वालों का भी खुले तौर पर रद्द हो गया। और मालूम हुआ कि ऐसा अक्रीदा कुरआन और रसूल के विरोध में है।

हालांकि कुछ ऐसी हडीसें मिलती हैं जिनसे मालूम होता है कि आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी होना लिखा हुआ था। जैसाकि आप फरमाते हैं :

आदम अभी तक गूँधी हुई मिट्टी में थे जबकि अल्लाह तआला ने मुझे आखिरी नबी होना लिख दिया। (सही अल-हाकिम व अलबानी)

अतएव इस हदीस में आप ने फरमाया है कि अल्लाह ने मेरा आखिरी नबी होना लिख दिया था, यह नहीं फरमाया कि मुझे पैदा किया था ।

उसी तरह एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया :

आदम अभी तक रूह और शरीर के बिचली अवस्था में थे जबकि अल्लाह तआला ने मुझे रसूल बना दिया था ।  
(अहमद-सहीह)

इससे भी यही अभिप्राय है कि अल्लाह तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रसूल होना उसी समय तय कर दिया था ।

परन्तु वह हदीस जिस में है :

मैं नवियों में सबसे पहले पैदा होने वाला और सबसे अन्त में आने वाला हूँ ।

तो यह हदीस सही नहीं है । क्योंकि इसे अल्लामा इब्ने कसीर, मुनावी और अलवानी ने कमज़ोर करार दिया है ।

इसके साथ-साथ यह हदीस कुरआन और अन्य हदीसों के खिलाफ होने के अलावा बुद्धि और विवेक के भी खिलाफ है क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई बशर पैदा नहीं हुआ ।

४. शाराबी का कहना है कि नूर मुहम्मदी से दूसरी सभी चीजें पैदा हुईं और सब चीजों में आदम अलैहिस्सलाम, चैतान, इंसान, जिन्न, हैवानात, किटाणु और जरासीम आदि भी शामिल हैं । तो शाराबी के इस कथन की मांग तो यही हुई कि उपरोक्त सभी चीजें भी नूर से पैदा हुई हैं । हालांकि यह बात कुरआन के विरुद्ध

है जिससे यह मालूम होता है कि आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया गया और ईतान को आग से पैदा किया गया और इंसान की पैदाईश 'मनी' की बूँद से हुई ।

इसी तरह शारावी की यह बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के भी खिलाफ है । आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया :

फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया, जिनों को आग से पैदा किया गया और आदम (अलैहिस्सलाम) को जैसे उसका उल्लेख हो चुका है वैसे (यानी मिट्टी से) पैदा किया गया । (मुस्लिम)

इस तरह यह बात बुद्धि और विवेक के भी विरुद्ध है क्योंकि इंसान और हैवान तनासुल व तवालुद के जरिया पैदा होते हैं ।

और यदि दुष्ट कीटाणु और मूजी जीव भी नूर मोहम्मदी से पैदा हुए हैं तो हम उन्हें मारते क्यों हैं बल्कि हमको उनमें से साप अजगर, छिपकली, मच्छर और गिरगिट को उनके दुष्ट होने की वजहसे मारने का आदेश दिया गया है ।

५. फिर शारावी ने हजरत जाविर की ओर मंसूब हदीस को अपने उस कथन की दलील बनाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया :

ऐ जाविर ! सबसे पहले तेरे नवी का नूर पैदा किया गया ।

तो मालूम होना चाहिए कि यह हदीस नहीं बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर मंसूब किया जाने वाला झूठ है और शारावी के दावे की दलील कदापि नहीं हो सकती । उसके साथ-साथ उन कुरआनी आयतों के भी मुखालिफ हैं जिनमें अल्लाह तआला ने फरमाया है कि इंसानों में हजरत आदम सबसे पहली

मखलूक और बाकी चीजों में कलम सबसे पहले पैदा किया गया है और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 'हजरत आदम अलैहिस्सलाम' की सन्तानों में से हैं। बल्कि कुरआन की जबानी वह हमारी ही तरह इंसान हैं अलवत्ता अल्लाह ने उनको नवूअत और वह्य से नवाज़ा है। अतएव वह नूर नहीं बल्कि शेष इंसानों की तरह एक इंसान है। और सहाबियों ने भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बशर की हैसियत से जाना है न कि नूर होने की हैसियत से।

और जिस हदीस को शारावी ने सही कहा है वह मुहदिसीन के नजदीक गलत, झूठ और ग़ढ़ी हुई है।

६. गुमराह करने वाले अक्रीदों में से कुछ सूफियों का यह कथन भी है कि समस्त वस्तुयें अल्लाह ने अपने नूर से पैदा की। अतएव शारावी अपनी किताब में लिखते हैं कि जब हम को यह मालूम हो गया कि अल्लाह ने तमाम चीजें अपने नूर से पैदा की और यह सही है तो उसका मतलब यह हुआ कि नूर की किरणों से सारी भौतिक अस्तित्व में आयी।

यह भी ऐसी ही बेहूदा बात है जिसकी कुरआन और सुन्नत से और विवेकपूर्ण दलील नहीं। पहले इस बात का व्यान हो चुका है कि अल्लाह तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से, शैतान को आगे से, और इंसानों को नुतका (मनी) से पैदा किया है।

इतना ही समझ लेना शारावी की इस बात को रद्द करने के लिए काफी है।

दूसरा यह कि शारावी की ये बातें आपस में टकराती हैं। पहले तो वह यह कह रहे थे कि सभी चीजें नूरे मोहम्मदी से पैदा की गयी

हैं और यहाँ यह कह रहे हैं कि अल्लाह तआला ने तमाम चीजें अपने नूर से पैदा की। हालांकि अल्लाह तआला के नूर और नूरे मोहम्मदी में बहुत अन्तर है।

फिर यह कि अल्लाह के नूर से पैदा होने वाली चीजों में साप, बिछू, बन्दर और सुअर आदि भी सम्मिलित हैं क्योंकि शारावी का कहना है कि सभी चीजें अल्लाह के नूर से पैदा हुई हैं। यदि ऐसी बात है तो फिर उन मूज़ी (दुष्ट) जानवरों को हम क्यों मारते हैं।

मुसलमान भाईयो ! आप सोचिये। कहीं आप में ऐसे गुमराह करने वाले अक्रीदे तो नहीं आ गये हैं। यदि कहीं इस किस्म की बीमारियों में घिर चुके हैं तो उससे छुटकारा हासिल करने की कोशिश कीजिए क्योंकि ये ऐसे गुमराह करने वाले अक्रीदे हैं जिन से इसान इस्लाम से खारिज हो जाता है। और कुफ्र के दायरे में दाखिल हो जाता है। (अल्लाह तआला हमें और आप को हिदायत नसीब फरमाये। आमीन

या अल्लाह हमें हक बात को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक प्रदान कर और बातिल को बातिल समझकर उससे बचने की तौफीक दे और हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता कर।

आमीन या रब्बल आलमीन

# **أركان الإسلام والإيمان في ضوء الكتاب والسنة**

إعداد

**محمد بن جميل زينو**

(المدرس في دار الحديث الخيرية بمكة المكرمة)

ترجمة

إلى اللغة الهندية

**رضاء الرحمن أنصاري**

تصحيح ومراجعة

**محمد طاهر حنيف**

تشرف بإعداد هذا الكتاب وترجمته  
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة حوطة بنى تميم  
تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد  
حوطة بنى تميم ١١٩٤١ ص. ب ٢٦١ الشارع العام بجوار جامع آل ثاني  
هاتف: ٠١/٥٥٥٠٥٣٣ ناسوخ: ٠١/٥٥٥٢٧٤٥

نستقبل تبرعاتكم على حساب المكتب رقم (٤٨٤٣/٤)  
شركة الراجحي المصرفية للإستثمار - فرع حوطة بنى تميم

حقوق الطبع محفوظة للمكتب

يسمح بطبع هذا الكتاب بأذن خطوي مسبق من المكتب  
إذا كان لديك أي ملاحظات يرجى الإتصال على المكتب

ردمك : ٧-٢-٩٢٣٨-٩٩٦٠

مطبعة النرجس - ت: ٢٣١٦٦٥٣ ف: ٢٣٦٨٦٦